खण्ड-112, अंक-4
गुरूवार, 24 आश्विन, शक संवत् 1874
(16 अक्टूबर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 112 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १६ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण , श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह , श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह , श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडे, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहार बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद , श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री

रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमा नाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय. श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंश नारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनाराण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला बोर्ड हमीरपुर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव

*१—श्री ज़ोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर के अध्यक्ष पद के रिक्त हुए स्थान का चुनाव जो सरकारी आदेश द्वारा १८ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को होना निश्चित हुआ था स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, जिला बोर्ड, हमीरपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच की जा रही है जिसके कारण चुनाव का स्थगित करना वांछित समझा गया।

श्री ज़ोरावर वर्मा—क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन्हें वह कब प्राप्त हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम—शिकायतें वहां के इंतज़ाम में गड़बड़ी और रुपये के नुक़सान की हैं लेकिन इस वक्त मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि वह सब शिकायतें यहां रखूं क्योंकि मालूम नहीं उनमें से कितनी ठीक हैं और कितनी ग़लत हैं। इसलिये जांच से पहले यह मुनासिब न होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस तरह बुरा भला कहा जाय।

श्री ज़ोरावर वर्मा—मैंने अपने सवाल में यह भी पूछा कि उन्हें वे शिकायतें किस तारीख़ को प्राप्त हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम—शिकायतें वक्त वक्त पर कई बार आई हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह शिकायतें जो आयीं वह जो तारीख़ निश्चित हो गई थी उससे पहले आई या बाद में ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह कुछ पहले भी आई और बाद में भी आई।

श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतावेंगे कि इस सिलसिले में उनसे एक डेपुटेशन मिला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे इतने डेपुटेशन रोज़ मिलते रहते हैं कि हरएक के बारे में डायरी तक में नोट करना मुश्किल है।

*२—श्री ज़ोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चुनाव कितने दिनों तक के लिये स्थगित किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार इस जांच को शीघ्र से शीघ्र पूरा करके इस विषय पर निकट भविष्य में निर्णय देने के लिये प्रयत्नशील है।

बस्ती ज़िला अस्पताल से संबंधित श्रीमती किस्मता के मामले में पुनः जांच

*३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज़ाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि यह सत्य है कि बस्ती ज़िला अस्पताल में १४-५-५२ को होने वाले

श्रीमती किस्मता के मामले में पुनः जांच करने के लिये सरकार ने कोई उच्च अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने इस संबंध में अस्पताल के संबंधित डाक्टर के संबंध में क्या रिपोर्ट दी है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां, इस मामले की एडीशनल डाइरेक्टर ने स्वयं जांच की थी । उक्त अधिकारी की रिपोर्ट तो गोपनीय है परन्तु उनकी सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

डा० रत्नचन्दानी (सिविल सर्जन)—इनको चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे मामलों में ज्यादा छानबीन किया करें।

डा० टी० पी० बनर्जी (असिस्टेंट सर्जन)—इनको सजा देने के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ली जा रही है ।

डा० रन्धीरसिंह (सब-सर्जन)—इनको चेतावनी दी जा रही है कि Inquiry cases की चिकित्सा में ज्यादा होशियारी करें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी डाक्टर बनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास—उनके ट्रान्सफ़र के आदेश हो चुके हैं और वह वहां से जाने वाले हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सत्य है कि डाक्टर बनर्जी ने अपने सब-असिस्टेंट सर्जन को लिखित आदेश दे दिये थे कि श्रीमती किस्मता देवी की गोली न निकालें और कह दें कि गोली नहीं लगी ?

श्री बनारसीदास—इस तरह का आदेश नहीं दिया था बल्कि उनका आदेश था कि उनका ड्रेसिंग आदि कर दिया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि इस सिलसिले में बी० के० मिश्र, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का भी तबादला हुआ है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह नहीं कह सकता कि इसी मामले में तबादला हुआ है लेकिन तबादला अवश्य हुआ है ।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)—क्या यह सत्य है कि किस्मता के पैर की गोली सरकारी डाक्टर ने नहीं निकाली।

श्री बनारसीदास—यह सही है कि गोली एक प्राइवेट डाक्टर, श्री श्रीवास्तव द्वारा निकाली गयी जिसे नेशनल हेरल्ड के कारेसपांडेंट ने लाकर लखनऊ में माननीय चीफ़ मिनिस्टर को दिया।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार किस्मता देवी को उसके पैर खराब होने के कारण कुछ सहायता देगी।

श्री बनारसीदास—उसका पैर खराब नहीं हुआ है । डाक्टर श्रीवास्तव के ट्रीटमेंट में वह १ सप्ताह तक रही और उसका पैर ठीक हो गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या यह मालूम हो गया है कि वह गोली किससे लगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उसके बारे में यह रिपोर्ट है कि वह गनशाट की थी। इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वह किससे लगी थी ?

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि सरकारी डाक्टर ने किरमतादेवी की गोली निकालने से इन्कार कर दिया था ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, उस वक्त सरकारी डाक्टर का मत यह था कि उसे किसी दरख्त की टहनी से गिर कर चोट लगी है और उसके पैर में गोली नहीं है।

काश्तकारों से वसूल किया गया दसगुना लगान

*४—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि दसगुना जो काश्तकारों से मिला है, वह रक़म कितनी है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—अगस्त ३१, १९५२ तक कुल ३३,२६,५९,१४५ रु० प्राप्त हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस टोटल रक़म में ऐसी रक़म कितनी है जो एक से ज्यादा लोगों ने उसी खेत के बारे में जमा की है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—ऐसे कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। लेकिन इतना मालूम है कि ऐसी रक़म नहीं के बराबर है, बहुत कम है।

*५—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जो दस गुना लगान वसूल हुआ है वह रक़म जमा है या खर्च हो गयी ? यदि खर्च हो गयी, तो कहां खर्च की गयी और कितनी खर्च हो गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उपरोक्त रक़म में से अभी तक कुल ४,३६,७४,९७० रुपया खर्च हुआ है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) भूमि व्यवस्था (Land Reforms) कमिश्नर के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि पर १,१०,६५,२४९ रु० और

(२) काश्तकारों को लौटाये गये लगानों तथा जमींदारों को लगानों के प्रतिशोधन (re-imbursement) के रूप में दी गई रक़में ३,२६,०९,७२१ रु०

कुल जोड़ ...	४,३६,७४,९७० रु०

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—इसमें से कितना रुपया इसकी वसूलयाबी में खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह—जो १ करोड़ १० लाख रुपया लैंड रिफ़ार्म्स कमिश्नर के कर्मचारियों आदि पर है उस "आदि" में सब खर्चा शामिल है।

श्री नेकराम शर्मा—इस समय खर्चे के बाद कितना रुपया सरकारी कोष में जमा है ?

श्री चरण सिंह—यह तो जमा नफ़ी करने की बात है। ३३ करोड़ ३६ लाख में से ४ करोड़ ३६ लाख घटा दें तो २८ करोड़ ९० लाख रुपया जमा है।

श्री हेमवतीनंदन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितना बकाया रुपया इस मद में चाहिये वह खजाने में अलग इसी मद में जमा है या दूसरे खर्चों में इस्तेमाल हुआ है ?

श्री चरण सिंह---यह २८ करोड़ ६० लाख रुपया गवर्नमेंट के पास मौजूद है लेकिन किस खजाने में कितना रुपया जमा है इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

*६---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थीयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता व छात्रवृत्तियों की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो किस तिथि तक उन्हें सहायता प्राप्त हो जावेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---जो हां, रक़म मिलने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, बहुतों को मिल चुकी है तथा बाक़ी को मिलती जा रही है ।

*७---श्री महीलाल---क्या यह सही है कि चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के एस० एम० कालिज के हरिजन छात्रों को आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति के देने के लिये स्वीकृत धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जो हां, कारण यह है कि प्रिन्सिपल ने अभी तक बिल ही नहीं भेजा। उसको स्मृति पत्र भेजा जा चुका है ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्सिपल महोदय को यह स्मृति पत्र कब भेजा गया ?

डाक्टर सीताराम---यह पत्र प्रिन्सिपल महोदय को सितम्बर के महीने में भेजा गया था ।

श्री महीलाल---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसे प्रिन्सिपलों को देर के लिये सूचित करने का विचार सरकार रखती है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, हरिजन विभाग की ओर से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं ।

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---[६ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-६---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

लौनी परगना, जिला मेरठ के इलाके का विकास

*७---श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार को मालूम है कि लोनी परगना, जिला मेरठ का बहुत सा इलाका हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है ? क्या सरकार अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के विकास पर भी विचार करेगी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---जी हां। जी हां ।

श्री तेजा सिंह---माननीय मंत्री जी जो काम इसके इलाके में कराने जा रहे हैं क्या मंत्री जी उसकी डिटेल देने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह---उस जिला प्लानिंग आफिसर को लिखा गया है कि वे इस इलाके के संबंध में एक योजना बना कर भेजें ?

एटा, मैनपुरी और फ़र्रुखाबाद के लिए संयुक्त कम्युनिटी स्कीम

*८—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि ऐटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में मुश्तरिका तौर पर पाइलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) स्कीम मंजूर हो गयी है ?

श्री फूल सिंह—इन स्थानों के लिये कम्यूनिटी स्कीम मंजूर हुई है न कि पाइलेट प्रोजेक्ट स्कीम।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कम्युनिटी प्रोजेक्ट और पाइलेट प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है ?

श्री फूल सिंह—पहले जो स्कीम चालू की गयी थी वह पाइलेट प्रोजेक्ट की स्कीम थी। उसके पश्चात् उसकी कामयाबी की बिना पर ६ ज़िलों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नाम से स्कीमें चालू की गयीं।

श्री सुल्तान आलम खां—ये स्कीम्स ऐटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इन तीनों जिलों में एक दम जारी की जायेंगी या किस्तों में, एक एक ज़िले में एक एक बार ?

श्री फूल सिंह—मैनपुरी में यह स्कीम चालू कर दी गयी है इसके बाद ऐटा और फर्रुखाबाद में शुरू की जायगी।

*९—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार उन मौज़ों की तादाद बतायेगी कि जो स्कीम में शामिल किये गये है ?

श्री फूल सिंह—तीनों जिलों को मिलाकर कुल ३७३ गांव इस स्कीम में शामिल किये गये हैं।

*१०—श्री सुल्तान आलम खां—इस स्कीम को मंजूर करने से पहिले किस किस की राय ली गयी थी ?

श्री फूल सिंह—इस स्कीम के मंजूर करने से पहले जिला नियोजन समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों तथा जिले के अफ़सरों से राय ली गई थी।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि इन स्कीम्स के लिये जगहों का इंतखाब करने से पहिले वहां के मुकामी असेम्बली के मेम्बरान और कौंसिल के मेंम्बरान से भी राय ली गयी थी ?

श्री फूल सिंह—इस स्कीम का पहिला मांग बहुत जल्द शुरू किया गया था लेकिन जो स्कीम अगले साल शुरू की जायगी उसके लिये यह आदेश भेज दिये गये हैं कि मुकामी सदस्यों से इस मामले में राय ले ली जाय।

*११-१३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—(अनुपस्थित) (जिला शाहजहांपुर)—

[देखिये आगे पृष्ठ २६६-२६७ पर]

*१४-१६—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[६ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले के इक़बालपुर स्टेशन पर शूगर मिल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर शूगर मिल खोलने के लिये उसके पास कोई प्रार्थनापत्र आये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—महालक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, हनीरा (पेपसू) ने राज्य सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें अपना वर्त्तमान प्लांट सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर उठा लाने की अनुमति दी जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दरख्वास्त कब आयी और प्रान्तीय सरकार ने क्या सिफ़ारिश की?

श्री हुकुम सिंह—किस तारीख को दरख्वास्त आयी है, तारीख बतलाना तो कठिन है लेकिन सिफ़ारिश सरकार ने मुआफ़िक की।

*१८—श्री दीनदयालु शास्त्री—सरकार ने इस मिल के खोलने के संबंध में क्या निश्चय किया है?

श्री हुकुम सिंह—यह विषय अब केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

डोईवाला मिल द्वारा ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्ने वालो के रुपये की अदायगी

*१९—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि डोईवाला मिल ने ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों का कितना रुपया अदा कर दिया है और कितना नहीं किया? यह रुपया कब तक मिल जायेगा?

श्री हुकुम सिंह—डोईवाला मिल ने ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों की साढ चौदह लाख रुपया अदा कर दिया है और डेढ लाख रुपया नहीं किया है। बकाया रुपया गन्नावालों को कब तक मिल जायेगा यह निश्चित बताना संभव नहीं है। परन्तु सरकार उसकी अदायगी के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों का एक हजार तक का गन्ना मिलों में आया और उनका पेमेंट बाकी है उनको सूद दिलाने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—कुछ बात समझ में आयी नहीं।

श्री रामदास आर्य—बात तो बहुत सीधी सी है और यह कि जिन काश्तकारों का एक हजार रुपये तक का गन्ना मिल मालिकों के पास आया और उनका पेमेंट बाकी है तो क्या सरकार उनको सूद दिलाने का विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह—नियम में कुछ सूद का प्राविजन है नहीं। आइन्दा हम नियम बना रहे हैं जिसमें सूद के लिये प्राविजन है।

*२०-२१—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—[२४ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२-२३—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[३० अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

चमड़ा उद्योग की उन्नति तथा सुधार

*२४—श्री रामदास आर्य—चमड़े के कार्य की उन्नति करने और देहातों में बरबाद होने वाले चमड़े को बचाने के लिये सरकार क्या कार्य कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने चमड़े के कार्य की उन्नति करने के लिये उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में जहां जहां यह व्यवसाय किया जाता है, सरकारी लेदर वर्किंग टियूशनल क्लासेज और सरकारी ट्रेनिंग टियूशनल क्लासेज खोले हैं। उन केन्द्रों में शिक्षा का भी प्रबन्ध है तथा माल भी तैयार किया जाता है। कई स्थानों में सहकारी समितियां भी खोली गई हैं उनको सरकार की ओर से अनुदान और ऋण के रूप में सहायता दी गई है।

देहातों में बरबाद होने वाले चमड़े को बचाने के लिये सरकार ने फ्लेइंग स्कीम जारी की है।.

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्लेइंग स्कीम के अधीन क्या क्या कार्य हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। मैं नहीं जानता हूं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी फ्लेइंग स्कीम पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है ।

*२५—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम गफूरगढ़ में चमड़े की भारी पैंठ लगती है ? यदि हां, तो वहां चमड़े की उन्नति तथा सुधार के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकूम सिंह—हां। इस व्यवसाय के अवनति की सूचना अभी तक सरकार को नहीं प्राप्त हुई। ख्याल यह है कि वह ठीक ढ़ंग से चल रहा है। यदि प्रश्नकर्त्ता कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सरकार उस पर आवश्यकतानुसार विचार करेगी।

रायबरेली जिले की तालाब खोदाई योजना

*२६—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में तालाब खोदाई योजना में कितने तालाब खोदे गये और कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री फूल सिंह—रायबरेली जिले में तालाब खोदाई योजना के अन्तर्गत १६ तालाब खोदे गये तथा ४,०४६ रुपया २ आना का कुल खर्च हुआ है।

श्री गुप्तार सिंह—क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह १६ तालाब किस किस ग्राम में खोदे गये हैं ?.

श्री फूल सिंह—माननीय मेम्बर अगर नोटिस दें तो मैं फेहरिस्त दे दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तालाबों से कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री फूल सिंह—इसके आंकड़े हमारे पास नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १६ तालाब खोदे गये हैं, कच्चे हैं या पक्के बना दिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह—ये खोदे गये हैं बनाये नहीं गये हैं ?

सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम

*२७—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिविल सेक्रेटेरियट (Civil Secretariat) लखनऊ के कर्मचारियों को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पर तरक्की देने के लिये किस नीति को निर्धारित किया जाता है ?

श्री फूल सिंह—निम्नश्रेणी के असिस्टेंटों को उच्च श्रेणी में स्थायी तरक्की पाने के लिये Public Service Commission की compeittive परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस परीक्षा में उच्च श्रेणी के कुल जगहों में से एक तिहाई जगहें निम्न श्रेणी के असिस्टेंटों के लिये सुरक्षित (reserve) रक्खी जाती हैं बशर्ते कि उन्होंने तीन साल की approved Service पूरी कर ली हो और उनका काम संतोषजनक पाया गया हो।

*२८—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५०-५१ में ऐसे कितने कर्मचारियों को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पर तरक्की दी गयी ?

श्री फूल सिंह— Public Service Commission के दिसम्बर, १९४९ की परीक्षा के फलस्वरूप १९५०-५१ में निम्न श्रेणी के ४२ असिस्टेंटों को उच्च श्रेणी में तरक्की दी गयी थी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी निम्नश्रेणी से उच्च श्रेणी पर प्रोमोशन दिया गया था जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की काम्पेटीटिव परीक्षा में नहीं बैठे थे ?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में लोअर ग्रेड के कर्मचारियों के स्थान रिक्त हुये हैं तथा उनकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिखित प्रश्नों के उत्तरों का माध्यम

*२९—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों के लिखित प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी के माध्यम में देना अनिवार्य है।

*३०—यदि हां, तो क्या सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन को आज्ञा देगी कि इन नौकरियों में लिखित प्रश्नों का उत्तर हिन्दी के माध्यम द्वारा दिया जाय ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिखित प्रश्नों के उत्तरों को अंग्रेजी के माध्यम में देने के संबंध में केवल यू० पी० सिविल, पुलिस तथा एकाउन्ट्स सर्विसेज में भर्ती के लिये की गई सम्मिलित प्रतियोगिता को छोड़कर, कोई विशेष आदेश नहीं है। राज्य की उपरोक्त नौकरियों के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होने के कारण सभी परिक्षार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे अंग्रेजी के माध्यम में प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। फिर भी, यदि कोई परीक्षार्थी अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर अन्य ऐच्छिक नियमों के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देता है तो कमीशन इस पर कोई आपत्ति नहीं करता है।

* * * *

कानपुर शहर व जिले की रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को सहायता

*११—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में कितनी रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं और उनके क्या नाम हैं ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद))—कानपुर शहर में २४ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां हैं इनके अतिरिक्त जिले में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१—आदर्श कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, श्रीनगर, कानपुर ।
२—कानपुर कलक्ट्रेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
३—माडेल कोआपरेटिव बी० एन० एस० डी कालेज हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
४—आदर्श कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०, नवाबगंज, कानपुर ।
५—श्री नागर जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
६—गनेश कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
७—कानपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
८—श्री कृष्णा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि० ।
९—मित्र मंडल कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज लि० ।
१०—पंजाब कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज लि० ।
११—दी सिन्धी रिलीफ़ कोआपरेटिव हाउसिंग लि० ।
१२—श्री गनेश शकर विद्यार्थी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
१३—पटेल नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
१४—नवीन सहकारी निवास गृह निर्माण समिति लि० ।
१५—एयर फोर्स सिविलियन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि० ।
१६—मिडिल क्लास कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
१७—शिवाजी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
१८—दकिन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
१९—दयानन्द कालेज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
२०—रिफ़ाहे आम कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइंटी लि० ।
२१—पंजाब आइरन एन्ड स्टील-मापचेन्ट एन्ड मैनूफेक्चर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।

नोट—प्रश्न संख्या ११–१३ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे।

२२—दी पेशावर सफ़रर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, कानपुर।

२३—पान्डूनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।

२४—हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सहकारी समिति लि०।

*१२—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन सोसाइटीज़ को ज़मीनें दी जा चुकी हैं?

श्री मंगला प्रसाद—निम्नलिखित कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज को जमीनें प्राप्त हो चुकी हैं।

१—श्री कृष्णा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज़ लिमिटेड।

२—श्री गनेश शंकर विद्यार्थी कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड।

३—श्री नागर जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।

४—हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सहकारी समिति लिमिटेड।

५—कलक्ट्रेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड।

*१३—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी सोसाइटीज़ को सरकार क्या और कैसे सहायता देती है?

श्री मंगला प्रसाद—शरणार्थी सहकारी भवन निर्माण समितियों की रिलीफ़ व रिहैसिविटेशन विभाग द्वारा ४ से ५ प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जाता है। परन्तु अन्य कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीयों को इस प्रकार की आर्थिक सुविधायें नहीं प्राप्त हैं।

इन समितीयों को लैंड एक्यूजोशन ऐक्ट में भूमि प्राप्ति में सहूलियत दी जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ज़ारी करने से अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कार्य स्थान प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा है जो कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पहाड़ी इलाके में ज़ारी किये जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में है, और उन्हें यह आशंका है कि अमरीकन लोगों का उसमें प्रभाव अधिक हो जायगा और वह स्ट्रेटेजिक स्थान है तो अमरीकी साम्राज्यवाद का भी प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार के उनके कारण हैं, इसलिये इसके ऊपर विचार करने के लिये वह चाहते हैं कि इस सदन का काम रोका जाय।

यह एक अनिश्चित सा कारण है और दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात है कि जो परराष्ट्र नीति केन्द्रीय सरकार की है उससे सम्बन्धित है, इसलिये इसके ऊपर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

अध्यक्ष—एक सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति में एक रिक्त स्थान के लिये निर्धारित समय के भीतर केवल एक नामांकन पत्र श्री पुलिन बिहारी बनर्जी के नाम से प्राप्त हुआ है और वह नियमानुकूल है। इसलिये मैं श्री पुलिन बिहारी बनर्जी को उचित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं।

२२ सितम्बर, १९५२ को शिक्षा मंत्री द्वारा कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने २२ सितम्बर को माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भाषण इस सदन में दिया था उसकी बाबत ६ अक्तूबर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। उसका जवाब मुझे १० अक्तूबर को मिल चुका है लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाय तो उचित बात होगी इसलिये कि वह उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ।

अध्यक्ष—आपको जो उत्तर मिल गया है उसको सदन के सामने पढ़ कर सुना दें इसके लिये मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री झारखंडे राय—जो उत्तर आया है वह इस प्रकार है:—

"गत २२ सितम्बर, १९५२ ई० को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कथित विशेषाधिकार की अवहेलना पर आपने पत्र दिनांक ६ अक्तूबर, १९५२ ई० द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उस दिन चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक) १९५२ ई०, पर सदन में विवाद का उत्तर देते हुये शिक्षा मंत्री ने जो बातें कहीं उससे सदन का अथवा आपके व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सदन में एक पक्ष के व्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यक्तियों के मतों से निष्कर्ष निकालते ही रहते हैं। अतः कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

अध्यक्ष—यह स्पष्टीकरण हो गया कि आपके ऊपर आक्षेप नहीं है और किसी के मतों से परिणाम निकालकर कोई चीज कही जाय तो किसी का अपमान उसमें नहीं होता और यही इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेट रिडेम्पशन बिल पर बहस हो रही थी और वह बिल्कुल बीच में था। एलेक्ट्रिसिटी विधेयक प्रश्न उसके बाद में था इसलिये उसको बाद में विचार करेंगे। वह डेट रिडेम्पशन बिल अभी पास कहां हुआ।

अध्यक्ष—बात यह है कि सरकार की तरफ से सूचना आयी थी कि यह बहुत आवश्यकीय है और पहले रख दिया जाय इसलिये पहले उसको रखा गया था। अगर सरकार ने अपना विचार बदल दिया तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह बाद में हो जायगा क्योंकि नियम तो यही होना चाहिये कि जो जारी है वह काम पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरा काम होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक*, १९५२ नया खंड ८ ख (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहेगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदार या मध्यवर्तियों के खिलाफ़ डिक्रियों में उनके मकान कुर्क या नीलाम न हों. इस आशय का एक

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक ६ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

संशोधन पहले यह सदन अस्वीकार कर चुका है। अब उसी आशय को लेते हुये माननीय भगवान सहाय जी ने दूसरा संशोधन पेश किया है। लफ्ज उसके दूसरे हैं, आशय बिल्कुल उसका वही है जो पहले संशोधन का था। इसलिये मुझे उसके सिलसिले में कुछ अधिक नहीं कहना है। एक ही बात कहनी है कि माननीय भगवान सहाय कल इस बात पर बार बार बल दे रहे थे कि जमींदारों की जो पेइंग कैपेसिटी है वह कम हो गई अर्थात् उसके कर्जा चुकाने की बिसात या काबिलियत थी वह कम हो गई है। हमने इसीलिये तो उनके कर्जा चुकाने की जो बिसात थी जो और जिस हिसाब से कम हो गई है उसी तनासुब से उसी अनुपात में हमने उसका ऋण कम कर दिया है। मान लीजिये एक शख्स है। कर्ज उस आदमी के मकान पर है जो शहर में होने की वजह से इस्टेट की तारीफ़ के अन्दर नहीं आता और गांव में जो जायदाद है, जमींन है उसके ऊपर भी है, तो जो गांव में जायदाद थी उसकी वह ले ली गयी, इसलिये उसकी कीमत कम हो गयी और जिस कदर कर्जा उसके गांव की जायदाद पर आता था वह कर्जा भी घटा दिया गया। लिहाजा उनकी पेइंग कैपेसिटी रेडयूस हो गयी तो डेट भी रेडयूस कर दिया गया उसी अनुपात से। यही सारी इस बिल की स्कीम है और इसको बार बार दोहराया जा चुका है लेकिन फिर भी जो एतराज शुरू में था वह एतराज माननीय भगवान सहाय जी का कायम है कि पेइंग कैपेसिटी रेडयूस हो गयी। बात बहुत मोटी है, मैं कितनी बार साफ़ कर चुका हूं और अब मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार समझाऊं। मकानों के मुताल्लिक यह कहा जा चुका है कि जो लोग खेती करते आये हैं उनके मकान तो चाहे मकबूला डिक्री हो चाहे सादी डिक्री हो न कुर्क हो सकते हैं और न नीलाम हो सकते हैं। अगर कोई खेती नहीं करता है तो यह समझा जाय कि वह शहर में रहता है या और कोई पेशा करता है और अगर उस पर कोई कर्जा है तो वह नहीं घटना चाहिये। इस बात को मैं एक माकूल बात समझता हूं। खैर जैसा मैंने कहा मैं अपनी दलीलों को दोहराना नहीं चाहता। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् जमींदारों की पेइंग कैपेसिटी के बारे में कई दफ़ा कहा जा चुका है मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह संशोधन सरकार स्वीकार कर ले। इसका कारण यह है कि जमींदारी एबालिशन होने के बाद जमींदारों का गांवों में रहने का जरिया छूट गया और वे शहरों में आ गये। शहरों में जो उनके मकान थे उन्हीं में वे रहने लगे। लिहाजा वही उनके रेजिडेंशल मकान समझे जायं देहातों में खेती बाड़ी होती जरूर है लेकिन वे अब वहां के मकानों में नहीं रहेंगे। अब वे शहर में आ गये हैं। इसलिये कम से कम उनका शहर का मकान बच जाय। जिन साहूकारों ने रुपया दिया था वे बहुत होशियार थे। सरकार थोड़े दिनों में यह देखेगी कि जमींदारों के मकान किस तरह से कुर्क हो रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह से विचार करेगी कि अगर वे शहर में रहना चाहते हैं तो उनका शहर का मकान छोड़ दिया जायगा। इसीलिये यह संशोधन रखा गया है। अगर यह चीज नहीं रहेगी तो उनका मकान नहीं बचेगा। कर्जा अगर घटा है तो ठीक है लेकिन इसमें घटने बढ़ाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो उनका शहर में रहने का मकान है वह किसी तरह से बचाया जा सके। इसलिये यह संशोधन रखा गया है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको इसी रूप में समझेंगे कि जमींदार जो अब शहर में रहना चाहते हैं उनके रहने के लिये मकान छोड़ा जाय और

[राजा वीरेन्द्रशाह]

यह समझा जाय कि वह रेजिडेंशल मकान है। इसलिये सरकार अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो जमींदारों के प्रति बड़ी मदद होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मै कोई वाद-विवाद की शक्ल में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं बल्कि एक अपील की तौर पर माननीय राजस्व मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि एक बात पर वे ग़ौर करेंगे कि पेइंग कैपेसिटी की बात जो कही जाती है तो जिस वक्त किसी जमींदार को अपना मकान बेंचने की नौबत आ जाय और मकान नीलाम कराने की नौबत महाजन को आ जाय तो इसके माने यह हैं कि उसकी पेइंग कैपेसिटी हद से ज्यादा गिर गयी। दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि अगर गांवों में उसके मकान हैं तो उसके लिये दूसरे कानूनों के मातहत बचत की गुंजायश है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जिन शहर के जमींदारों ने गांव में अपना मकान नहीं बनाया उन्होंने चाहे अपनी मजबूरी से नहीं बनाया या किसी वजह से नहीं बनाया वह उन गांव वालों के ऊपर थोड़ा उपकार हुआ। क्योंकि अगर उन्होंने गांव में मकान बनाया होता तो गांव वालों के ऊपर कुछ तो थोड़ा बहुत उनका जोर पड़ा ही होता। तो ऐसी हालत में अगर शहर में ही उन्होंने अपना मकान बनाया है तो उसमें केवल इतना कहना है कि भगवान सहाय जी का कि जो उनका रहने का घर है वह क़र्जे के भार से मुक्त कर दिया जाय। यह उनका मतलब कभी नहीं हो सकता है कि अगर किसी जमींदार ने फैक्टरी बना लिया हो या वह किराये पर अपना मकान चढ़ाता हो तो उस मकान की भी इस कानून के जरिये से हिफ़ाजत हो जाय या क़र्जे के रुपये में उसको न लिया जाय, यह मतलब जहां तक मैं समझता हूं माननीय भगवान सहाय जी का नहीं है। अन्त में केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात सम्भव है कि हमारे अन्दर भी भ्रांति का काम करती हो और माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग़ में भी वह भ्रान्ति का काम करती हो। पूंजीवादी इन जमींदारों को समझ लेना, छोटे या बड़ों को और उनसे कुछ प्रगतिशील सूदखोर महाजनों की समझ लेना यह मुनासिब नहीं होगा और मार्क्स साहब के साथ भी कुछ ज्यादती होगी क्योंकि उन्होंने जितने पूंजीवादियों को प्रगतिशील बताया है वह उनको बताया है जो उत्पादन के काम में अपने पैसे को लगाते हैं। इसलिये मैं अन्य कोई दलील न देकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर जमींदारों के पास रहने का मकान नहीं है और गांव में उन्होंने अभी तक अपनी आबादी रखी थी और अब वे शहर में आ जाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में रहने के मकान को इस क़र्जे के भार से मुक्त कर देना चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष—श्री भगवान सहाय जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री भगवान सहाय—जी हां, मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

खंड ९

भरण पोषण की वृत्ति

९—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुज़ारा या भरण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या ऐसे दर्में, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति-सहित बन्धक किया गया हो, अथवा

किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानों गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पति बन्धक की हुई सम्पति समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण :—पद "भरण-पोषण की वृत्ति" (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत "annuity" (वार्षिक वृत्ति) भी हैं ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

१०—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है। नियम बनाने के अधिकार

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड १० के अन्त में शब्द "और उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायगा और स्वीकृति ली जायगी" बढ़ा दिये जायं पेश करता हूं ।

मैं इस पर कोई दलील देना नहीं चाहता हूं । मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि पहले भी उन्होंने बहुत से नियमों को बनाने के बाद किया है यदि इस नियम को बनाने के बाद भी सदन के सामने रखें तो कोई बुराई नहीं होगी और उससे सम्भव है कि सदन के सामने आने से उसमें जो कुछ खामियां रह जाय वे दुरुस्त हो जायं। तो ऐसी हालत में बजाय इसके कि इस सम्बन्ध में मैं कोई दूसरी दलील दूं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर वह आ जाय तो अच्छा हो।

श्री चरण सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर नियमों को इस सदन के सामने रखने से कोई जनहित होता। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के मातहत जो क़वायद बने हैं वे बहुत बड़ा असर रखने वाले थे।

इसलिये इसमें धारा ३४४ में रखा गया कि वह लेजिस्लेचर के सामने रखा जाय । लिहाजा कौंसिल और असेम्बली यानी दोनों में वह रखा जाय। यह एक कर्जा चुकाने वालों का एक बहुत ही सीधा सादा सा विधेयक है। इसके अभी तो कोई नियम बने भी नहीं हैं और यदि बने भी तो सीधे सादे प्रोसीजर के सिलसिले में कुछ बनें तो बनें वर्ना लोगों के राइटस को अफैक्ट करने वाले नियम मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं कि उनके बनाने की जरूरत होगी। इसलिये इस धारा १० में जैसा कि धारा ४४ में प्रावीजन था हमने रखा नहीं है, बल्कि इसको अगर हम रख देते तो एक खामी होती और वह यह कि मान लीजिये कि विधान मंडल की बैठक देर में होती तो ऐतराज तो नहीं होता लेकिन एक ख़राबी होती । लेकिन यह बात दूसरी है कि कहा जाय कि अगर हाउस में आ जाय तो वक्त खराब नहीं होता। लेकिन जरूरी चीज हाउस में जरूर आना चाहिये। जैसे कि यह विधेयक आया। मकानों वाले संशोधन पर कई दफ़ा बहस हो चुकी है। माननीय गेंदा सिंह जी इसको पहले कर चुके थे लेकिन अब फिर इस पर बहस हो गई तो मैं तो यह नहीं कह सकता कि हाउस का वक्त खराब हुआ।

[श्री चरण सिंह]

बिल जरूरी था वह हाउस के सामने आया। लेकिन रूल्स को हाउस के सामने रखने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि मेरे संशोधन को क्या गति होगी और मैं यह भी समझता था कि अगर इसकी खामियां की दृष्टि में लाने की कोशिश करूं और उसे समझा सकूं तो बहुत सम्भव है कि माननीय राजस्व मंत्री राजी हो जायं। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझे यह यकीन है कि जिस दृष्टिकोण को रख कर यह कानून बना है उस दृष्टिकोण का ठीक ठीक उपयोग नियम बनाने में होगा। अच्छा होता यदि वह मान जाते। यदि नहीं मानते हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिए सूत्र (formula)।

$$X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय

(क) यदि बन्धककर्ता (mortgagor) या वाद-ऋणी (Judgment-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (in one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्न-लिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है :

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्न-लिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (२)।

(३)"ME"का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट,१९३४, के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिए गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्ता या वादऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में गुणकों का औसत ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :

" किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब कि बंधकी ने बंधक किये हुये आस्थान से कोई लाभ न उठाया हो, " × " बन्धक के मूल धन से कम न होगा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों के लिये यह संशोधन लाया हूं कि जिन लोगों को उन जमीन पर कर्जा दिया जिसका उन्होंने कब्जा कभी नहीं किया और उससे कोई लाभ नहीं उठाया, रुपया दिया और उस जायदाद से रुपया लेने वाले फायदा उठाते रहे और उन्होंने कोई फायदा उठाया नहीं तो इसके बाद मेरी समझ में जितना दिया उसमें से भी कम हो जाय तो यह उचित नहीं है। क्योंकि आज कल जो कर्जा देने वाले हैं वह मामूली किसान हैं जिन्होंने जमींदारों को कर्जा दिया है। बड़े बड़े महाजनों ने जो कर्जा दिया था तो वह तो पहले ही नीलाम कराकर जमींदार हो गये। बहुत से लोगों का कर्जा ऐसा है कि कर्जे लेने वालों से उन लोगों की दशा अच्छी नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि उसको असल मिल जाता चाहे सूद न मिलता क्योंकि अगर वह १ हजार रुपये का कर्जा दिये हुए है और असल में कम हो जाय तो यह अनुचित होगा। इसलिये प्रतिबन्ध है कि जो सूद में कम हो लेकिन जितना उन्होंने दिया है उससे कम न किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है यह तो विधेयक की मंशा के ही ख़िलाफ़ है। विधेयक तो ऋण को उसी अनुपात से कम करना चाहता है जिस अनुपात से मुआविजा और प्रतिकर किया गया है।

अध्यक्ष—मैं यह सोच रहा था लेकिन राजस्व मंत्री ने इस के ऊपर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई। मैं समझता हूं कि वैधानिक आपत्ति हो सकती है क्योंकि तीन और चार खंड को यह संशोधन अमेंड करता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ठीक है।

अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह पेश हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (३) की पंक्ति ५ के शब्द "औसत" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी"।

इसके सम्बन्ध में कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (३) की पंक्ति ५ क शब्द "औसत" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(देखिये धारा ८-क)

बेचे गये बन्ध (bond) में दिखायी गयी धनराशि के प्रत्येक रुपये के लिए, ऐसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में $\overline{ME}$ का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची २ की पंक्ति १ में शब्द "दिखायी गयी धनराशि" के स्थान पर शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी अंग्रेजी में शब्द "फेस वेल्यु" आये हैं इस फेस वेल्यु का अनुवाद इस तरह से किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन रक्खा गया है और उसके समान अर्थ वाले कोई हिन्दी के शब्द नहीं रक्खे गये हैं तो एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। इसके लिये तो कोई भी उसी अर्थ के शब्द होने चाहिये। मैंने ये शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये हैं जो उसी अर्थ के हैं। चूंकि ये शब्द बार बार आयंगे इसलिये उनकी जगह पर ये शब्द होने आवश्यक है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ की पंक्ति १ में शब्द "दिखाई गई धनराशि" के स्थान पर शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

खंड-१

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय :

"(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन सभी हिस्सों में होगा, जहां कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० लागू होता है।"

इस विधेयक में जो प्रसार का स्पष्टीकरण किया गया है वह यही है कि इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा और इसके कारणों में भी यह बतलाया गया है कि ओरिजिनल ऋण से वही अनुपात होगा जो जमींदारी विनाश के उपरान्त जमींदारी के हस्तगत करने के लिये प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी में संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक उस गुणक के साथ होगा। तो यह स्पष्ट है कि यह समस्त ऋण को कम करने का विधेयक केवल उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पर जमींदारों के आस्थान लिये गये हैं और श्रीमन् हमको मालूम है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हमारा कुमायूं डिवीजन है जहां पर अभी जमींदारी खत्म नहीं हुई है और वहां पर निकट भविष्य में आने की सम्भावना नहीं है और अगर आ भी जाय तो सम्भवतः वह धारा वहां के लिये न बनें जैसा कि इस विधेयक में है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होना चाहिये और मैंने जो यह संशोधन रखा है यह विधेयक की सिफारिश के अनुसार है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन गैर जरूरी है लेकिन ग़लतफहमी पर आधारित है। मान लीजिये कि कोई शख्स नैनीताल में रहता है और जमींदारी उसकी पीलीभीत में थी तो बजाय इसके कि नैनीताल में जहां वह मकरूज रहता है, जमींदारी खत्म नहीं की गई और चूंकि पीलीभीत में खत्म की गई तो उसका कर्जा उसी कदर घट जायगा जिस कदर उसकी जमींदारी की कीमत घट गई और उसी कदर उसकी कीमत मुकाबले में दिये हुये मुआविजे से कम है क्योंकि यह जो जायदाद जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत ली गई उसी के हिसाब से कर्जा घटता है। कोई शख्स कहीं रहता हो उससे कोई सम्भावना इस बात की नहीं है कि जहां जहां जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू है वहीं कोई स्टेट ली गई हो वह तो जहां कहीं भी रहता हो उसका कर्जा घट जायगा तीन चौथाई जहां पर कि जमींदारी अबालिशन के मुताबिक जमींदारी ली गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह उसको स्पष्ट नहीं कर पाये। उदाहरण के लिये अभी नागर जमींदारी विधेयक हमारे सामने आने वाला है। वह उससे सम्बन्ध रखता है जो जमींदारी शहर के अन्दर है वह उस पर लागू होता है और अगर बाद में उसको बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो वह बढ़ सकता है लेकिन अगर इस चीज को समस्त, उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात लिख दें तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और ऐसे सब एरियाज में भी यह लागू हो सकता है जहां पर जमींदारी अबालिशन इस वक्त लागू नहीं है। इस वजह से यह पूरा स्पष्टीकरण नहीं बतलाया गया और अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री चरण सिंह---यह यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफ़ार्म ऐक्ट जहां लागू होता चला जायगा जहां की जायदाद पर यह कानून लागू होता चला जायगा। इस्टर्न एरिया में अभी नहीं होगा जहां जहां आवश्यकता समझी जायगी वहां

[श्री चरण सिंह]

वहां होगा। मसलन् पूर्वी एरिया में १२ मल्टीपिल हैं यहां ८ मल्टीपिल रखे गये हैं क्योंकि जहां पर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू होगा वहीं पर यह चीज आयेगी। हम सोच रहे हैं कि बनारस और रामपुर जिले में भी इसको लागू कर दिया जाय। तो जहां पर यह लागू होता चला जायगा वहां पर यह ऐक्ट खुद ही लागू हो जायगा और जहां पर जमींदारी खत्म शहरों में होगी वहां के लिये और तरमीम करनी पड़ेगी और हमें अर्बन एरिया में तो ८ की जगह १२ रखना पड़ रहा है और शायद कुछ और भी करना पड़ेगा।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य देख लें कि जो अधिनियम का आपरेटिव पार्ट है उसमें प्रतिकर अनुदान जो है उसका रिडम्पशन इन डैट तभी हो सकता है जहां जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के हिसाब से किसी का आस्थान लिया गया हो, और जहां वह अधिनियम लागू नहीं होता वहां तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो नया अर्बन एरिया के लिये विधेयक आ रहा है उसमें १२ गुना प्रतिकर रखा गया है।

अध्यक्ष—यदि आप इसकी दफा ३ देखें तो उसमें लिखा है कि "यदि बन्धक की गई सम्पत्ति में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन" तो उसी के सम्बन्ध में इसका जिक्र है और कहीं पर इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि जिसमें शहरी इलाके की जमीनें आ सकें। अगर माननीय सदस्य इस पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं तो मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता।

अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिये

विधेयक।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (Scaling down) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल जैसा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य सूची के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)––मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहूंगा कि इस एलेक्ट्रिसिटी के बिल के बाद सेल्स टैक्स का बिल लिया जायगा या जौनसार भाबर वाला ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––इसके बाद सेल्स टैक्स वाला।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ पर विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफ़ारिश किये संशोधनों की प्रतिलिप मेज पर रखता हूं ।

कुछ ठहर कर मैं श्रीमान की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफ़ारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं और एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट आपके सामने रखना चाहता हूं जिस के अनुसार यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है इस पर विचार नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है उस के विरुद्ध है। उस की दफा ३ में यह साफ़ साफ़ दिया हुआ है कि :

" No law made after the commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो जो इसअधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उनकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

तो प्रेसीडेंट की आज्ञा और स्वीकृति इस विधेयक में कहीं भी नहीं है।

अध्यक्ष––मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका प्वाइंट क्या यही है कि इसके ऊपर जो विधान परिषद् ने अपनी सिफ़ारिशें भेजी हैं उन पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, ऐक्ट पर विचार नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष—ऐक्ट तो सदन पास कर चुका है, उसके ऊपर कोई वैधानिक आपत्ति अब इस समय नहीं हो सकती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो परिषद् की सिफारिशों पर उठाता हूं ।

अध्यक्ष—जिस समय हरएक सिफारिश पर विचार होगा उस समय उठाना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर आप आज्ञा दें तो मैं समझा दूं ।

अध्यक्ष—समझाइये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शेड्यूल की ८ वीं धारा इस प्रकार है—

"Coal including coke and other derivatives, petroleum products including motor spirit, and electrical energy except energy intended for domestic use....."

[कोयला जिससे कोक तथा दूसरे उद्भूत पदार्थ सम्मिलित हैं, मोटर स्पिरिट सहित पेट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थ और घरेलू उपयोग के लिये अभिप्रेत शक्ति के अतिरिक्त विद्युत् शक्ति.....]

और तीसरी धारा इस प्रकार है—

"Regulation of tax on Sale or Purchase of Essential Goods.

No law made after commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[आवश्यक मालों के क्रय अथवा विक्रय पर करों का विनियम न किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत हो जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उसकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो ।]

अध्यक्ष—आपका मतलब है कि विधेयक के अन्दर यह सब बात आनी चाहिये कि It is reserved for the assent of the President ला के अन्दर होना चाहिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—हां । धारा ८ इस प्रकार है—

"Goods declared essential for the life of the Community : Coal including coke and other derivatives, petroleum products including motor spirit, and electrical energy except energy intended for domestic use....."

[समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किये गये माल कोयला जिसमें कोक तथा अन्य उद्भूत पदार्थ सम्मिलित हैं, मोटर स्पिरिट सहित पैट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थ तथा घरेलू उपयोग के लिये अभिप्रेत शक्ति के अतिरिक्त विद्युत् शक्ति]

तो केवल डोमैस्टिक यूस के लिये इलैक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती है और उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन इस विधेयक में पहले पार्ट टैरिफ़ के अलावा दूसरे पार्ट में इन्डस्ट्रियल एनर्जी में भी और एग्रीकल्चरल आपरेशंस में भी, जो कृषक के

अलावा हो सकता है, इन सब में यह टैक्स लग सकता है। मैं आपकी तवज्जह इस मुख्य बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि केवल डोमैस्टिक यूस के लिये ही हम टैक्स लगा सकते हैं, बाकी इण्डस्ट्रियल कनजम्पशन के लिये हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्र की बहस सुन कर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी आदत है कि इन सीज़न और आउट आफ सीज़न जो कुछ मुनासिब समझें कह दें।

अध्यक्ष---मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि आदत पर हमला न हो।

श्री हुकुम सिंह---यह बिल इस सदन के सामने पेश हुआ। इस सदन में कई रोज इस पर बहस हुई और बहस होने के बाद इस सदन का निर्णय हुआ। और उस वक्त हमारे माननीय मित्र ने इस आशय की, जिस आशय की कि उन्होंने आपत्ति उठाई है, कोई आपत्ति मेरी जानकारी में नहीं उठाई। इस सदन ने अपने अधिकार के अंतर्गत इस विधेयक को पारित किया और पारित करके अपर हाउस में भेजा। वहां भी यह विधेयक पास हुआ। उसमें वहां से कुछ सिफारिशें आईं। सिफारिशों के साथ यह विधेयक मंजूर होकर यहां भेजा गया। अब सदन के सामने सवाल यह है कि आया उस सिफारिश को यह सदन मंजूर करता है या नहीं करता है। जब यह विधेयक इस सदन में आया था और अपने अधिकारों के अन्दर उसने पास कर दिया उस वक्त तो आपने कोई एतराज नहीं किया लेकिन अब तो महज सिफारिशें आई हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उन सिफारिशों के बारे में पूछा था कि उनको बारे में उनके कोई आपत्ति है या नहीं। हमारे मित्र को उनकी बाबत अपनी राय जाहिर करनी चाहिये कि विधान परिषद् से जो सिफारिशें आई हैं उनको मंजूर किया जाय या नहीं।

इसके संबंध में जो दूसरी बात कही गयी वह भी आश्चर्यजनक रही। आपने फरमाया कि प्रेसीडेंट के वास्ते जो बिल रिजर्व किये जाते हैं उसका इस कानून में कोई प्राविजन नहीं है। यह मुझे पहिले पहल मालूम हुआ। ज़मींदारी अबोलिशन ऐक्ट पास हुआ। उसमें प्रेसीडेंट के असेंट की आवश्यकता हुई। वह बहुत बड़ा ऐक्ट है शायद हमारे माननीय मित्र ने न पढ़ा हो, उसमें भी कोई ऐसा प्राविजन नहीं हुआ। कायदा यह है कि किसी विधेयक के पास होने के बाद कांस्टीट्यूशन की रू से देखा जाता है और अगर प्रेसीडेंट की असेंट की आवश्यकता होती है तो वह रिजर्व करके भेज दिया जाता है। उसके लिये विधेयक में कोई प्रावीज़न करने की आवश्यकता नहीं होती। लिहाजा इस बिल में भी कोई ऐसा प्राविजन करने की जरूरत नहीं है। अतः मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह विधेयक बिलकुल कानूनी दायरे के अन्दर है और हमारे मित्र ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है वह बिलकुल गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि यह चीज हमने बिल के पेश होने के समय नहीं बतलाई थी। अतः उसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐक्ट में जो संशोधन आ रहा है उसकी धारा १० की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उसमें अंक ३० के बजाय ७ रखने का प्रस्ताव किया गया है। जब सरकार को इतना खुद पता नहीं है कि इंडियन कंपनीज़ ऐक्ट में यह लिखा है कि अगर कोई कंज्यूमर कंपनी के बिल के रेट्स पे नहीं करता है तो उसका कनेक्शन ७ दिन के अंदर काट लिया जायगा। अतः इस हाउस ने उसको ३० दिन मंजूर कर दिया। जब सरकार को इस बात का खुद पता नहीं है जिसके पास अनेक साधन हैं तब फिर अगर हमको जिनके पास साधन सीमित हैं किसी बात का पता न चला तो उसमें हमारा दोष नहीं है और फिर यह बिल अभी तो पूरा पास भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे सामने है। हम उसके ऊपर श्रीमान् की व्यवस्था मंग सकते हैं और जब तक यह ऐक्ट नहीं बन सकता तब तक इस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष—यह वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है कि यह विधेयक जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके ऊपर जो सिफ़ारिशें विधान परिषद् ने भेजी हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता और इस कारण कि चूंकि विधेयक में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि यह विधेयक जब पास हो जाय तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये यह रिजर्व किया जायगा। चूंकि ऐसी कोई चीज इसमें मौजूद नहीं है, ऐसी अवस्था में वह अवैधानिक है और जब विधेयक अवैधानिक है तो उसके ऊपर जो सिफारिशें हैं वे वैधानिक नहीं हो सकतीं। यह बात माननीय नारायण दत्त जी ने उठायी। मैं एसेंशियल गुड्स (डिक्लेरेशन ऐंड रेगुलेशन आफ टैक्स आन सेल ऐंड परचेज़) ऐक्ट, १९५२, की दफा ३ पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, ताकि सदन को स्पष्ट हो जाय—

"No law made after the commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो, जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उसकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

तो पहला सवाल यह आता है कि इसमें क्या यह शब्द है कि कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यह शब्द इसमें नहीं है। इसमें तो शब्द है ("No law shall have effect") (कोई विधि प्रभावी नहीं होगी.....) यानी उस कानून का एफेक्ट न होगा तब तक जब तक कि रिजर्व न किया जाय और प्रेसिडेंट की अनुमति न हो। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो इस हिसाब से पहले कानून बनाना आवश्यक है। कानून बनाने के लिये कोई बाधा नहीं है। तो आपत्ति जो उठायी गयी है कि यह सदन कानून नहीं बना सकता, यह उचित आपत्ति इस दृष्टि से नहीं दिखलाई देती। दूसरी बात यह भी है कि अगर यह भी मान लें कि इस पर आपत्ति हो सकती है, तो भी जब सदन ने एक अधिनियम बना लिया है और विधेयक को पास कर दिया है तो उस वक्त देखना चाहिये कि वह विधेयक इस सदन में विचार के हेतु मौजूद है या नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त केवल सिफारिशें विधान परिषद् की सदन के सामने मौजूद हैं। यह संविधान अनुच्छेद १९८ के अनुसार हैं, जिसे मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"(1) A money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fouteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

[(१) विधान–परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायगा।

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान सभा से पारित हो जाने के पश्चात् धन-विधेयक विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा, तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान सभा विधान परिषद् की सिफारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।]

सिर्फ दो ही काम यह सदन इस वक्त कर सकता है कि जो सिफारिशें विधान परिषद् ने यहां भेजी हैं वे या तो पूरी की पूरी या उनमें से कोई मंजूर करें या पूरी की पूरी या उनमें से कोई नामंजूर करें। इसके सिवा सदन के सामने दूसरा प्रश्न इस वक्त उपस्थित नहीं है। पूरे विधेयक के ऊपर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। न विधेयक के संबंध में कोई प्रश्न ही उठाया जा सकता है कि वह वैधानिक है या अवैधानिक है। क्योंकि वह सदन में स्वीकृत हो चुका है। एक बात और भी इससे स्पष्ट होती है। अनुच्छेद १९८ का खंड ५ जो है वह यह है

"If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly."

[यदि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान सभा ने उसको पारित किया था।]

अगर वह सिफ़ारिशें विधान परिषद् ने की होती तो यह मान लिया जाता कि दोनों सदनों ने विधेयक पास कर लिया है क्योंकि विधान परिषद् को अधिकार इस बात का नहीं है कि वह कोई संशोधन इस मनीबिल में पेश करे, सिर्फ सिफ़ारिशें वह दे सकती है और अगर सिफ़ारिश न दे तो इस सदन का यह पूर्ण अधिकार है कि उसने जो विधेयक यहां पर स्वीकृत किया है वह दोनों सदनों का स्वीकृत माना जाय तो इस अवस्था में सदन के सामने कोई विधेयक विचारार्थ मौजूद है ऐसा नहीं माना जा सकता और न उस पर कोई वैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है और जब उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाई जा सकती तो उसके संबंध में जो सिफ़ारिशें संशोधन के लिये भेजी गयी हैं उनके ऊपर भी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। इसलिये अवैध होने की जो बात है वह मैं समझता हूं निरर्थक है और मैं इस आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री हुकुम सिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक विधान परिषद् की सिफ़ारिशों का संबंध है उसमें मुझे कुछ ज्यादा तफसील के साथ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अधिकांश जो सिफ़ारिशें हैं वे शाब्दिक तरमीमें हैं जिनके पास हो जाने से भाषा दुरुस्त हो जायेगी और नम्बर ४ पर जो सिफ़ारिशें हैं वह खंड ३ के उपखंड घ को ज्यादा विस्तृत बनाने के लिये की गई है। उस विधेयक में जो यहां से पास हो कर गया था यह संक्षिप्त में था कि काश्तकारी के लिये जो जरूरत हो उसके इस्तेमाल के लिये जो जरूरत हो उसकी जगह पर इसको एक विस्तृत रूप दे दिया गया है ताकि कोई गलतफ़हमी न हो और समझने में दिक़्क़त न पड़े और जगहों पर "ऐसा" के स्थान पर "ऐसे" और "धन" की जगह पर "मूल्य" ऐसी शाब्दिक तरमीमें हैं। उनसे उसूली तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मुझे आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, जब मैंने माननीय मंत्री जी को यह कहते सुना कि कुल सिफ़ारिशें शाब्दिक ही शाब्दिक हैं।

श्री हुकुम सिंह---कुल नहीं, अधिकांश।

श्री नारायण दत्त तिवारी---अच्छा, अंशतः जो शब्दिक हैं उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो संशोधन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हैं वे बहुत उसूली हैं और उसमें एक तो इस सदन में पहले से स्वीकृत किया जा चुका है कि ७ दिन के अन्दर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी न दे सकने के कारण किसी भी कन्ज्यूमर के कनेक्शन नहीं कट आफ किये जायंगे। यह सिद्धांत यह सदन स्वीकार कर चुका है तो उसको इन सिफ़ारिशों के द्वारा ठुकराया जा रहा है मैं समझता हूं कि इसमें इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट का हवाला दिया जायगा कि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार सरकार दोबारा यह अंक ७ रखने जा रही है लेकिन जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट है १९१० है उसमें कहीं ऐसा नहीं कि सात दिन के अन्दर कोई कनेक्शन काट दिया जायगा। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कहीं भी कोई मतभेद हो किसी रेट के बारे में और इंस्पेक्टर मामले को हाथ में ले तो तो, लाइसेंसी को इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वह चाहे तो न भी काटे कनेक्शन सात दिन के अन्दर। कोई जरूरी नहीं है उसके लिये वह हर बिजली का कनेक्शन कट जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि संख्या १० की जो सिफ़ारिशें आयी हैं वे बहुत महत्व की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसका स्पष्टीकरण करें। हम को कम से कम यह बतायें यह सिफ़ारिशें क्यों हुईं, खासतौर से नम्बर दस के बारे में उसका स्पष्टीकरण करें। तब हमे फैसला करने में भी आसानी होगी ।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, ३० के बजाय ७ दिन इस लिये रखा है कि जल्दी हो जाय और कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफ़ारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष---अब इसका तरीका यह होगा कि माननीय उद्योग मंत्री एक एक सिफ़ारिश को भवन के सामने पेश करते जायं और उसके ऊपर मैं राय लेता जाऊं।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) (२) की पंक्ति ५ में "ऐसा" शब्द की जगह "ऐसे" कर दिया जाय

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) (२) की पंक्ति ५ में "ऐसा" शब्द की जगह "ऐसे" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज) (३) में जहां जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) (३) में जहां जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज) (५) के स्पष्टीकरण में आदि शब्द "इकाई" के बाद का शब्द "धन" बदल कर "मूल्य" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) (५) के स्पष्टीकरण में आदि शब्द "इकाई " के बाद का शब्द "धन" बदल कर "मूल्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपखंड "(घ)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय

"(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural operations) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं यथा सिंचाई के लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपयोग के लिये अन्य क्रिया करना (crushing, milling or treating) या चारा काटना" ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकारकी सिफ़ारिश लम्बी हो कर के यह विधान परिषद् की ओर से हमारे यहां आयी है, यह स्पष्ट नहीं है और जैसी की पहले इस सदन ने स्वीकार किया था अगर कोई इसमें संशोधन होना भी था तो इतना ही काफ़ी था कि परिभाषा में, कृषि का उपयोग क्या है इसको स्पष्ट कर दिया जाता कि क्या-क्या कार्य हैं। आखिर में इसमें भी लिखा हुआ है कि "अन्य कार्य करना।" तो वैसे शायद सोचकर जरूर यह किया गया हो कि कृषि फार्मों में क्या होगा, ट्यूबवेल में क्या होगा और क्रशिंग, मिलिंग और ट्रीटिंग होगा। यह तो सभी जानते हैं कि कृषि उपयोगी कार्यों में सभी आते ही हैं और बिजली का जहां पर सवाल आयेगा, कृषि के उपयोग में ये सब आयेंगे। तो मैं समझता हूं कि जैसा पहले हमारा संशोधन था, "कृषि के उपयोग के लिये" वही ठीक था।

अध्यक्ष—"घ" के संबंध में यह बात है ? कि "किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि संबंधी"। यह तो बहुत बड़ा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं यहां जो सदन में मंजूर हुआ था, उसी को पढ़ रहा हूं, "कृषि के उपयोग के लिये आवश्यक" जो श्री रामनरेश शुक्ल जी ने रखा था और जो परिषद् से बदल कर आया है कि "किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि कार्यों में.. .."वह बहुत बड़ा है और जैसा पहले यहां से पास हुआ था वही रहे। वही संक्षिप्त भी है और इतना लम्बा चौड़ा जो इसमें कर दिया है, इसके अतिरिक्त में इससे दर्जनों गिना सकता हूं जो अभी इसमें रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि जैसा पहले था और जैसा माननीय सदन ने शुक्ल जी के संशोधन को माना था वही काफी है।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती के काम में पहाड़ और इधर प्लेंस में बड़ा फर्क रहता है। यहां बहुत से कार्य हैं जो पहाड़ पर नहीं होते और जो पहाड़ पर होते हैं वह यहां नहीं होते। जो पहले "घ" इस सदन से पास हुआ था वह मुहमिल था। अब उसका विस्तार कर दिया गया है कि सभी पहाड़ और प्लेन की बातें आ जायं और साफ तौर से एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसी की जरूरत है बनिस्बत इसके कि मामले को मुहमिल रखा जाय और हर शख्स अपनी राय अलग अलग रखे। इसलिये जो डिटेल दे दी गयी वह ज्यादा जरूरी थी और जो सिफारिश आई है वह ज्यादा जरूरी है। मैं इसी की ताईद करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपखंड "(घ)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural operations) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं यथा सिंचाई लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना पीसना या उपयोग के लिये अन्य क्रिया करना (crushing milling or treating) या चरा काटना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबंध में शब्द "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबंध में शब्द "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---एक प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, अभी परिभाषा में पास कर दिया गया है कि जहा जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" आ जाय। 'इकाई धन' यहां है, इस लिये 'मूल्य' का होना आवश्यक मालूम होता है।

अध्यक्ष---वह तो खंड २ के उपखंड (ज) (३) में संशोधन हुआ है और यह खंड ३ में है।

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "लगायी गयी दर" और "उसके लिये लगाई गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

अध्यक्ष---मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शायद इसमें कुछ गलती है। इस संशोधन (६) को मिलाने से "उसके लिये लगायी गयी दर" की जरूरत है या नहीं। यह (६) और ७ तीसरे प्रतिबंध के संबंध में हैं। सातवें संशोधन में यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबंध की पंक्ति २ में "तो" शब्द के बाद का समस्त अंग निकाल कर....।

श्री हुकुम सिंह---"लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो" रख दिया जायं।

अध्यक्ष---तो यह जब निकाल दिया जायगा तो यह जो छठवें नम्बर पर आप का है "उसके लिये लगायी गई दर" ये शब्द कहां रहेंगे।

श्री हुकुम सिंह---"इकाई धन" रहेगा।

अध्यक्ष---"इकाई धन" कहां रहेगा?

श्री हुकुम सिंह---इसमें तीसरा प्रतिबंध यह है कि यदि लगाई गई दर.....

अध्यक्ष---"लगायी गई दर" तो रहेगा लेकिन "उसके लिये लगाई गई दर" ये जो दूसरे शब्द हैं ये तो उसमें आते नहीं क्योंकि चौथी लाइन के जो शब्द हैं "जो उसके लिये लगाई गई दर के साथ ९ आने से अधिक न हो" वे खत्म हो जायंगे। तो छठवीं जो आप की सिफारिश है उसमें आप यह कहते हैं कि "उसके लिये लगाई गई दर" की जगह "इकाई धन" हो और दूसरी जगह आप उन शब्दों को निकाल करके दूसरे शब्द रखना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि आप सिफारिश ७ को पहले पास करालें और फिर ६ को लें।

श्री हुकुम सिंह---इसकी शक्ल यों हो जायगी कि तीसरा प्रतिबंध यह है कि "यदि इकाई धन ९ आना प्रति यूनिट से कम हो, तो लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क)..."

अध्यक्ष---"इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से ९ आने प्रति यूनिट से अधिक न हो"। अगर यह आयेगा तो इसके लिये कहां स्थान है जो छठवें में आप ने पेश किया "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रख दिये जायं। तो यह आप काट दीजिये।

श्री हुकुम सिंह---यह तो निकल जायगा। "इकाई धन" तो "लगाई गई दर" की जगह रखेंगे।

अध्यक्ष---तो आप का संशोधन यह होगा कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबंध में शब्द "लगायी गयी दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रहेगा। और "उसके लिये लगायी गई दर" यह निकल जायगा।

श्री हुकुम सिंह---जी।

अध्यक्ष---तो मैं अलग अलग ले लेता हूं। ६ के दो भाग करता हूं। एक को माननीय सदस्य मंजूर कर लें और दूसरे को नामंजूर कर दें।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "लगायी गयी दर" के स्थान पर शब्द" इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "उसके लिये लगायी गयी दर " के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में "तो" शब्द के बाद का समस्त अंश निकाल कर "लगायी गई एलेक्ट्रिसिटी डयूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हों" रख दिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में "तो" शब्द के बाद का समस्त अंश निकाल कर "लगायी गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धन राशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंतिम शब्द "जो" के बाद शब्द "उसके अपने" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंतिम शब्द "जो" के बाद शब्द "उसके अपने" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ की पंक्ति २ में "द्वारा" शब्द के बाद समस्त शब्द निकाल कर "एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति किये जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फ़र्स्ट चार्ज) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार क ऋण होगा" रख दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, इसकी हिन्दी इतनी साफ़ नहीं है। वह साफ़ होनी चाहिये। अगर इसको श्रीमन् ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष---आप क्या सुझाव देते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल––"अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ में शब्द "एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति की जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा" के स्थान पर निम्न-लिखित शब्द रख दिये जायं :––

"उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के निमित्त, जिसकी उसने पूर्ति की हो प्राप्य धनराशि पर प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी और यह राज्य सरकार का उस लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी पर ऋण होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जो सिफारिश उद्योग मंत्री कर रहे हैं उससे साफ़ जाहिर नहीं होता कि जितनी बिजली का वह प्रयोग करेगा उतना ही उसे देना पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह––इससे भाषा साफ़ हो जाती है। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष––सवाल यह है कि या तो आप इसको मंजूर करें या नामंजूर करें।

श्री हुकुम सिंह––मैं मंजूर करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल––अध्यक्ष महोदय, यह तो आप के अधिकार की बात है कि आप भाषा ठीक कर लें और मेरे संशोधन को रहने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––श्रीमन, नियम १२५ (ख) यह है कि "परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करते समय, ऐसे संशोधनों के विषय से सुसंगत संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, किन्तु विधेयक में कोई अन्य संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह परिषद द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो"।

तो यह आल्टरनेटिव अमेंडमेण्ट है..... /

अध्यक्ष––यह तो उससे लागू नहीं होता है। आप संविधान का अनुच्छेद १९८ (२) देखने की कृपा करेंगे––

"The Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

[ऐसा होने पर विधान सभा, विधान परिषद् की सिफारिशों में से सबको, या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।]

तो या तो आप इस सिफ़ारिश को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यह दो ही तरीक़े हो सकते हैं तो माननीय उद्योग मंत्री इस बात को तय करें कि वह इस सिफारिश को मंजूर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं।

श्री हुकुम सिंह––सिफ़ारिश तो जरूर मंजूर करूंगा।

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में "द्वारा" शब्द के बाद के समस्त शब्द निकाल कर "एनर्जी" (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति किये जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा" ये शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) में अंक "३०" के स्थान पर अंक "७" रख दिया जाय। इसके बारे में विवाद हो चुका है ज्यादा कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन् जब मैंने पहले माननीय मंत्री से प्रश्न पूछा कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से विधान परिषद् ने इस हमारे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को जिसमें हमने पहले ७ दिन के स्थान पर ३० दिन रक्खे थे उसको उलट दिया । माननीय मंत्री जी न जबाबदिया कि, जल्दी वसूल करने के लिये लेकिन यह कोई जवाब नहीं है । कोई कारण जरूर होगा जिससे विधान परिषद् ने यह समझा कि ७ दिन ही रहने चाहिएं तो इसको माननीय मंत्री को स्पष्टरूप से बतलाना चाहिये। अगर हम इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा २४ को लें, जिसकेअनुसार ७ दिन किये जा सकते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है---

" Where any person neglects to pay any charge for energy or any other sum due from him to a licensee in respect of the supply of energy to him, the licensee may, after giving not less than 7 days' clear notice in writing to such person and without perjudice to his right to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply and for that purpose cut or disconnect any electric supply-line or other works, being the property of the licensee, through which energy may be supplied.....

Provided that where any difference or dispute has been referred under this Act to an Electric Inspector before notice as aforesaid has been given by the licensee, the licensee shall not exercise the powers conferred by this section until the Inspector has given his decision."

अध्यक्ष---माननीय सदस्य शायद इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की उस धारा की ओर संकेत कर रहे हैं जिसमें ३० रोज उसके विरुद्ध पड़ते हैं इसलिये शायद सात रोज विधान परिषद् ने किये हों, यह उनका संकेत है/

श्री नारायण दत्त तिवारी---एक संभावित कारण बतला रहा हूं। ऐसी मेरी कल्पना है कि यही कारण हो सकता है कि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में ७ रोज दिये हुये हैं..../

अध्यक्ष---माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न उठाया तो वह यह भी बतलायें कि किस वजह से उनका पहले वाला संशोधन वैध होगा यानी ३० दिन तक ब ाना जब कि ७ रोज इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में दिये हुये हैं । तो ७ रोज का नोटिस देने के अधिकार को रद्द करने का यह सदन कैसे क़ानून पास कर सकता है, इस विषय में वह कृपा करके बतलायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से उसकी वैधता के रे में यह कहना चाहता हूं कि जब एलेक्ट्रिसिटी बिल पर डिबेट चल रही थी तो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९४८ जो है जो कि पिछले ४ साल से लागू है उसकी धाराओं को यहां लागू किया जाय तो जितनी मोहलत इस सदन ने तै की थी वह मिल सकती थी। साथ ही साथ इंडियन ऐलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट में लाइसेंसी की जो परिभाषा है उसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं आती । राज्य सरकार से संचालित जो विद्युत् गृह हैं जो कंज्यूमर को बिजली देते हैं वे इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार लाइसेंसी की परिभाषा में नहीं आते । हमारे इस विधेयक में लाइसेंसी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलग अलग ट्रीट किया गया है और कम से कम सरकारी अंडरटेकिंग्स के लिये तीस दिन वाला प्राविजन लागू हो सकता है । मैं समझता हूं कि ड्यूटी और रेट को एक ही में मिला देना उचित न होगा, हमने फर्स्ट चार्ज जरूर माना है लेकिन रेट्स के साथ हमने ड्यूटी को नहीं मिलाया । इसलिये अगर हम ड्यूटी के सिलसिले में तीस दिन दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह कोई अनुचित नहीं है, यह न्यायपूर्ण बात है। यह अधिकार हम हर कंज्यूमर को दे सकते हैं कि वह तीस दिन के भीतर अपनी ड्यूटी अदा कर सकता है। फिर जैसा मैंने कहा इंडियन एलेक्ट्रिसिटी के ऐक्ट के प्राविजो २४ के अनुसार साफ है कि एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ७ दिन के नोटिस के होते हुये भी उसको काटा जाना रोक सकता है। और महीने भर तक जब तक कि डिफरेंस का समझौता न हो जाय तब तक बिजली न काटी जायगी। तो इस दृष्टिकोण से आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और माननीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह जो सिफारिश, विधान परिषद् ने की है उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० और १९४८ के ऐक्ट के जरिये से आप सुविधा कंजूमर्स को दे सकते हैं। उस ऐक्ट को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन इनके अन्दर काफी धाराओं से रिलीफ दी जा सकती है। सरकार की कम्पनी जो कानपुर में है उसमें आप अण्डर टेकिंग दे सकते हैं। मैं सदन से फिर प्रार्थना करूंगा कि जो स्टैंड सदन ने पहले लिया था वह उसी पर कायम रहे और ३० के बजाय जो ७ किया गया है उसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न बहुत सीधा सादा है कि आया नोटिस ७ दिन की दी जाय या ३० दिन की दी जाय। अब सवाल यह है कि नादेहन्दगी को बढ़ाना मुनासिब है या नहीं। मैं समझता हूं नादेहन्दगी को बढ़ाना मुनासिब न होगा कि लोग ज्यादा दिन तक जायज चीज को अदा न करें। अगर वह नहीं करेंगे तो ७ दिन के अन्दर वह कट जायगी। लिहाजा ३० दिन का जो वक्त था वह बहुत ज्यादा था और उसकी जगह पर अब ७ दिन कर दिया गया है वह मुनासिब बात है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि यह ७ दिन की सिफारिश स्वीकार की जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—गवर्नमेंट एलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग इसकी परिभाषा में आते हैं या नहीं?

श्री हुकुम सिंह—I refer to the provisions of various acts. (मैं विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों का निर्देश करता हूं।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) में अंक "३०" के स्थान पर अंक "७" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "निश्चित" रख दिया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "निश्चित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड 'ख' की प्रथम पंक्ति में आदि के शब्द "किसी दूसरा" निकाल दिये जायं और शब्द "की" के बाद "किसी अन्य" शब्द रख दिये जायं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति में आदि के शब्द "किसी दूसरा" निकाल दिये जायं और शब्द "की" के बाद "किसी अन्य" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० उपखंड (२) में शब्द "विशेषत:" क बाद कामा (,) लगाकर शब्द "तथा" को "किन्तु" शब्द से बदल दिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) में शब्द "विशेषत:" के बाद कामा (,) लगाकर शब्द "तथा" को "किन्तु" शब्द से बदल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने अभी विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है यह सदन उस पर विचार नहीं कर सकता, यह अल्ट्रावायरस है और स्कोप के बाहर है। इसके ३ कारण हैं। पहला यह कि इस विधेयक के द्वारा सेक्शन ३ जो प्रिन्सिपल ऐक्ट का है उसमें लिखा हुआ है कि उसके खंड (२) के अनुसार---

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year....."

[प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय.....]

अध्यक्ष---यह आप कौन से ऐक्ट का हवाला दे रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं कह रहा हूं कि मूल ऐक्ट जो है उसके क्लाज ३ के उपखंड (२) में रिडक्शन का प्राविजन भी है।

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year....."

[प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय.....]

ओरीजीनल ऐक्ट की दफा ३ (२) में लिखा है---

"A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs.12,000/- or such larger amount as may be prescribed, shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year."

[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी बड़ी रकम से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर-निर्धारणवर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा।]

तो इसमें रिडक्शन का कोई प्रावीजन नहीं है। यह ओरीजीनल ऐक्ट के स्कोप के बाहर है चूंकि जब मूल ऐक्ट में रिडक्शन का प्रावीजन नहीं है तो इसमें रिडक्शन हो ही कैसे सकता है? जब तक धारा ३ की उपधारा (२) संशोधित नहीं की जाती तब तक यह प्रावीजन आ ही नहीं सकता है। दूसरे जो नये संशोधन विधेयक की धारा ६ में जो उपखंड २ है उसके अनुसार इस ऐक्ट का स्कोप इतना बढ़ाया जा रहा है कि जो पुराने ऐक्ट का लक्ष्य नहीं था। यहां तो हिन्दुस्तान भर के किसी भी टैक्स से इस सेल्स टैक्स को संबंधित कर दिया गया है। यह अनुचित है। पुराने सेल्स टैक्स ऐक्ट का बिलकुल यह मकसद नहीं था जो इसके प्रिएम्बिल से साफ हो जाता है।

---

*९ अक्तूबर, १९५२ को कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अजीब सी बहस शुरू कर रहे हैं। पहले स्कोप क्या था और अब उसे बढ़ाने का अधिकार है या नहीं, यही तो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न पर आपकी वैधानिक आपत्ति हो सकती है। लेकिन किसी विशेष संशोधन के स्कोप बढ़ जाने से विधेयक के बारे में विचार करने के लिए वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने टैक्स को किसी और प्रान्त के या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से संबंधित नहीं कर सकते। इसका चूंकि नाम यू० पी० सेल्स टैक्स है और इसके प्रिएम्बिल में लिखा हुआ है कि "Whereas it is expedient to provide for the levy of tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय]

किसी और दूसरे प्रांविस से पुराने ऐक्ट का कोई संबंध नहीं है। इसलिये यह हमारे स्कोप में नहीं है और इस सदन को अधिकार नहीं है कि हम और प्रान्तों के सेल्स टैक्स को अपने सेल्स टैक्स से मिला दें। इसके द्वारा वे तमाम स्टेट्स से इसको मिला देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही यदि होता तो किसी हालत में माना भी जा सकता था लेकिन सब स्टेट्स को इसके द्वारा मिला दिया जाता है जब कि किसी भी प्रान्त में ऐसा प्रावीजन नहीं है।

अब तीसरी आपत्ति धारा ४ के ऊपर है।

अध्यक्ष—अगर कोई धारा वैधानिक न हो तो किस प्रकार पूरा ऐक्ट विचार के योग्य नहीं है? इस पूरे बिल पर किस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता अगर उस पूरे बिल के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आप धाराओं के बारे में वैधानिक कोई आपत्ति इस समय पेश नहीं कर सकते। क्या यह संशोधित विधेयक पर कोई आपत्ति है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह हमारे स्कोप के बाहर है इस प्रकार का संशोधन पेश करके हम और प्रान्तों को भी बाधित करते हैं।

अध्यक्ष—मान लीजिये कि आपने जिसका जिक्र किया वह संशोधन रिजेक्ट कर भी दिया तो बाकी विधेयक तो रहेगा ही। आप ने यह नहीं बताया कि पूरे विधेयक पर विचार करने के लिये इस सदन को अधिकार है या नहीं।

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह इकबाल करना पड़ता है कि माननीय मित्र ने जो कुछ कहा वह न तो समझने की बात ही थी और न मेरी समझ में आयी। इस सदन के सामने जो प्रश्न उपस्थित है कि आया इस बिल पर विचार किया जाय या न किया जाय। हमारे मित्र इंकार करते हैं इस प्रकार का विचार करने से। हमारे मित्र ने यह भी बताया कि यह बिल प्रिन्सिपल ऐक्ट और इस सदन के स्कोप के बाहर है। उसका कारण यह बताया है कि उसमें तरमीम कर दी गयी है। अमेंडिंग बिल के मानी क्या होते हैं? किसी ओरीजिनल ऐक्ट की तरमीम के लिये अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वह संशोधन विधेयक कहलाता है। उससे उसमें तरमीम होती है। कुछ चीजें उसमें से निकाल दी जाती हैं और कुछ का इजाफा किया जाता है। ऐसी हालत में यह कहना कि यह इस सदन के अख्तियार के बाहर है मेरी समझ में नहीं आता। मैंने यह विधेयक रखा और इस विधेयक के द्वारा प्रिंसिपल ऐक्ट में तरमीम करना चाहता हूं। अगर उसमें कोई प्राविजन्स ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता तो उन पर विचार करते समय हम उसको क्रिटिसाइज करके रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि विचार ही नहीं हो सकता यह कौन सा कानून है यह कौनसा नियम है कि

इस पर विचार ही नहीं किया जा सकता। दफा २३ का हवाला देते हुये आपने फरमाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट का संबंध आपने कर दिया है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से धारा २३ को पढ़ देना चाहता हूं।

"All particulars contained in any statement made return furnished or accounts or document produced under the provisions of the Act or the Rules made thereunder or in any evidence given or affidavit or deposition made in the course of any proceeding under the Act or the Rules made thereunder or in any record of any proceeding relating to the recovery of a demand prepared for the purpose of the Act or the Rules made thereunder shall be treated as confidential."

[इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार जो विवरण पत्र या लेखे या लेख पत्र प्रस्तुत किये जायं, अथवा जो साक्ष्य या शपथ-पत्र, जो इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में दिये जायं, अथवा किसी मांग की उगाही से संबंधित किसी कार्यवाही के जो लेखे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के प्रयोजन के लिये तैयार किया जाय, इन सब में जो कुछ विषय होगा, वह गोपनीय माना जायगा।]

इस धारा की रू से यह जो कार्यवाही है वह कान्फीडेंशियल मानी जाती है और किसी को कम्युनिकेट नहीं की जाती।

अध्यक्ष—यह आप किस धारा की कह रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—धारा २३ की कह रहा हूं।

जो इस विधेयक में रखा गया है उसका मतलब, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम इस प्रोसीडिंग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करें तो वह कांफीडेंशियल न रखी जाय। इसके अलावा न हमने उनसे कोई रिश्ता जोड़ा है, न संबंध जोड़ा है। और न आपके स्कोप के बाहर जाता है। अभी तक गवर्नमेंट किसी को डिस्क्लोज नहीं करती थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है क्योंकि उन्होंने अपने इनकम टैक्स के बारे में हमको डिस्क्लोज किया है तो हम भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। यह एक बिलकुल रेसिप्रोकल बात है। कोई किसी ऐक्ट को इवेड न कर सके इसलिये इस बात की जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ इत्तलात मिलें ताकि जो कंफिडेंशियल बात को हम उन्हें बतला सकें। पहले हम उनको ऐसी कोई चीज देते नहीं थे लेकिन अब देंगे। महज इस दिक्कत को दूर करने के लिये यह तरमीम रखी गयी है। इसमें और कोई आपत्ति की बात नहीं मिलती। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने कोई कानूनी बात नहीं कही, जिसकी वजह से इस विधेयक पर विचार करने में कोई दिक्कत दरपेश आवे। मैं समझता हूं कि श्रीमान्, सदन को आज्ञा देंगे कि इस प्रश्न के ऊपर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ए, बी, सी, स्टेट्स से आप इसको कैसे लिंक करते हैं?

अध्यक्ष—जब खंड में आप कोई आपत्ति उठावें तो उस वक्त आप कह लीजियेगा यह स्पष्ट नहीं है कि वैधानिक आपत्ति इस विषय में है क्या, इस विधेयक पर विचार करने के बारे में। जो एक बात बतलायी गयी कि जो मूल अधिनियम है उसकी परिधि के बाहर यह नया विधेयक जाता है या थोड़ा बहुत जाता है। तो मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि हर एक संशोधन कुछ न कुछ परिधि के बाहर तो जाता ही है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि जो मूल अधिनियम है वह इस सदन का ही है। इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि बिलकुल शुरू से आखिर तक पहला जो अधिनियम है उसको परिवर्तित करके, उसका संशोधन करके उसे नया रूप दे सकता है। यह अधिकार होते हुये भी इस सदन को देखना है कि यह स्कोप के बाहर जाता है या नहीं जाता है। यहां तो सिर्फ उसके गुणों पर विचार

[अध्यक्ष]

होगा और यह सदन निर्णय करेगा कि उसको मूल अधिनियम के स्कोप के बाहर जाना चाहिये कि नहीं जाना चाहिये। इस सदन को अधिकार है या नहीं है इसका कोई सही कारण नहीं बतलाया गया न कोई सही कानूनी अड़चन बतलायी गयी कि सदन इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर सकता। इसलिये मैं इसके ऊपर विचार करना अवैधानिक नहीं समझता हूं।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—यहां कोई मिनिस्टर तो है नहीं क्या कार्यवाही होगी।

अधिष्ठाता—श्री मंगला प्रसाद तो हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, कार्यवाही कैसे होगी क्योंकि जिन्होंने विचार करने के लिये उपस्थित किया था वे तो यहां हैं ही नहीं।

अधिष्ठाता—वे आ गये। माननीय उद्योग मंत्री जी, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—क्यों यह विधेयक लाया गया उसके बारे में केवल आबजेक्ट्स और रीजन्स पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। वह आबजेक्ट्स ये हैं—"एक पृथक् विधान द्वारा बिजली के उपभोग पर कर लगाने का विचार है। अतः संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट में से बिजली संबंधी उपबन्ध निकाल दिये गये हैं। इसलिये बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ अन्य साधारण संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धन की न्यूनतम सीमा, जिस पर किसी व्यापारी के कर देने का दायित्व अवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये जाने या उसकी वसूली के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ सूचना के पारस्परिक आदान प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था।

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।"

जैसा अभी एलेक्ट्रिसिटी बिल इस सदन ने पास किया है कौंसिल की सिफ़ारिशों का तो इस बिल के पास हो जाने के बाद इस मौजूदा ऐक्ट में कुछ तरमीम की आवश्यकता पड़ी क्योंकि बिजली एक्जेम्प्ट थी लिहाजा उसका निकालना जरूरी था और जब यह तरमीम लाना आवश्यक समझा गया तो उसमें दो एक चीजों की जरूरत थीं वह भी लाई गई जैसा कि आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी और बिल में भी दिया गया है। और इसी उद्देश्य से यह बिल आया है। मैं समझता हूं कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से जो यह सेल्स टैक्स संशोधक विधेयक रखा उसके उद्देश्य और कारणों को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिलकुल निर्दोष विधेयक है और इसमें जो संशोधन किये जा रहे हैं वे संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट में से बिजली के संबंध में उपबन्ध निकाल देने के लिये हैं। चूंकि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट के अनुसार बिजली पर से सेल टैक्स हटा दिया जा रहा है। इसलिये इन उपबन्धों से और सेल्स टैक्स विधेयक से वैसे भी कुछ उपबन्धों का निकाल दिया जाना आवश्यक था इसलिये ही यह संशोधन लाया गया है। बहुत ठीक है और शायद इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन वह उनकी मजबूरी थी। चूंकि एलेक्ट्रिसिटी ड्यिुटी ऐक्ट भी चाहे न होता तब भी मैंने जैसा कि निवेदन किया एसेंशल गुड्स ऐक्ट के मातहत उन को यह संशोधन लाना ही पड़ता है तो जहां तक

एलेक्ट्रिसिटी ड्युटी ऐक्ट का संबंध है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया अगर वह भी न होता तब भी एसंशेयल गुड्स ऐक्ट के अनुसार संशोधित होना आवश्यक था। परन्तु यह चीज उद्देश्य और कारणों में नहीं है। यह बात सरकार को स्पष्ट करनी चाहिये थी। लेकिन इसके बाद आगे जो संशोधन आ रहे हैं यह तो मैं समझता हूं कि ऐसे असाधारण संशोधन हैं जिन को किसी भी हालत में साधारण नहीं कहा जा सकता। हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में जितने सेल्स ऐक्ट हैं वहां पर कोई भी इस प्रकार की धारायें नहीं हैं जो कि माननीय मंत्री जी अपने इस विधेयक द्वारा ला रहे हैं। ठीक था। सेल्स ऐक्ट में संशोधन होना चाहिये था। संशोधन की आवश्यकता भी थी और उसका स्कोप बढ़ाने की भी आवश्यकता थी। लेकिन प्रश्न यह है कि इस सेल्स टैक्स ऐक्ट में क्या संशोधन होने चाहिये थे और क्या हो रहे हैं। आज माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं हैं क्या माननीय उद्योग मंत्री और सरकार यह नहीं जानती थी कि उन्हें खुद एक सेंटर की कानफ्रेंस में जाना था जो मुख्यतया सेल्स टैक्स के शासन पर ही दिल्ली में हो रही है और मैं समझता हूं कि शायद आज ही स्थगित हुई है और वह इसी लिये बुलायी गयी थी कि विधान की धारा २८६ को किस प्रकार प्रयोग किया जाय सेल्स टैक्स के संबंध में, और इसके लिये कि गुड्स ऐक्ट के पास होने के बाद किस प्रकार सेल्स टैक्स का शासन प्रबन्ध चलाया जाय ; किस प्रकार विभिन्न प्रान्तों के सेल्स टैक्स की दरों को नियमित किया जाय। ऐसा न हो कि कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम हो। इसलिये सेल्स टैक्स कानफ्रेंस हो रही थी। अगर हमारी सरकार एक महीना रुक जाती और कमेटी की रिपोर्ट सामने आ जाती कि किस प्रकार आज जो विभिन्न प्रान्तों में सेल्स टैक्स की दरें हैं उस पर उस कमेटी की क्या राय होती है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूं कि कल ही के अखबार में उन्होंने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी मिनिस्टरों को बुलाया था, उनकी एक कमेटी बनी है। उसको फौरन ही रिपोर्ट देनी है। तो इस पर विचार हो जाने के बाद अगर सरकार सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल लायी होती तो मैं बधाई देता कि आप दूसरे प्रान्तों से इस प्रान्त में सेल्स टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन था उस को मिटाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक तरफ देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसी प्रान्तीय सरकार के सहयोग से सेल्स टैक्स पर उचित विनिमय के लिये एक सम्मेलन बुला रही है, उसी समय वही प्रान्तीय सरकार सेल्स टैक्स में एक ऐसा संशोधन लाती है जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है। किस प्रकार बढ़ाता है उस के बारे में उद्देश्य और कारणों में बिलकुल कोई जिक्र नहीं है वह बिलकुल चुप है। इस संशोधन विधेयक का खंड ४ जो है मैं निवेदन करूंगा कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि "मूल अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायेंगे और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।" यह कोई साधारण संशोधन नहीं है। उद्देश्य और कारणों को माननीय सदन देखे कि चौथे खंड के मुताल्लिक बिलकुल चुप्पी साध ली गयी है। माननीय मंत्री जी ने भी कृपा करके जब उद्देश्य और कारण बताये तो उन्होंने यह नहीं बताया कि यह धारा ४ इस असेम्बली के अधिकार छीन रही है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर उन्होंने मूल ऐक्ट देखा होगा तो मूल ऐक्ट के अनुसार जितने भी सेल्स टैक्स संबंधी नियम सरकार समय समय पर बनाती रही है वह सभी नियम इस सदन के सामने आने चाहिये, चाहे वह दर के बढ़ाने वाले हों या घटाने वाले हों, चाहे वह सेल्स टैक्स के शासन प्रबन्ध में कोई नई चीज लाने वाले हों। वह बिना इस सदन की स्वीकृति के कभी मंजूर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आज इस खंड ४ को हम मंजूर कर लेते हैं तो आज तक सन् ४८ से जो इस सदन का अधिकार रहा है कि सेल्स टैक्स के शासन प्रबन्ध में हमारा एक उचित कंट्रोल उन पर होना चाहिये, जो ताकत थी रूल्स को मंजूर करने और अस्वीकृत करने की वह खत्म होने जा रही है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या सन् ४८ में सरकार ने यह नहीं सोचा था कि सेल्स टैक्स शासन प्रबन्ध में जो नियम बनाये जायेंगे उनको सदन के सामने लाना पड़ेगा और उसकी राय लेनी पड़ेगी या नहीं। इसी सदन ने सन् ४८ में इस बात का फैसला किया कि जब कभी सेल्स टैक्स के बारे में नियम बनेंगे तो सदन की स्वीकृति से बनेंगे। लेकिन आज यह संशोधन लया जा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रहा है कि असेम्बली अपने उस अधिकार को सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और सरकार को इस बात का पूरा अधिकार दे दे कि रूल्स बनाने के बजाय वह नोटिफिकेशन इश्यू करें। रूल और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? रूल्स और नोटिफिकेशन गजेट हो जाते हैं लेकिन पुराने ऐक्ट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन असेम्बली की मंजूरी के लिये या नोटिफिकेशन को असेम्बली की मंजूरी के लिये लाना आवश्यक हो। लेकिन धारा २५ के अनुसार उन नियमों को असेम्बली के सामने लाना आवश्यक था। मैं मूल ऐक्ट की धारा २५ पढ़ देना चाहता हूं। मूल ऐक्ट की धारा २४ जो नियमों के संबंध में है वह यह है कि,

"The state government may make rules to carry out the purposes of this Act."

[राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।]

और उसका सब सेक्शन (५) जो है वह यह है—

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

अब जो धारा ३ जिसमें संशोधन किया है, उसमें लिखा हुआ है ३-ए में कि—

"Notwithstanding anything contained in section 3, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that the turnover in respect of any goods or class of goods shall not be liable to tax except as such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी विक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय किसी माल अथवा माल के किस्मों के विक्रय धन पर, कर नहीं लगेगा।]

अब "प्रेस्क्राइब्ड" की परिभाषा क्या है? उसमें है।

"'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

["निर्धारित" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुये नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है।]

तो आज्ञा जब सेल्स टैक्स की दरों के घटाने बढ़ाने की होती थी तो सरकार के लिये लाजमी था कि उनको प्रेस्क्राइब कर दे और ऐक्ट के अनुसार उनको रूल्स बनाना आवश्यक था और जब रूल्स बनाना आवश्यक था तो ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार मंजूरी के लिये असेम्बली में लाना आवश्यक था। लेकिन इस संशोधन के द्वारा वह अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिये हमें कोई कारण भी नहीं बतलाया गया। अगर आगे के लिये ही कोई ऐसी बात होती तो समझ में आ सकती थी लेकिन सरकार तो इस संशोधन के द्वारा चाहती है कि उनके संबंध में समझा जायगा कि सदा से ही उस स्थान पर रखी गयी थी। जितने

गलत या सही रूल्स इस प्रकार बने या नटिफिकेशन इश्यू हुये बिना असेम्बली की सलाह के या पूछे हुये वह सब जायज माने जायं, इतना बड़ा अधिकार सरकार हम से मांगने जा रही है। श्रीमन्, मैं तो साफ साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन के जरिये उन रूल्स पर मंजूरी हासिल करना चाहती है इंडाइरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से नहीं, जो कि पहली अक्टूबर सन् १९५२ से सेल्स टैक्स के बारे में उसने इंफोर्स किये हैं। श्रीमन्, उस दिन मैंने एक काम रोको प्रस्ताव आप की आज्ञा से यहां पर रखा था जबकि शुरू में यहां पर असेम्बली का सेशन चला था कि ६ तारीख को कि पहली अक्तूबर को जिन चीजों पर सरकार ने सेल्स टैक्स लगाया है या बढ़ाया है उस पर यह सदन विचार करे। वह मैंने इसी ऐक्ट की धारा के अनुसार कान रोको प्रस्ताव रखा था। उस समय उस पर विचार नहीं हो सका। आज मैं उस प्रश्न को दोहराना चाहता हूं कि बजाय इस बात के कि सरकार ने पहली अक्टूबर सन् १९५२ को इस ऐक्ट के अनुसार जो रूल्स लागू किये उनको वह इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये रखती, उसने स्वीकृत नहीं ली, और वह इस प्रकार का संशोधन करके कि पहले जो नियम बन चुके हैं वे भी स्वीकार किये जायं इस सदन को चक्कर में डालना चाहती है। क्या यह सरकार के लिये शोभनीय है। मैं श्रीमन् आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर डेवलपमेंट लेवी और बेटरमेंट लेवी की प्रस्तावित दरों के ऊपर जो असंतोष की मात्रा बढ़ी और कांग्रेस पारटी के अन्दर जो प्रगतिशील सदस्य थे और जो टैक्शेशन का विरोध कर रहे थे, उनकी भावनाओं को देख कर कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी पारटी के प्रगतिशील सदस्यों की आवाज को सुन करके जो सेल्स टैक्स के बढ़ाने की दरें हैं उनको उनकी मंजूरी के लिये उनके सामने रख सके। इस लिये इंडाइरेक्ट तरीके से यह कोशिश की गयी कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जाय। पहली अक्टूबर सन् १९५२ को जो सेल्स टैक्स की दरें बढाई गयीं वे क्या थीं वे इस प्रकार हैं। पहली अक्टूबर सन् १९५२ के नियमों के अनुसार "jute manufactures of all kinds inciuding gunny bags and hessian" [जूट से प्रनिर्मित सब प्रकार के समान जिनमें गनीबैग और हेशियन भी सम्मिलित है।] इस प्रकार सेल्स टैक्स की दर छै पाई फी रुपया थी। उसको बढ़ा दिया गया। जो बीड़ियों के ऊपर जून सन् १९४८ को ३ पाई फी रुपया दर थी उसको दूना कर दिया गया यानी ६ पाई कर दिया गया। सिग्रेट और पाइप टुबैको के ऊपर ६ पाई अगस्त सन् ५० से दरें थीं परन्तु उनको बढ़ा करके ९ पाई फी रुपया कर दिया गया। एक पैसा फी रुपया बढ़ा दिया गया। सिगार के ऊपर पहली सितम्बर सन् १९४८ को ६ पाई सेल्स टैक्स की दर थी और उसको ९ पाई बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मैंचेज, जूट गुड्स, खंडसारी ऐंड जैगरी पावडर्स, दियासलाई, जूट के सामान, खंडसारी और गुड़ के पावडर के ऊपर ६ पाई फी रुपया सेल्स टैक्स की नयी दर लगा दी गयी। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस ऐक्ट के अनुसार रूल्स को इस असेम्बली के सामने रखा गया? अगर मान लिया जाय कि संशोधन करना ही था तो ऐक्ट के अनुसार रूल्स हमारे सामने रखने थे और इस सदन की स्वीकृत लेनी थी। बहुत संभव था कि हम लोग स्वीकृति दे देते कि आप ने अगर बढ़ाया है, आप कारण बतलायें, हम हैं बढ़ाने के लिये तैयार लेकिन बगैर कारण बतलाये अकारण ही आप रूल्स बना दें और उनको नोटिफाई भी कर दें तो यह तो इस ऐक्ट की अव लना है, इस सदन के द्वारा बनाये हुये ऐक्ट की अवहेलना है और इस सदन की अवहेलना है। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि "सदा से" जो शब्द सरकार ने इस्तेमाल कर दिया, तो कितने नोटिफिकेशन आप ने निकाले जिनको आप इस संशोधन के द्वारा नियमित करना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी के लिये यह उपयुक्त नहीं था कि माननीय मंत्री जी बतलाते की फलां नोटिफिकेशन था, जो रैटिफाई नहीं हुआ, जो हमने आप को स्वीकृति के लिये नहीं रखा, अब हम उसको नियमित कराना चाहते हैं? मैं आज भी नियमों के अनुसार श्रीमन् आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे सदन के सामने सभी नोटिफिकेशन्स को रखें जिन को इस विधेयक के आने के पहले सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है। हमारे पास सब गजेट नहीं है। हमारे पास तभी से गजेट हैं जब से हम मेम्बर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुये हैं। उससे पहले के जितने नोटिफिकेशन्स हैं. उनको माननीय मंत्री जी हमारे सामने रखें ताकि हमको विचार करने में सहूलियत हो। और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा सेल्स टैक्स के बढ़ाये गये रेट्स एशेंशल गुड्स ऐक्ट के खिलाफ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले प्वाइण्ट आफ आर्डर के वक्त कहा था, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, केवल शेड्यूल की वह धारा पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "कोर्स ऐंड मीडियम हैंडलूम क्लाथ"। तो जूट गुड्स और मैन्युफैक्चर जो रेट्स में डाल दिया गया है यह एशेंशल गुड्स ऐक्ट के खिलाफ जाता है चूंकि हैंडलूम क्लाथ जो है उसमें जूट का सामान भी हो सकता है, जूट ऐंड काटन बोथ। इसमें यह तो नहीं है कि काटन हैंडलूम क्लाथ। अगर यह होता तो मैं कहता कि जूट सेल्स टैक्स के लिये आ सकता है। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जूट क्लाथ या काटन क्लाथ सभी एक्जेम्ट होंगे। तो यह वैसे भी नियमित नहीं है। आखिर सरकार का इतना बड़ा सेक्रेटेरियट है, उसके पास इतने बड़े साधन हैं, उनको तो मालूम होना चाहिये कि इसमें कौन से एग्जेम्शन हैं। आप यह चाहते हैं कि कोई बिल आप यहां पर लायें और हम उसको जल्दी से जल्दी पास कर दें और कुछ कहें भी न। मैं तो यह कहूंगा, श्रीमन्, कि यह धारा ४ किसी भी सिद्धांत से नियमित नहीं है।

इसके बाद, श्रीमन्, हम खंड ३ और उपखंड २ को ले लें। इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं आम बहस के समय उसको और स्पष्ट कर दूं तो मैं आपकी आज्ञा से उसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह ठीक है, श्रीमन्, कि हमें हमेशा अधिकार है कि हम किसी भी मूल ऐक्ट के स्कोप को बढ़ा दें या किसी भी मूल ऐक्ट की धाराओं को बढ़ा दें। इससे मैं अनिभिज्ञ नहीं हूं। लेकिन जब मूल ऐक्ट में वह संशोधन और मूल ऐक्ट की धारायें परस्पर विरोधी होती हैं तब उसके लिये क्या चारा रह जाता है? अगर माननीय मंत्री जी अपने विधेयक के द्वारा मूल ऐक्ट की धारा ३, उपधारा २ में कोई ऐसा संशोधन लायें होते जिसके अनुसार रेडक्शन का प्राविजन होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब मूल ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा २ मे रेडक्शन का या सालाना असेसमेंट का जो एक रेट तय कर दिया गया १५ हजार रुपये रामे घटाने का कोई प्राविजन है ही नहीं तो प्रतिबन्ध के द्वारा जो कहा गया है कि घटा दिया जायगा तो घटा कहां से दिया जायगा जब मूल ऐक्ट में ही नहीं है। यह परस्पर विरोधी है। मैं आपकी आज्ञा से नियम पढ़ देना चाहता हूं जो इस मूल ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा २ के संबध में बनाया गया है :—

"Chapter II—Taxable Turnover : Rule 7——

Larger amount mentioned in proviso 2 to section 3 shall be raised to 15 thousand and a dealer whose turnover is less than Rs. 15,000 shall not be liable to pay tax under this Act."

[अध्याय २—कर योग्य विक्रय धन नियम ७ वह बड़ी रकम, जिसका उल्लेख धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड (२) में किया गया है, १५,००० रुपये होगी और यदि किसी व्यापारी का विक्रय धन १५,००० रुपये से कम हो तो उसको अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं देना होगा।]

यानी १५ हजार रुपये रूल्स के अनुसार सरकार ने एक बार तय कर दिये हैं और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस ऐक्ट के अनुसार १५ हजार रुपये से कम जिसका सालाना टर्नओवर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस संशोधन के जरिये कहा जाता है कि "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खड के उपखंड २ में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय"। तो कम कर दी जाय का सवाल ही नहीं उठता। न तो यह मूल ऐक्ट में है और उन इसी सरकार द्वारा बनाये गये रूल्स में है।

रूल्स में १५,००० रुपया परमानेंटली रख दिया है तो, श्रीमन्, इसमें कितना रिडक्शन होगा यह भी स्पष्ट नहीं है कि एक हजार रिडक्शन होगा या दो हजार होगा या कितना होगा इसका कोई प्रावीजन इसमें नहीं है। श्रीमन्, मैंने आल इंडिया सेल्स टैक्स मैनुअल में भी ढूंढ़ा और देखने की कोशिश की कि जहां रिडक्शन का सवाल है तो वहां पर उसमें कोई लिमिट तो अवश्य रखी होगी, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने जहां पर रिडक्शन का सवाल है कोई लिमिट नहीं रखी है। "If the amount prescribed" (यदि विहित धनराशि) करके छोड़ दिया है। १५ हजार रुपये रख कर छोड़ दिया है और कितनी कमी होगी यह स्पष्ट नहीं किया है।

श्रीमन्, ऐसे अस्पष्ट संशोधनों को लाकर सरकार चाहती है कि हम उनको मंजूर कर लें तो यह असंभव है कि हम गलत संशोधन मंजूर कर लें। आप देखें कि बिहार में इस संबंध में जो लिमिट लगी हुई है वह १०,००० रुपये रखी हुई है। इससे कम टैक्सेबिल टर्न ओवर नहीं होंगे। लेकिन इस संशोधन में कोई भी लिमिट नहीं है। मध्य भारत में १२ हजार रुपये की लिमिट रखी गई है। ईस्ट पंजाब में तीन हिस्से किये गये हैं। मैन्यूफेक्चर्स, कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा इम्पोर्टर्स और दूसरे डीलर्स। इनमें से मैन्युफेक्चरस को ५,०००, कोआपरेटिव सोसाइटीज को ३०,००० और इम्पोरटर्स को ५,००० रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह लिमिट रखी गई है। हमारे ऐक्ट में भी है लेकिन इस संशोधन में कोई लिमिट नहीं है। यह कैसे हो सकता है? बम्बई को लीजिये। वहां भी १५,००० रुपये की लिमिट रखी गई है। इसी प्रकार और भी दूसरी धाराओं के संशोधन हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अप्रासंगिक है, अनियमित है और अस्पष्ट है।

अब आइये आखिरी धारा जो इसकी धारा ६ है, उसमें लिखा हुआ है जो नया उपखंड ६ जोड़ा जा रहा है

"केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रगट किया जाना आवश्यकोय हो।" इतनी ज्यादा ताकत आप कैसे दे रहे हैं कि किसी भी व्यापारी के कंफीडेंशियल रिकार्डस को देख सके। आप सारे ऐक्ट को एप्लाई कर लें लेकिन यह कहीं भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे हमें बतलावें कि किसी भी प्रांत में इस प्रकार की धारायें और संशोधन लाये जा रहे हैं। किसी प्रांत को टैक्स बढ़ाने के लिये किसी व्यापारी के रजिस्टर्ड पेश कर देंगे या डाकूमेंटस् पेश कर देंगे, कहीं भी नहीं है।

जब मैंने और प्रांतों में देखने की कोशिश की तो मुझे केवल बिहार में एक ऐसी धारा मिली जिसमें कहा गया है। बिहार सब सैक्शन ५—

"In order to assist an officer to the Central Government in carrrying out the duties connected with the imposition and recovery of any tax."

[केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की किसी कर के आरोपण या वसूली से संबद्ध कर्त्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिये]

सिर्फ बिहार में है और वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये और प्रान्तों के लिये नहीं है। यह नहीं कि यू० पी० आ जाय या मद्रास आ जाय। इस तरह से वे देखें कि और प्रान्त वालों की मंजूर नहीं किया है और यह नहीं कहा कि वह दूकानदारों के रजिस्टर्स देखेंगे। लेकिन हमारी सरकार बड़ी जनरल है और उसने अपने आप इस बात को रख दिया है कि कोई भी सरकार हमारे यहां व्यापारियों के रजिस्टर्स वग़ैरह को देख ले तो कितनी दिक्कत होगी। किन्तु दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि व्यापारी वर्ग विरोध करेगा और सरकार यह भी जान ले कि अगर वह व्यापारी वर्ग पर दवाब डालेगी कि वे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कांफिडेंशियल डाक्युमेंट्स दिखला दें टैक्सेशन के लिये तो, श्रीमन्, दो बहियों वाला, एक असल और एक जाली, फारमूला जारी हो जायगा। ब्लैक मार्केटियर्स दो बहियां रखते हैं एक असल और एक जाली जब टैक्सेशन का सवाल आता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्राविजन्स रखे गये तो व्यापारी वर्ग में जो गैर जिम्मेदार तबका है जो इस प्रकार के रजिस्टर्स रखता है उसकी टेडेंसी और बढ़ेगी अगर आप इस तरह के स्वीपिंग अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे कि कांफिडेंशियल डाक्युमेंट्स को इस प्रकार से एक्सपोज कर दिया जाय।

मैं बिहार की बाबत बतला रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह कोई कांफिडेंशियल फाइल देख सके। आसाम में भी ऐसा प्राविजन है—

"To assist an officer of Assam State to levy and realise any State tax."

[किसी राज्य-कर के लगाने या वसूल करने में आसाम राज्य के अधिकारी की सहायता करने के लिए]

आसाम सरकार से सम्बन्धित आसाम सरकार के द्वारा किसी भी प्रान्तीय टैक्स की ससूली के लिये कोई रजिस्टर देखना हो तो उसे देखा जा सकता है। ऐसा कोई प्राविजन हमने नहीं रक्खा है। हमने ऐसा कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अपनी स्टेट की वसूलियों के लिये हम रजिस्टर्स को देख सकें, दूसरे के टैक्सेज के लिये हम बड़े फैयाज़ बन रहे हैं, उनकी टैक्स की वसूली के लिये हम आसानी मुहइया कर रहे हैं।

जहां तक स्टेट्स का सवाल है मैंने प्वाइंट आफ आर्डर के जरिये माननीय मंत्री से पूछा था जिस वक्त वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हवाला दे रहे थे। मैंने कहा था कि हम इसे मानते हैं लेकिन जो यह पार्ट ए, बी और सी स्टेट्स की सरकारों को अधिकार दिया जा रहा है क्या यह अनियमित नहीं है तो उसका जवाब माननीय मंत्री ने नहीं दिया। इसके साथ ही साथ जब माननीय मंत्री इस प्रकार स्कोप को बढ़ा रहे हैं कि और प्रान्तों के टैक्सेज इसमें सम्मिलित हो जायं और हम अपनी स्टेट के दूकानदारों को मजबूर करें कि वे अपने कांफिडेंशियल रजिस्टर्स इन सरकारों को दिखा दें तो हमें सेल्स टैक्स ऐक्ट के प्रिएम्बिल में ही परिवर्तन करना चाहिये था, नाम में ही परिवर्तन करना चाहिये था। इस पुराने सेल्स टैक्स का जो मेन ऐक्ट है उसका प्रिएम्बिल इस प्रकार है—

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh....."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदे में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय...]

[केवल इतना ही प्रिएम्बिल है। अगर हम इसका स्कोप बढ़ायेंगे और सरकार चाहती थी कि पुराने सेल्स टैक्स ऐक्ट का स्कोप बढ़े तो उसको इसके प्रिएंबिल में इतना और बढ़ाना चाहिये था इस संशोधन को मंजूर करने के लिये—

"And to provide for the assistance for the levying of any tax by any State Government or the Central Government."

[किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार किसी कर के लगाने में सहायता का उपबन्ध करने के लिये।]

लेकिन प्रिएम्बिल में स्कोप नहीं बढ़ाया और इनऐक्टमेंट में बढ़ा लिया तो यह कितना बड़ा लीगल कंफ्यूजन हो गया है। जो प्रिएम्बिल है उसका तो लिमिटेड स्कोप है लेकिन इनऐक्टमेंट में स्कोप बढ़ाया जा रहा है यह कहां तक उचित है। इसे हमारे माननीय मंत्री जी और यह सरकार ही जाने। मैंने लीगल अथारिटीज को कंसल्ट करने की कोशिश की कि प्रिएम्बिल और इनऐक्टमेंट में क्या सम्बन्ध होना चाहिये। मैं इसे बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न समझता हूं। इसमें सदन की मर्यादा का सवाल है और इसे मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूं कि प्रिएम्बिल और इनऐक्टमेंट का स्कोप एक ही होना चाहिये या दोनों की दिशाओं में फर्क होना चाहिये। अगर ऐसी स्थिति है तो, श्रीमन्, मैं क्या कहूं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस सदन में ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें मैंने बहुत सी अथारिटीज़ को देखा कि प्रियम्बिल और इनऐक्टमेंट के सम्बन्ध में जो परिभाषा है उसमें उनकी क्या राय है। उसमें लिखा है कि—

"Preamble is the key to the meaning of the Act. It may afford useful light to what the Statute intends to reach but if an enactment is itself clear and unambiguous no preamble can qualify or cut down the enactment.

(Powell vs. Race-course.)"

[प्रस्तावना अधिनियम के अर्थों की कुंजी है। यह इस बात पर उपयोगी प्रकाश डाल सकता है कि संविधि से क्या अभिप्रेत है किन्तु यदि विधायन स्वयं स्पष्ट तथा असंदिग्ध हो तो कोई प्रस्तावना विधायन को निर्बद्ध नहीं कर सकती या काट नहीं सकती (प्रावेल बनाम रेस कोर्स।]

अब आप श्रीमन् देखिये कि जो इन्होंने कहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रियम्बिल इनऐक्टमेंट की कुंजी है लेकिन अगर इनऐक्टमेंट क्लीयर है तो वहां पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है। आपने प्रियम्बिल का स्कोप इनऐक्टमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपका जो संशोधन है वह प्रियम्बिल के स्कोप को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देता है। प्रियम्बिल के लिये अगर कोई संशोधन आता तो मैं मान लेता लेकिन प्रियम्बिल तो कम रहा और इनऐक्टमेंट को वह बढ़ा देता है वह किस कानन की काबलियत है। इस पर श्रीमान् विचार कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बहुत जजमेंट हुये हैं। इंगलैण्ड की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं—

"If very general language is used in an enactment which it is clear must have been intended to have some limitation put upon it, the preamble may be used to indicate to what particular instances the enactment is intended to apply.

(Vasudev vs. Rex.)"

[यदि किसी विधायन में बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से इस पर कोई निर्बन्धन लगाना हो तो यह संकेत करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है कि किन विशेष प्रकरणों में विधायन को लाग करने का मंशा है।

(वासुदेव बनाम रैक्स)]

हर एक प्रकार से लीगल अथारिटीज इस बात को कहती हैं कि प्रिएम्बिल का स्कोप ज्यादा होता है जिस तरह से बैलून होता है जब वह फूंका जाता है तो वह पूरे आकार को ग्रहण कर लेता है। यहां पर अगर प्रिएम्बिल को फूंका जाता है तो वह इनऐक्टमेंट का रूप पूरा हो जाता है। इसके बारे में मैंने हिन्दुस्तान की भी मिसाल देखी। वासुदेव वर्सस किंग तो उसमें यह है कि—

"Where the enactment part is ambiguous, the preamble can be referred to explain....."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

[जहां विधायन भाग संदिग्ध हो, तो व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना निर्दिष्ट की जा सकती है....]

यह हिन्दुस्तान के बारे में साफ़ कहा गया है कि प्रियम्बिल को एक्सप्लेन करने के लिये उसका दायरा बढ़ाया जाता है। इसीलिये मैंने यह उदाहरण दिया ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि जो संशोधन हमारे सामने लाये हैं कि इसको मंजूर किया जाय वह प्रियम्बिल बिल्कुल अलग है और मुख्तलिफ है। हमने केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर गुड्स सेल से लेवी करने के लिये कहा है लेकिन यह नहीं कहा है कि प्रान्त के अन्दर जो और टैक्स हैं उनको भी वसूल करने में मदद इससे ली जाय। इसलिये यह प्रिएम्बिल बिल्कुल खिलाफ है और गैर कानूनी है और इस इनऐक्टमेंट के बाहर है।

इसके बाद मैं फिर आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक की धाराओं में कितना गलत है और कितना असंगत है। आप संशोधन क्यों चाहते हैं इसके लिये जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार अगर इसके मुताल्लिक कुछ फैसला करती है कि सेल्स टैक्स से हम जो वसूल करते हैं वह तो करते ही हैं लेकिन इस सेल्स टैक्स के रेट्स के हिसाब से हम कुछ और रखना चाहते हैं तो अच्छा होता लेकिन हम देखते हैं कि सरकार अपने सेल्स टैक्स की नीति पर तो अड़ी हुई है जो सन् ४६ में शुरू किया था वही चल रहा है। सेल्स टैक्स यह नहीं देखता है कि जो पे करते हैं उनकी कैपिसिटी क्या है। इसके जरिये से और ताकत सरकार की बढ़ाई जा रही है अगर हम इसको मंजूर करते हैं तो इस विधेयक के जरिये से सरकार को पूर्ण अधिकार हो जाता है कि उसके पास लिमिटलेस पावर हो जाती है और जितना भी सेल्स टैक्स वह लेना चाहें तो ले सकते हैं। जितना चाहें लगा सकते हैं लेकिन यह अधिकार वह अपने हाथ में ले लेते हैं। चाहे जिस पद्धति को इस विधेयक के द्वारा सरकार हमसे मजबूत करने को कहती हो चाहे जितना बढ़ाने को कहती हो लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह क़दम प्रतिक्रियावादी है। इसलिये कि यह सेल्स टैक्स रिटेलर पर नहीं पड़ता, होलसेलर पर नहीं पड़ता न मैनुफेक्चरर पर पड़ता है बल्कि वह सारा असर कनज्यूमर पर ही पड़ता है कि जो अपने खर्च के लिये सामान खरीदता है। जो जीवन की आवश्यकतायें हैं उन पर यदि यह न लगता होता तो हम कह सकते थे कि वह जीवन की जरूरतों पर नहीं है बल्कि लग्जरीज पर है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बीड़ी सिगरेट सब पर लगता है जबकि वह जीवन के लिये जरूरी चीजें नहीं हैं। चाहे लोग बीड़ी सिगरेट ग़म गलत करने को ही क्यों न पीते हों लेकिन यह भी एक ऐक्ट है कि आज यहां के ७५ प्रतिशत लोग बीड़ी या सिगरेट आदि पीते हैं और यह टैक्स उनकी इस कमजोरी तक से फ़ायदा उठाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन ग़रीबों की इस कमजोरी से फायदा उठा कर और उन पर सेल्स टैक्स बढ़ा कर गवर्नमेंट कौन से उसूल को यहां लागू कर रही है ? जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स टैक्स यह भी नहीं देखता कि खरीदने वालों की बचत क्या है, उनके परिवार की संख्या क्या है, आर्थिक दशा क्या है। जब कि हर टैक्स लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टैक्स देने वालों की शक्ति क्या है, कैपिसिटी आफ पेइंग क्या है। सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें इस बात का पता ही नहीं लगता क्योंकि जब जब वह जरूरत का सामान लेता है तो वह सेल्स टैक्स देता है। इसलिये सेल्स टैक्स के विषय में सरकार को कोई भी संशोधन लाते समय उसकी बैक ग्राउण्ड रखनी पड़ेगी। सेल्स टैक्स ४ प्रकार का होता है। यहां सरकार ने इस प्रकार का सेल्स टैक्स लगाया है जो

जनता पर सब से ज्यादा भार डालती है। एक तो होता है रिटेलर्स सेल्स टैक्स, दूसरा जनरल सेल्स टैक्स, तीसरा सेलेक्टेड सेल्स टैक्स और चौथा होता है होलसेलर्स सेल्स टैक्स। हमारी सरकार ने न तो रिटेलर्स सेल्स टेक्स लगाया, न सेलेक्टेड सेल्स टैक्स लगाया और न होलसेलर्स सेल्स टैक्स लगाया बल्कि चौथा जो सब से ज्यादा सख्त होता है जिसे जनरल सेल्स टेक्स कहते हैं वह लगाया है। उसने अपने हाथ में यह ताकत रखी है कि जिसको चाहें सिंगिल प्वाइंट कर दें और जिसको चाहें मलटिपिल प्वाइंट कर दें। बम्बई में अभी इस विषय में झगड़ा ही चल रहा है लेकिन यहां पहले से ही सरकार ने अपने हाथ में सारी ताक़त ले रखी है और पहले ही इस प्रकार के अधिकार ले कर जनता के हाथ बांध लिये हैं और इस पर भी तुर्रा यह है कि जो प्रगतिशील लोग हैं वह अगर कोई इसमें रुकावट डालते या रोकते उनको भी आप कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिये इस संशोधन को प्रेस करना सरकार के लिये बिल्कुल असंगत होगा।

आखिर एडम्स स्मिथ ने भी सेल्स टैक्स के बारे में एक उक्ति कही थी और वह एक प्रमुख अर्थवेत्ताओं में से थे और उनकी राय अर्थ शास्त्र का सवाल जहां आता है या जहां सैल्स टैक्स या और कोई फाइनेन्शियल सवाल आता है मानी जाती है और उनका उदाहरण दिया जाता है उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि सेल्स टैक्स गरीब जनता को दृष्टिकोण में रखते हुये उनकी आमदनी और उनकी मजदूरी पर टैक्स है। उन्होंने कहा है कि—

"A consumption tax upon the necessities of life operates exactly in the same manner as a direct tax upon the wages of labour. It must always in the long run be advanced to him by the immediate employer the advanced rates of wages."

[जीवनोपयोगी वस्तुओं पर उपभोग—कर ठीक उसी प्रकार प्रभाव डालता है जैसा कि श्रमिकों की मजदूरी पर प्रत्यक्ष कर। अन्त में यह हमेशा तात्कालिक नियोजक द्वारा मजूरी कि बढ़ी हुई दर के जरिये उसको दिया जाना चाहिये।]

तो श्रीमन्, अगर सरकार इस प्रकार के संशोधन विधेयक के द्वारा सेल्ल टैक्स बढ़ाती है तो सरकार के लिये यह भी लाजमी हो जायगा कि सरकार कर्मचारियों की और मजदूरों की वेजेज के भी बढ़ाने का इन्तजाम करे।.... और जो नौकर हैं, प्राइवेट मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों का ख्याल करें। ऐडम स्मिथ जैसे व्यक्ति की अथोरिटी इसके लिये हमारे पास है।

"Tax must be certain and it must not be complicated."

[कर निश्चित होना चाहिये और यह जटिल न हो।]

जब हमारी सरकार ने सन् ४८ में सेल्स टैक्स लगाया तो उसका कारण क्या था? सरकार ने यह कहा कि प्रान्त भर में प्राहीबिशन हो रहा है, प्राहीबिशन से जो आमदनी होती है वह खत्म हो जायगी इसलिये यह सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो प्राहीबिशन ११ जिलों में लगाया था बाकी जिलों का क्या हुआ? सरकार को जो आमदनी शराब से होती थी क्या वह बन्द हो गयी है? यही आपका जस्टीफिकेशन था? मैं देखता हूं कि बजट में जितनी आमदनी शराब से आपको होती थी वह आज बढ़ गयी है और बढ़ती ही जा रही है और दुगुनी तिगुनी होती जा रही है। अतः जिस नीति को लेकर सरकार ने यह सेल्स टैक्स लगाया था उसका वह जस्टीफिकेशन आज नहीं रहा है। फिर आज सरकार किस मुंह से कहती है कि सेल्स टैक्स और ज्यादा कर दिया जाय और यह कि इस बात की मंजूरी दे दी जाय कि जो वह चाहे कर सके, जब कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

४८ में जो कारण था वह भस्मसात् हो गया है तथा आने वाले सालों में भी इस बात की संभावना नहीं है कि प्राहीबिशन होगा। कई बार प्रश्नों के सिलसिले में सरकार की नीति इस बारे में जानने का प्रयत्न किया गया है लेकिन सरकार इस संबंध में कोई फैसला करने को तैयार नहीं है कि कब तक प्राहीबिशन इस प्रान्त में पूरा पूरा लागू होगा। तब सरकार किस प्रकार कहती है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

कहा जाता है कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल कर लिया गया है। मैंने टैक्स रिसर्च फाउंडेशन इंस्टीटचूट की रिपोर्ट को पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सरकार क़ीमतों को कम करना चाहती है वह सेल्स टैक्स नहीं बढ़ा सकती। सेल्स टैक्स के बढ़ाने से आम तौर पर बाजार में जो भावों के घटने की प्रवृत्ति होती है वह कम हो जाती है। एक ओर तो सरकार यह दावा करती है कि हम दामों को घटा रहे हैं और दाम घट रहे हैं, लेकिन इधर सरकार बीड़ी, सिगरेट, खांडसारी पर टैक्स बढ़ा रही है। अभी श्रीमन्, बरेली के खांडसारी के मरचेंट्स सरकार के पास आये थे। उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री को एक मेमोरेंडम पेश किया वह कितना लंबा मेमोरेंडम था। अब तक जिस खांडसारी के व्यवसाय पर कोई सेल्सटैक्स नहीं था उस पर सरकार ने आज लगा दिया है। फिर यह कैसे माना जाय कि हमारी सरकार सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपनी नीति को बदलने जा रही है? या उसको सही साबित करने जा रही है ताकि प्रान्त की जनता उसको अच्छी तरह से देख सके, उस पर ग़ौर कर सके। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।

जब कोई टैक्स लगता है तो उसको सरटेन होना चाहिये। (इट मस्ट नॉट बी कंप्लीकेटेड।) टैक्स को ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह हमको और उलझनों में डाल दे लेकिन यह टैक्स ऐसा है कि जितने दूकानदार हैं वे सब रातदिन बहियों में उलझे रहते हैं सेल्स टैक्स इनके लिये एक प्राब्लम हो गया है। यह सेल्स टैक्स जो हमारी सरकार लगा रही है और अब इस संशोधक विधेयक द्वारा इसे परिपुष्ट करने जा रही है इसका स्ट्रक्चर इतना खराब है कि मैं क्या बताऊं। अगर सरकार इस बात पर ज़ोर देती कि सेल्स टैक्स इवेजन जो हो रहा है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ऐसे तरीक़े निकाल लेते हैं जो इवेजन करते हैं, वह न हो और अपने सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करती, उसका प्रबन्ध अधिक व्यवस्थित करती ताकि जो व्यापारी या व्यापारीवर्ग का हिस्सा सेल्स टैक्स की दरों को देने में अनियमितता करते हैं और पुराने रेट्स को बाईपास करने के तरीके निकलते हैं वह न हो, तो सरकारी आमदनी भी बढ़ती और जनता को कष्ट भी कम होता। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशन्स भी होते हैं। कुछ कमोडिटीज पर नहीं लगाया जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहले तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर नहीं लगता है, जैसे एसैंशल गुड्स जो भारतीय सरकार ने बतलाये हैं। दूसरे अलग अलग व्यापारियों के एग्जेम्पशन्स होते हैं जैसे हमारे प्रान्त में है कि जिनका सालाना टर्नओवर १५ हजार से कम है उन पर नहीं लगेगा। तीसरा एग्जेम्पशन स्टेट और म्यूनिसिपैलिटीज का होता है क्योंकि कहीं कहीं म्यूनिसिपैलिटीज भी टैक्स लगाती है, जैसे जो चाय की दूकान करेगा उसे ५ रुपया लाइसेंस का देना होगा अगर सरकार इस प्रकार के डिसक्रिमिनेशन को कम करती तो मैं इस विधेयक का साथ देता। लेकिन सरकार का इस ओर तो ध्यान ही नहीं गया कि सेल्स टैक्स के प्रबन्ध में शासनाधिकारियों को और आम जनता को क्या दिक्कतें हो सकती हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान तो अपनी ताक़त बढ़ाने की ओर गया ताकि जनता और परेशान हो। शायद माननीय मंत्री जी अपनी ईमानदारी में कहें कि

ऐसी बात तो नहीं है और यह नारायणदत्त जी की कल्पना है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रान्त की वास्तविकता यह है। अगर माननीय मंत्री जी अपने गौरव में आम जनता से और व्यपारियों से पूछें कि यह सेल्स टैक्स उनके लिये कितनी मुसीबत है। तो मैं समझता हूं कि वह अपनी नीति पर, इस विधेयक पर और हमारे ऊपर न्याय करेंगे। ज्यादा टैक्स बढ़ाने से एक दिक्कत आ जाती है और वह कितनी बड़ी है इस पर हमारा ध्यान इस टैक्स रिसर्च फाउंडेशन ने दिलाया है कि अगर हम सेल्स टैक्स के रेट को कम रखते हैं तो दाम भी नहीं बढ़ने पाते हैं और आसानी रहती है। रेट्स बढ़ाने से उसमें कितना बड़ा फ़र्क़ आ जाता है उसका नमूना इसके इस फ़ैसले से मिलता है—

"There would be little difficulty in adjusting prices to include a tax of 20 per cent. or 25 per cent. to work out 0.1 per cent or a lower tax in to the price of a standard cake of soap, however, would be beyond merchandise capacity and ingenuity. A lower rate of tax stands in the way of its being shifted to those who have to reckon small tax upon it."

[२० प्रतिशत या २५ प्रतिशत कर सम्मिलित करने के लिये मूल्यों को संमानित करने में बहुत कम कठिनाई होगी स्टैंडर्ड साबुन की टिक्की के मूल्य में ०.१ प्रतिशत या उससे कम कर का प्रगणन करना व्यापारियों की क्षमता तथा पटुता के बाहर होगा। कर की नीची दर उन लोगों के ऊपर भार के स्थानान्तरित होने में बाधक होती है जिनको इनके ऊपर छोटे कर की गणना करनी पड़ती है।]

यह सिद्धान्त इसलिये माना कि कन्ज्यूमर्स पर सेल्स टैक्स का भार न पड़े क्योंकि जितना रेट कम होगा उतना कम कन्ज्यूमर्स को देना होगा। वह चीज जो है उसका दाम होलसेलर को देना पड़ेगा, मेनुफैक्चरर्स को देना पड़ेगा। कंज्यूमर्स को नहीं देना पड़ सकता। लेकिन जितना रेट ज्यादा होगा उसको घटा बढ़ा कर वे जोड़ देंगे। ०.१ परसेंट फ्रैक्शन जोड़ना मुश्किल है लेकिन ५ परसेंट, १० परसेंट जोड़ना आसान होगा। तो यह सरकार अगर उपभोक्ताओं को, आम जनता को इस सेल्स टैक्स की मुसीबत से बचाना चाहती है या उनका भार कुछ हल्का करना चाहती है तो बीड़ी, सिगरेट, खंडसारी, दियासलाई आदि इस प्रकार की जो चीजें हैं उन पर इस प्रकार रेट लगाना कि वह जाकर आम जनता पर पड़े ठीक नहीं मालूम होता है। सिंगल प्वाइंट टैक्स की बात यह है कि अगर आप रिटेल प्वाइंट से टैक्स लगाते हैं तो इसमें दूकानदार को भी दाम लगाने में मुश्किल होगी लेकिन होल सेलर्स टैक्स लगाते हैं तो वह तो कंज्यूमर्स में दाम जोड़ कर उनसे वसूल ही कर लेगा। तो आपका जो सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल गलत है। इसका भार किसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसका भार किसके ऊपर पड़ना चाहिये, किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिये इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है। तो श्रीमन्, मैंने इसी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपके द्वारा इस सदन का इतना समय लिया ताकि उनको तथा इस सदन को यह बतला सकूं कि जो सेल्स टैक्स की व्यवस्था है वह कितनी गलत है। यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं करीब करीब इसी दृष्टि से हो रही है लेकिन इस बात का तो माननीय मंत्री जी स्वयं फैसला करें। अगर माननीय मंत्री जी फैसला कर लेते और मैं तो चाहूंगा कि वे इस बात की घोषणा करें कि वे इस विधेयक को प्रेस नहीं कर रहे हैं और सेल्स टैक्स की व्यवस्था में जितनी कमजोरियां हैं उन पर विचार करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बैठायी है वह कमेटी जब कहेगी तब वे उस विधेयक को लावें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन उनको तो बहुत जल्दी मालूम पड़ती है। वे तो चाहते हैं कि यह पास हो जाय और फिर जब एक बार संशोधन पास हो गया तो क्या जाने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कब क्या हो, क्या फैसला हो, यह नहीं कहा जा सकता है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ विरोध करने के लिये या अपोजीशन के लिये नहीं कहा बल्कि मुझे जो तथ्य दिखलाई पड़ता है, उसे मैंने आपके सामने रखा। जहां तक रीगल डिफिकल्टीज दिखलाई पड़ती है उन्हें मैंने आपके सामने रखा। और आप यह न देखें कि मैं लाल टोपी पहने हुए हूं। या नैनीताल का रहने वाला हूं। इससे यहां कोई मतलब नहीं है। अक्सर यहां पर इस तरह का जवाब दिया जाता रहा है कि ये तो नैनीताल के रहने वाले हैं या वहां के रहने वाले हैं, या इनकी उम्र कम है, इस तरह का जवाब कोई जवाब नहीं है। मैं कहां का रहने वाला हूं; माननीय मुख्य मंत्री जी कहां के रहने वाले हैं या माननीय हुकुम सिंह जी कहां के रहने वाले हैं या कौन कहां का रहने वाला है, यह कोई जवाब नहीं है। और यह भी कोई जवाब नहीं है कि इनका अनुभव बहुत कम है, क्योंकि इनकी उम्र कम है। जो तथ्य हो, उसको सामने रखना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमेशा की तरह इस तरह का जवाब नहीं देंगे कि यह बात तो मेरी समझ में ही नहीं आयी कि उन्होंने कहा क्या। यह भी कोई जवाब नहीं है बल्कि जवाब तो स्पष्ट होना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह—केवल मैंने नहीं कहा बल्कि माननीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि आपकी बात समझ में नहीं आयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् यह क्या है? प्वाइंट आफ आर्डर है या क्या?

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने सरकार के सामने नियम के सम्बन्ध में प्रीएम्बिल के सम्बन्ध में, तथा और भी बहुत सी कमजोरियों के सम्बन्ध में सब चीजों को रखा लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि अगर हम गलत हैं तो वे बतलावें कि कहां हममें गलती है। हम अपनी गलती मानने के लिये तैयार हैं, अपने शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार हैं, और माफी मांगने के लिये तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है वह बहुत माने में कोई जवाब नहीं है। तो मेरे पास सब मसाला मौजूद है और मैं सारी किताबें भी उनको देने के लिये तैयार हूं। माननीय मंत्री जी कृपया मेरी शंकाओं का निवारण करें और आदरणीय सदन के सदयों की शंका का निवारण करें। और इस प्रदेश की जनता की शंका का निवारण करें जो कि इस सेल्स टैक्स के भार से दबी हुई है, परेशान है और चिन्तित है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, माननीय नारायणदत्त जी का यहां पर जो इस समय प्रवचन हुआ वह कुछ लम्बा होने लगा तो उधर मेरा भी ध्यान आपकी कृपा से आकर्षित हुआ और मैंने पहले तो जब वह कुछ कानूनी बहस करने लगे तो यह समझा कि मेरे दिमाग के दायरे के बाहर की चीज है और मैं शायद उसे अच्छी तरह से न समझ सकूं। इसीलिये श्रीमन् मैंने यह समझा था कि इस विषय पर उनकी शंकाओं का निराकरण माननीय उद्योग मंत्री जी स्वयं कर देंगे। किन्तु आगे चल कर यह विषय टैक्सेशन, सिद्धान्त और उसके साथ ही साथ सरकारी नीति पर भी चला गया और इसलिये आपकी कृपा से मैं इस अवसर का लाभ उठाकर दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा खेद हुआ जब

इस सदन में माननीय नारायण दत्त जी ने टैक्सेशन की वर्तमान नीति पर विचार प्रकट करते हुये इतने पीछे भाग गये कि आज के अर्थशास्त्र के साथ उन्होंने ऐडम स्मिथ को भी जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ऐडम स्मिथ के कुछ दिन पीछे वे और लौट जाते तो उनको बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसे मिलते जिन्होंने आज से नहीं बल्कि आज के ढाई ३ हजार साल पहले इस विषय में विचार करने की चेष्टा की है कि आया सेल्स टैक्स लगना ठीक है या गलत।

हमारी अपनी भारतीय सभ्यता में ढाई हजार वर्ष पहले का वह जमाना है जब कि सेल्स टैक्स हमारे देश के कोने कोने में मौर्य साम्राज्य में चारों तरफ लगा हुआ था और हमने यह भी देखा है और पढ़ा है कि कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में यह विवेचना की है कि सेल्स टैक्स किस प्रकार से लगाया जाय। और उसमें उन्होंने जो रेट्स रखे हैं शायद वह रेट यदि आज हमारे यहां सरकार मान ले तो बहुत बड़ा हाहाकार भी मचे और लोग कहने लगें कि यह बहुत ही गलत है। उस समय घी की बिक्री पर इतना सेल्स टैक्स लगे, अन्न की बिक्री पर इतना लगे और सोना चांदी की बिक्री पर इतना लगे। सोना चांदी पर चालीसवां हिस्सा और अन्न की बिक्री पर ३०वां हिस्सा था। इस प्रकार रेट्स कौटिल्य ने बनाये थे किन्तु ऐडम स्मिथ को उन्होंने जब जिक्र किया तो मुझे उसके बहुत पहले एक चीनी अधिकारी की तरफ ध्यान गया।

वह जमाना भी रहा जब कि कन्फूशियस ऐसे लोगों ने कहा था कि अगर अच्छा शासन करना है तो सेल्स टैक्स मत लगाओ और अगर सौ रुपये की बिक्री १० रुपये बाजार में सेल्स टैक्स के रूप में वसूल करते हो तो वह तुम वसूल मत करो। यह कन्फूशियस ने कहा था। कई हजार वर्ष पहले की बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐडम स्मिथ का जमाना चला गया। कोई भी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के बाल्यकाल से लेकर उसके वर्तमान यौवनकाल से परिचित होने वाले कोई ऐसी घटना के विषय में जानता है यह गलत है। ऐडम स्मिथ का जमाना यह नहीं है और यही सब से बड़ा भारी धोका है। टैक्स लगाने की एक सीमा होती है। अगर टैक्स लगाया जाय तो कैसे लगाया जाय। टैक्स दो प्रकार के होते हैं एक डाइरेक्ट और एक इण्डाइरेक्ट। हम सब जानते हैं कि सेल्स टैक्स डाइरेक्ट टैक्सेशन, प्रत्यक्ष कर, का सब से प्रबल और उज्वल उदाहरण है। एक जमाना इंग्लैण्ड का भी था। सम्भवतः १८४० का जमाना, जब कि वहां जितना टैक्सेशन वहां की गवर्नमेंट वसूल करती थी जितना समूचा कर भार था उसमें ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर था। वह इंगलैण्ड के शासन का बहुत सभ्य जमाना नहीं कहा जाता और १८९५ में जो टैक्सेशन थे मेरे मित्र इतिहास उठा कर देखें तो ६२ प्रतिशत था। १९०६ में घटते घटते वह केवल ४५ प्रतिशत रह गया। आज करीब तीस प्रतिशत से अधिक वहां पर अप्रत्यक्ष कर नहीं है और प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील शासन की प्रगति का द्योतक होता है। मेरे मित्र ऐडम स्मिथ को छोड़ कर आधुनिक समय पर आ जायं तो उनको मालूम होगा कि इस जमाने में सेल्स टैक्स एक अच्छा कर समझा जाता है जिसके बारे में न किसी प्रकार घबराहट की बात होती है और न परेशानी की बात होती है। यह प्रत्यक्ष कर के रूप में सबसे अच्छा कर है। प्रश्न यह विचारणीय हो जाता है कि आया सेल्स टैक्स के बिना भी काम चल सकता है या नहीं। मेरे मित्र ने प्राहिबिशन पालिसी का जिक्र किया। मुझे खेद है यदि वह उसी के साथ साथ यह भी कह देते कि प्राहिबिशन पालिसी चाहे सरकार की सफल हुई हो या न हुई हो लेकिन उसकी आमदनी जरूर घट गयी। यह तो स्पष्ट सत्य है। सन् १९४४-४५ ई० में जब कि ब्रिटिश सरकार ने एक्साइज को अपनी आमदनी का एक प्रधान जरिया बना लिया उस समय हमारी आमदनी करीब सात करोड़ छः लाख थी। और अब यदि आपने पिछले साल का बजट देखा होगा तो मालूम होगा कि हमारी आमदनी छः करोड़ ग्यारह लाख रह गयी थी और वह भी घट कर के एक बटा दसवां हिस्सा अब रह गयी है हमारी आमदनी का जब कि ४४-४५ में हमारी आमदनी का एक बटा पांचवां हिस्सा थी तो

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

यह मानना ही पड़ेगा कि आबकारी से की गयी आमदनी में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार करनी होगी। उसका एक अच्छा साधन सेल्स टैक्स है।

माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि और बहुत सही बात कही कि क्या इस सेल्स टैक्स से लोगों को सचमुच शिकायत नहीं है? यदि है तो क्या सेल्स टैक्स का वर्किंग भी ठीक है या नहीं? सचमुच यह विषय विचारणीय है? मैं स्वयं इस भवन में निवेदन कर चुका हूं हमारी सेल्स टैक्स की वर्किंग बहुत संतोषजनक नहीं है और उससे जो आम तौर से लोगों की हानि होती है उसको दूर करने का उपाय करना चाहिये और जहां तक मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी भी इस विषय में काफी छानबीन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सेल्स टैक्स विभाग इस रूप में चले कि लोगों को चुभे भी न और साथ ही साथ सरकार की आमदनी भी न घटे। बहुत से देशों का उदाहरण दिया तिवारी जी ने। अध्ययन करते हैं, बहुत ठीक है। जरा पूरा पढ़ने की कोशिश किया करें। अमेरिका की जिस कमेटी का उन्होंने जिक्र किया उसके साथ ही साथ अमेरिका में आज जो बहुत बड़ा प्रश्न विचारणीय है उस की आभा आज हमारे देश में भी आ गयी है कि क्या यह उचित है कि सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स लगाया जाय। यदि इनकम टैक्स न लिया जाय तो कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके द्वारा सरकार की आमदनी भी हो सके और चूंकि आय और बिक्री कर अमेरिका की हुकूमत के पूंजीवादी प्रशासन में बहुत बड़े कर हो गये हैं इसीलिये वहां की कई कमेटियों के हामी लोगों ने बहुत सी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जिसमें दो बातें साबित करने की कोशिश की गयी है। एक तो यह कि सेल्स टैक्स न लिया जाय, और दूसरी यह कि इनकम टैक्स न लिया जाय। तो यह तो उनकी एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट में से कुछ पढ़ दीजिये तो दूसरी रिपोर्ट में से दूसरी बातें भी मिल सकती हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे प्रदेश की सेल्स टैक्स की जो प्रणाली है उसका कुछ रुपया सचमुच ऐसा विकृत हो चुका है कि वह इनकम टैक्स का सचमुच संस्करण हो गया है और इसीलिए वह थोड़े बहुत लोगों को चुभ भी सकता है। मैं नहीं समझता कि इन संशोधनों से किस प्रकार लोगों का कष्ट बढ़ जायगा। समस्या तो यह है कि जो बम्बई में सेल्स टैक्स की प्रथा है वह रजिस्टर्ड डीलर्स से लिया जाता है। कलकत्ता में सेल्स टैक्स की जो प्रथा बंगाल में है जिससे बंगाल सरकार की आमदनी भी ज्यादा है और अब लोग उससे अभ्यस्त हो गये हैं वह भी रजिस्टर्ड डीलर्स की है। बम्बई में सेल्स टैक्स की दरों के मल्टिपिल के बारे में जो कुछ भी हो, लेकिन वहां यह जरूरी समझा जाता है कि आज सेल्स टैक्स की हमारे यहां जो दर है वह उत्तर प्रदेश ऐसे देश से कहीं अधिक है। हमारे प्रदेश में जो दर है वह वास्तव में उतनी अधिक नहीं है और सूबों की तुलना में अगर इन सब चीजों का सामंजस्य कर लिया जाय। बम्बई में ऐसा होता है कि प्रायः दरें, २ पैसे, ४ पैसे से शुरू होती हैं और जैसे जैसे चीजों का स्तर बढ़ता जाता है त्यों त्यों बम्बई में रेट बढ़ते जाते हैं। अगर नारायणदत्त जी कम्पैरीजन करें तो रेट्स के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मद्रास ऐसे प्रदेश में जिनकी १६-१७ करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स से है उन्होंने यहां तक कर दिया कि अन्न तक की बिक्री पर सेल्स टैक्स लगा दिया है। उन्होंने जितनी चीजों को सेल्स टैक्स के दायरे में रखा है उतनी चीजों को हमारे यहां नहीं रखा गया है और हमारे यहां सेल्स टैक्स के जो एग्जेम्शन हैं और वह और सूबों के एग्जेम्शन से लोगों के लिये कहीं रिआयत की चीजें हैं।

सेल्स टैक्स जो चुभता है वह इस कारण कि उसकी ऐक्चुअल वर्किंग में हम रजिस्टर्ड डीलर वाली प्रथा को नहीं अपना सके हैं और न हमने निर्णय किया है।

अगर उसका निर्णय कर लिया जाय तो उसका परिणाम यह होता कि आज जो एक ट्रांजेक्शन होता है, एक से दस हाथों में जो बिकती हैं तो इस तरह से दस जगह टैक्सेशन की जो गति हो जाती है उससे उसका अभाव बढ़ जाता है । और दूसरे हिसाब किताब में जो दिक्कत होती है वह खास तौर से किराने के जो व्यापारी हैं उनको बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन माननीय तिवारी जी को इसका ज्ञान नहीं है। जो बड़े कारोबार हैं जहां सेल्स टैक्स का भार अधिक पड़ता है, चाहे मोटर का कारोबार हो या कपड़े का हो, उनके यहां लिखा पढ़ी में सेल्स टैक्स की वर्तमान प्रणाली से कोई परेशानी नहीं होती और न कोई अतिक्रम होता है। छोटे व्यापारियों का जो स्टैंडर्ड है उनको सेल्स टैक्स के लगाने में खाते में कोई कठिनाई नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जो किराने की छोटी चीजें हैं। जैसे हींग है। जब ऐसी चीजें सेल्स टैक्स के दायरे में आती हैं और उपयोग की जब सामग्री वहां होती तो दिकक्त होती है। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि यह कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि गवर्नमेंट की वर्तमान सेल्स टैक्स प्रणाली में बहुत दिक्कतें हैं। मेरे पास बहुत से व्यापारियों के आवेदन-पत्र हैं। मुझ से बहुत से व्यापारी मिले हैं और उन्होंने मुझे कागजात दिखलाये हैं। आज जो साधारण चीजों के व्यापारी हैं । उन्होंने यह नहीं कहा कि सेल्स टैक्स समाप्त कर दीजिये । उन्होंने कहा कि प्रथा में थोड़ा से ऐसा सुधार कर दीजिये जिससे कठिनाई न हो। यह भी कुछ ने कहा कि सेल्स टैक्स की ऐसी चीजें हैं जिनको स्टेट एग्जेम्शन के भीतर कर दीजिये तो जनता को अधिक लाभ हो । वरना, यह कहना कि सेल्स टैक्स बन्द कर दिया जाय, या कर की जो दर है यह सरकार के लिये एक असभ्य-सी चीज है, यह कहना कि सरकार की टैक्सेशन की जो नीति है वह उसकी नीति की गलती को या उसकी प्रतिक्रियावादिता को स्पष्ट करती है, यह तीनों बातें टैक्स, टैक्स के उद्देश्य, टैक्स के आचार्य और टैक्स की प्रणाली इनसे जो परिचित होगा वह इन सब बातों को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष जी, यहां पर आज सेल्स टैक्स के ऊपर भाषण हुए हैं, वह सभी माननीय सदस्यों को मालूम हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो अपना भाषण इस सदन में दिया है वह तो बहुत पुराने जमाने का भाषण है, जब कि दुनिया सदियों पीछे थी। आज बीसवीं सदी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है । जमाने में फर्क आ गया है। आज जिन्दगी की चहल-पहल चारों ओर लहराती हुई नजर आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि उस जमाने में विकास केवल चन्द क्षेत्रों में ही महदूद था। आज तो विकास की तादाद सैकड़ों और हजारों बढ़ गयी है और उस हर एक क्षेत्र में जो हद है वह दूर बढ़ती चली जा रही है। उसका होराइजन दिन पर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिये उस जमाने के टैक्सों से इस जमाने के टैक्सों का मुकाबला करना या आज की जिन्दगी की चहल-पहल में, इस उथल पुथल में और इस विकास के जमाने में जो टैक्सेज लगाये गये हैं उनका उस जमाने के टैक्सेज से मुकाबिला करना मैं समझता हूं कि यह तो छोटी सी बुद्धि के खिलाफ नजर आता है। अगर हम एक मनुष्य की कैपेसिटी आफ अर्निंग को और उसकी बुद्धि के विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो सरकार को उसी रेशो में टैक्स लगाने का अधिकार है जिस रेशो में देश में विकास को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया गया है। इसलिये यों कहना कि जनता के अन्दर असंतोष है, मैं समझता हूं कि असंतोष की बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कहीं और मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं किसी राष्ट्र के अन्दर , किसी देश के अन्दर स्वतंत्र होने के बाद असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि जो पुरानी परिस्थितियां होती हैं उनसे निकलने में इंसान को दुःख होता है। मेरा तजुर्बा है

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

और मैंने जेल के अन्दर देखा है कि जो कैदी बीस बीस साल सजा काट करके जाते थे वे बाहर जाते समय रोते थे क्योंकि उनको कारावास छोड़ते हुये दुःख होता था। उस जमाने की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं उनके छोड़ने में आज हम लोगों को बड़ा असंतोष है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो जहाज भंवर में है उसको क्या तूफान के थपेड़ों से या हेल की चोटों से कोई खतरा नजर नहीं आ सकता है। अगर हमारे देश में कोई असन्तोष है तो वह इस बात का द्योतक है कि यह राष्ट्र मंजिले मकसूद की ओर अग्रसर है। इसको खतरा नजर आयेगा, लेकिन यही खतरा और यही परिस्थिति देश को आगे बढ़ायेगी। जिसको आप डिस्सटिस्फैक्शन कहते हैं उसी को मैं विकास की सीढ़ी कहता हूं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सरकार के ऊपर उन्होंने बड़े लम्बे चौड़े शब्दों में यह अटैक किया कि साहब इन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया। मैं कहता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो सरकार को इसके लिये तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उसका कारण क्या है? एक सरकारी आफिसर और मिनिस्टर साहब भी हमसे इस बात पर लड़े थे कि आप चिल्लाते हैं कि शराब बन्द कर देनी चाहिये परन्तु इससे हमारी सरकार का खजाना खाली हो जायगा। तो मैंने यह जवाब दिया था कि वह सरकार जो कि बरबाद करके, जो कि बच्चों को दर दर फिरा करके, जो कि हमारी स्त्रियों का जेवर बेचवा करके, हमारी सड़कों का निर्माण करना चाहती है, जब कि हमारी तन्दुरुस्ती खत्म हो जायगी, जब कि हमारी बुद्धि खत्म हो जायगी तब हमारे लिये इंतजाम करेगी, तो वह शैतान की सरकार है। मैं चाहता हूं कि प्रोहिबिशन देश के कोने कोने में हो जाय। आज इसमें शक नहीं है कि कुछ परिस्थितियां खराब हो जाने से मजबूरियों के कारण हमारी सरकार इस काम को पूरा नहीं कर सकी है, इसके माने यह नहीं हैं कि हमारी सरकार फेल हो गयी है। "फैल्योर लीड्स टू सक्सेस।" हमेशा असफलता ही सफलता का द्योतक होती है।

आज की हमारी असफलतायें कल की हमारी सफलताओं में परिणत होंगी और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार जो कि संसार में दावा रखती है कि यह सब से पुरानी सभ्यता और संस्कृत का घर है उस सरकार का इस दिशा में सफल होना अनिवार्य है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बुद्धि की दलील और तकरीर को दे कर सरकार के ऊपर कीचड़ उछालना यह नसमझी का काम हो सकता है और इसको असफलता कहना यह तो महान् नासमझी है क्योंकि अगर पूरी सफलता नहीं हुई तो हम आगे कदम बढ़ायेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस सीढ़ी से नीचे उतर कर फिर से शुरुआत करने से हमको सफलता होगी यह तो बुद्धि हमको बताती नहीं है। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने कानून की दलील और तर्कों को पेश करते हुये चैलेंज किया है हमारे मिनिस्टर साहब को। ऐसा मालूम होता था जैसे उनकी दलीलों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अगर जवाब नहीं हो सकता तो उन्होंने ठीक कहा। मैं समझता हूं कि यदि बुद्धि का कोई तर्क है तो उसका जवाब भी होता है और अगर बुद्धि का कोई तर्क नहीं है तो उसका जवाब भी नहीं होता। इसलिये अगर वह कहते हैं कि हमारे तर्क का कोई जवाब नहीं तो मैं समझता हूं कि वह तर्क बुद्धि का नहीं है। इसलिये इस तरीके का एक दावा पेश कर देना मैं समझता हूं यह तो बचकानी दलील है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं..

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान् जी, ये शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत—मैं पार्लियामेंटरी दायरे के अन्दर हूं।

अधिष्ठाता—आप अपना वक्तव्य जारी रखें लेकिन माइक्रोफोन का जरा प्रयोग कीजिये और धीमे बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं आगे चल कर यह बताना चाहता हूं कि बीड़ी, सिगरेट और नशे की जो चीजें हैं इनको दूर करना सरकार का फर्ज है । सरकार का टैक्स लगाना ही फर्ज नहीं है । सरकार को यह देखना है कि अगर नशीली चीजों को वह इस मुल्क से बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती तो जिस हद तक उस इविल को मिनिमाइज कर सकती है उसको करना चाहिये । इसलिये अगर सरकार ने इस पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर सरकार नशीली चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाती है तो वह अपनी ड्यूटी में अग्रसर होती है और अपना दावा पूरा करती है, ताकि लोग नशीली चीजों को कम इस्तेमाल करें और उनकी तन्दुरुस्ती के ऊपर कोई बुरा असर न हो। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के अन्दर जितने भी उसके सिटीजन्स होते हैं उनकी जो ताकत है वह किसी इन्सान की शक्ति नहीं हुआ करती है बल्कि वह राष्ट्र की शक्ति हुआ करती है। इसलिये किसी भी इन्सान को शराब पी कर और नशे की चीजों का इस्तेमाल कर के अपनी शक्ति का ह्रास करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तो उसके शरीर के अन्दर उस राष्ट्र की सम्पत्ति से पैदा हुई है, उस मुल्क ने नाज, पानी, घी, चावल, दाल, रोटी से पैदा हुई है। इसलिये ताजीरात हिन्द के अन्दर यह दफा बनायी गयी कि किसी आदमी को खुदकशी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। तो अगर कोई नशा राष्ट्र की सम्पत्ति को खराब करता है तो सरकार का यह फर्ज है कि उस नशे को कम करने की कोशिश करे ताकि हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का ह्रास न होने पाये।

इसलिये मैं अब आगे चलकर आपकी दलीलों का जवाब देना चाहता हूं, जिन पर आपको बड़ा नाज था और कहा कि प्रीएम्बिल बहुत छोटा है और जो जोड़ना चाहते हैं वह बहुत लम्बा चौड़ा है। मैं कहता हूं जैसा कि मैंने कल कहा था कि "Brevity is essence of wisdom" [संक्षिप्तता बुद्धिमानी का तत्व है।]---जो विकसित दिमाग के लोग होते हैं वह थोड़े शब्दों में बड़ी से बड़ी चीज को रख सकते हैं। इसलिये शब्दों के छोटे होने से क्या आप समझते हैं कि दायरा छोटा हो जाता है। हौराइजन में कितने हैं और कितना चौड़ा होता जाता है इसलिये शब्दों की तादाद से किसी भी चीज के माने अंकित करना गलत मेजरमेंट है, गलत पैमाना है। मैं समझता हूं कि जो शब्द उन्होंने हाउस के सामने पढ़े वे इतने विस्तृत हैं काम्प्रीहेंसिव हैं कि आप बिना किसी फरदर अमेंडमेंट के टैक्स बढ़ा सकते हैं और यह सदन के अधिकारों के अन्दर है। क्योंकि इसके माने बहुत ही विस्तृत हैं और सदन टैक्स बढ़ाने के लिये एम्पावर है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि जितने हमारे तिजारती भाई हैं उनके कांफीडेंशिल रिकार्डस वगैरह को टच करने से सरकार अपने ऊपर खुद खतरा मोल लेती है और लोगों में असंतोष पैदा करती है। मैं कहता हूं कि क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि बढ़ती हुई बेईमानी को रोके और चोरी तथा करप्शन को कम करे। अगर वह पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। मैं अदालतों में प्रैक्टिस करता हूं और मुझे मालूम है कि एक बार अगर कोई अदालत किसी बनिये के बहीखाते को डिसक्रेडिट कर देती है तो उसके अन्दर जितना भी रुपया लिखा होता है वह सब खत्म हो जाता है। अगर आज यह कानून न होता तो क्या होता ? आज इस कानून के भय से ही यह लोग दो चार रखते हैं और किसी को दिखाते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन पकड़ जायंगे कि यह दो रखते हैं तो उस दिन के लिये उनकी जगह अभी से निश्चित है और सरकार ने इसके लिये इंतजाम किया हुआ है और वह इसके लिये पहले से तैयार है।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि बनियों के कांफीडेंशियल डाकूमेंटस को टच करना ठीक नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि जो आज बेईमानी बढ़ रही है सरकार उसकी दाद दे और ऐसे कानून बनाये जिससे वह आगे बढ़ती जाय। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम बढ़ाया है वह इस नीयत से नहीं कि किसी का कोई नुक्सान हो, बल्कि विकास की भावना को रखते हुये यह कदम उठाया है। अगर आप

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस पर भी सरकार को दोष देते हैं तो यह आपकी बुद्धि का दोष है जो ठीक तरह से समझ नहीं सके हैं।

अब मैं आपकी और दलीलों का जो यहां पर दी गई हैं जवाब देना चाहता हूं। कहा गया है कि जो ओरिजिनल ऐक्ट है उसमें १५,००० रुपया रख दिया गया है कि इससे ऊपर वालों के ऊपर टैक्स होगा तो क्या इसके रखने से आप समझते हैं कि असेम्बली की पावर्स को यह धारा छीन लेगी ? मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क और दलील नहीं है कि सरकार को यह नहीं करना चाहिये जब कि ओरिजिनल ऐक्ट में नहीं है। यह हाउस सिवाय सेंट्रल सबजैक्टस के बाकी सब मामलों में पावरफुल है और सुप्रीम है । मैं समझता हूं कि उसकी पावर सुप्रीम है। जो एक रिपब्लिक को पावर्स है वही इस हाउस को है सिर्फ सेंट्रल सबजैक्ट्स को छोड़ कर ।

यह भी कहा गया है कि टैक्स टैक्स सब लोग चिल्लाते हैं और आम जनता में इसके प्रति घृणा भी है। लेकिन मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य अपना विकास करना चाहता है तो यह उसके लिये बहुत जरूरी है कि वह अपने यहां टैक्सेज को बढ़ाये। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता है, दुनियां की सरकारें अभी तक ऐसा कोई रास्ता निकाल नहीं सकी हैं ।

राष्ट्र का जितना भी विकास हुआ है वहटैक्सेज से ही हुआ है। इसलिये अगर बाहर राष्ट्रों में जाइये तो टैक्सेज की जितनी बड़ी वहां तादाद होगी वह राष्ट्र उतना ही सभ्य माना जायगा। यह जानने का यह एक पैमाना है कि यह राष्ट्र कितना सभ्य है और इसने कितनी उन्नति की है, इस राष्ट्र ने विकास के लिये कितनी कुर्बानियां की हैं, कितना त्याग किया है। बिना त्याग किये कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायणदत्त जी का आदर करते हुये उनके प्रश्नों और उनकी लीगल डिफिकल्टीज और जो उन्होंने प्राबलम्बस रेज किये उनका जवाब देता हूं और इस अधिनियम का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस मसले को लेकर दोनों तरफ से बहुत ही विद्वतापूर्ण और सारगर्भित भाषण हुये हैं और खास कर माननीय चन्द्रसिंह रावत ने जो दलील अपनी बुद्धिमानी के बारे में ब्रिविटी और लाउडनेस आफ वायस को मिला कर दी है उसको सुनकर तो मैं हतप्रभ हो गया हूं। दोनों तरफ से इस बात की होड़ सी हो गई है कि फलां जमाने में सेल्स टैक्स क्या था और टैक्स की क्या परिभाषा थी। चन्द्रगुप्त काल में क्या था और महाभारत, रामायण और आदिकाल की सभ्यता तक लोगों का ध्यान दिलाया गया। यह सब बातें सुन कर मुझे रामायण काल के एक राजा जो सिलौन में रहते थे उनके समय के टैक्सेज और करों का ध्यान आ गया। उस राजा के जमाने में, अध्यक्ष महोदय, तमाम देवताओं पर टैक्स लगाये गये और हर तरह के टैक्सेज लगाये गये लेकिन यह मशहूर था जो फकीर और ऋषि मुनि कन्दराओं में छिप जाते थे वे टैक्सेज से बरी रह जाते थे लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह सरकार उस राजा को भी मात कर गई, क्योंकि यहां ड्युटी टैक्स, और लेवी इन शब्दों से कोई भी नहीं बच सका है चाहे वह कन्दराओं का साधु हो चाहे कोई प्रतिष्ठित नागरिक शहर का निवासी हो।

मैं दूसरे देशों के विद्वानों और उनके आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ इशारा किया। वह तो जमाना, अध्यक्ष महोदय, स्वप्नवत् हो गया जब कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने तक १ रुपये में एक एक मन गेहूं मिलता था। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अपने बचपन में तो ढाई सेर का घी खाया होगा, लेकिन अब वह जमाना नहीं है । हम तो यहां किसानों के प्रतिनिधि

की हैसियत से बैठते हैं। किसी भी विद्वान् की राय, सेल्स टैक्स आयकर के बारे में कुछ भी रही हो और वह सही है या गलत, मैं तो यह समझता हूं कि यह पैमाना बहुत पुराना है। जहां तक पूंजीवादी देश की प्रणाली है सिर्फ शाब्दिक जाल और उक्तियों का सहारा ही ले कर जितनी प्रतिक्रियावादी सरकारें होती हैं अपना काम निकालती हैं और विद्वानों की राय की आड़ ली जाती है ।

हमारी सरकार का यह दावा है कि वह बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी गई है। स भवन में आज ही नहीं इससे पहले मैं कई बार पूछ चुका हूं कि इस सरकार का दावा इस बात का है कि आज भारतीय प्रजातंत्र में हर नागरिक का एक वोट है, सब का वोट बराबर है तो उसके साथ ही साथ सरकार यह क्यों भूल जाती है उसके साथ ही साथ सबका हक बराबर होना चाहिये, इसका सरकार के पास क्या जवाब है। माननीय चन्द्रसिंह जी की ऊंची आवाज जवाब है या माननीय परिपूर्णानन्द जी का विद्वत्तापूर्ण भाषण जवाब है ? यह सरकार जो समाजवादी सरकार से आगे बढ़ने का दावा करती है तो आज भी यह दो दल देश में क्यों रक्खे गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी बेंचेज के उन लोगों से कहता हूं क्या यह इसलिये है कि आप जनता की तरफ से चुन कर आये हैं, बालिग मताधिकार से चुन कर आये हैं।

आज जब हम अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर एक सवाल किया जाता है कि पिछले तीन महीनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह किया है कि एक तो कोर्ट फीस बढ़ाई है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई है बिजली टैक्स बढ़ाया है उसके बाद यह सेल्स टैक्स भी आ रहा है और उसके बाद डेवलेपमेंट ड्यूटीज भी बढ़ाई जाने वाली है। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का बजट भाषण याद है जो कि उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिये कहा था। अभी हाउस के डेवलेपमेंट के लिये भी लेवी बढ़ाई जाने वाली है। यह आपके पिछले ३-४ महीनों का इतिहास रहा है। चुनाव के अवसर पर सरकारी दल का हर वक्ता यह कहा करता था कि हमारे सामने रिफ्यूजीज़ प्राबलेम है, अभी हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ है उसकी समस्याओं को हल करना है। इसके बाद अगर अबकी बार हमको मौका दिया जाय तो हम नया संसार बना देंगे। उसमें न कोई शासक रहेगा और न कोई शोषक रहेगा। बिलकुल राम-राज्य हो जायगा। सरकार बड़े-बड़े विद्वानों की बात कहती है और बड़े-बड़े विद्वानों की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाती है। जब-जब हमारी तरफ से इस बात का चैलेंज किया जाता है कि टैक्स का उसूल एक होना चाहिये। अभी बहुत सी बातें कही गईं। कौटिल्य शास्त्र का उदाहरण दिया गया और अर्थशास्त्र की बातें बताई गईं। उनको कुछ भी राय रही हो। एक बात को सबने माना है और वह यह है कि टैक्स उस पर लगना चाहिये जो दे सके और जो नहीं दे सकता है उस पर नहीं लगना चाहिये। अभी अध्यक्ष महोदय, मैंने ३-४ करों के उदाहरण आपके सामने पेश किये जो कि पिछले दिनों में सरकार ने लगाये हैं। आपने जो कर लगाया है उसका भार किस पर जाता है यह देखने की बात है। वह टैक्स ९० फीसदी मध्यवर्ग के लोगों पर जाता है। जब-जब हमारी तरफ से राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है तो सरकार अपनी वही बात दोहराती है कि हम यह कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है। संविधान कोई पवित्र वेद तो है नहीं कि जिसको भगवान् ने बनाया हो और उसकी बात कुरान शरीफ की तरह खुदा की ज़बान से निकली हो और उसको कोई बदल नहीं सकता। संविधान तो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है और उसको कांग्रेसी सरकार आप चाहती हैं बदल दिया करती हैं। यदि राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है कि पूंजीपतियों के कल कारखाने सरकार अपने हाथ में लेले तो उसके लिये वही पुरानी दलील दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले कैपिटल लेवी की बात हमारी तरफ से कही गयी। उस समय माननीय वित्त मंत्री ने, जो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं कहा था कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस ओर ध्यान दिया और सरकार से कहा कि आप घबराते क्यों हैं कैपिटल लेवी तो ऐसी चीज है ऐसा टैक्स है जिसका

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

समाजवादी व्यर्थ में राग अलापते आये हैं। उस समय एक प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से मुझसे किया था कि क्या माननीय सदस्य यह बतला सकते हैं कि कैपिटल लैवी से कितनी आमदनी हमारे सूबे को हो सकती है? उस समय मैंने उनको जवाब दिया था हिसाब लगा लीजिये तो मालूम हो जायगा। अध्यक्ष महोदय उस समय मैंने ऐसा जवाब इस लिये दिया था कि सम्पत्ति का हिसाब लगाकर तो सरकार ही बतला सकती है। हमको अपनी सम्पत्ति कौन बतलावेगा। हां, उसका रेट यह है कि अगर किसी के पास ५ लाख की जायदाद है तो हमारी योजना के मुताबिक उसमें आप २० फीसदी राज्य के लिये ले सकते हैं। इस तरह से टैक्स लगाने की बात हो सकती है। अब अगर आप इससे आगे चलते हैं तो अगर किसी के पास ५० लाख है उसमें आप ५० फीसदी ले सकते हैं और अगर किसी के पास ७५ लाख की प्रापर्टी है तो उसमें आप ८० फीसदी ले सकते हैं अगर किसी के पास एक करोड़ की प्रापर्टी है या इससे अधिक की सम्पत्ति है तो ९० फीसदी उससे आप ले सकते हैं जो राज्य सरकार के खजाने में आनी चाहिये और इससे बहुत सा काम सरकार का हो सकता है और जनता का भला हो सकता है। यह इस कैपिटल लैवी का मतलब था। तो मैं चैलेंज करता हूं कि सेल्स टैक्स लगाना जरूरी नहीं, सरकार को यदि आमदनी बढ़ानी है तो बड़े-बड़े आदमियों पर सम्पत्ति कर लगाये जिससे गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगी। अगर सरकार इस किस्म के टैक्स लगाना चाहती है जिसका भार गरीबों पर पड़ता है तो फिर उससे जनता पिसेगी। अगर इस तरह की लेवी जैसा कि मैंने अर्ज किया सरकार लगाती हैं तो इससे लाभ होगा और इसको आप ज्यादा से ज्यादा जनहित कर सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी का यह कैपिटल लैवी के लिये दावा था तो मेरा यह उनको चैलेंज है और इसको वह मान लें।

पहले भी यह कहा गया कि सरकार राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण नहीं कर सकती और न कैपिटल लैवी ही लगा सकती हैं। सरकारी दल का हर माननीय सदस्य जानता है कि ऐसा टैक्सों का ९० फीसदी भार किसानों और मजदूरों पर पड़ता है। जहां तक उद्योग-धंधों का सवाल है, तो छोटे-छोटे व्यापारी इस राज्य में बहुत परेशान हो गये हैं। इस सिलसिले में यदि मैं यह कहूं कि राष्ट्रीयकरण की बात तो नहीं मानी गई लेकिन ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिसके पास १ या २ बसें थीं उसकी आमदनी सरकारको इतनी ज्यादा दिखाई पड़ी कि उसका राष्ट्रीयकरण करना उसने जरूरी समझा। लेकिन कारखाने वालों के लिये सरकार कहती है कि हमारे रास्ते में विधान रुकावट डालता है। इस बहाने में कोई तत्व नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहाकि हमारी सरकार तो इतनी उदार है कि खाने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पहनने के लिये कपड़ा, रहने के लिये मकान और खाने के लिये अन्न की आवश्यकता सभी को पड़ती है। यदि आप एक पर यानी अन्न पर टैक्स नहीं लगाते तो दो पर तो लगाते ही हैं। तो इस सरकार को दो तिहाई प्रतिक्रियावादी तो मानना ही होगा। और हम हम समझते हैं कि यदि सेंट्रल ऐक्ट हमारी सरकार के रास्ते में बाधक न होता तो यह अन्न पर भी टैक्स लगा ही डालती। अभी यह भी जिक्र हुआ कि आबकारी से हमको बड़ा नुकसान हुआ। अगर्चे आपने १०-११ जिलों में ही प्राहीबिशन किया लेकिन उससे आपकी इतनी हानि हो गई कि उसे पूरा करने के लिये सेल्स टैक्स लगाना पड़ा और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि अब भी उसकी आवश्यकता है। आप देखें कि ५१-५२ के बजट में आबकारी से ५ करोड़ १५ लाख आमदनी थी और ५२-५३ में ६ करोड़ ११ लाख है। तो कहां प्राहीबीशन का असर आमदनी पर पड़ा? आप देखते हैं कि मुकद्मे और करप्शन इतने बढ़ गये हैं कि उनसे आपको वसूलयाबी ज्यादा होती है। यदि महात्मा गांधी का नाम लेने के बाद भी आप प्राहीबिशन नहीं कर सकते तो कह दें कि हमारी नीति गलत है और हम इसे खत्म करते हैं। उस चीज को भी हमारी सरकार नजरअन्दाज करती जाती है। जब माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा बोल रहे थे तो उस समय मुझे आशा था कि महात्म

की ओर और वहां की सेल्स टैक्स की १७ करोड़ की रकम की ओर भी यह ध्यान आकर्षित करेंगे । बजट के दौरान में माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सेल्स टैक्स कितना सुन्दर टैक्स है और उन्होंने कहा था कि मद्रास सरकार तो इस मामले में अनुकरणीय है और वहां १७ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आता है जबकि हमारी सरकार की आमदनी ४,५ करोड़ ही है। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार के सलाहकार हमारी सरकार को मिलेंगे तो मद्रास की हालत हमारे यहां भी आ सकती है । माननीय परिपूर्णानन्द जी को ध्यान रखना चाहिये कि मद्रास में सेल्स टैक्स से दुःखी होकर जनता कांग्रेस का साथ छोड़ती जा रही है और यह सभी जानते हैं कि वहां विधान को ताक में रखकर काउन्सिल के एक मेम्बर को नामजद नहीं किया जाता तो वहां का शासन चलना मुश्किल था। वह मिसाल हमारे प्रदेश के लिये अच्छी नहीं होगी जिसका कि दावा माननीय परिपूर्णानन्द जी को हो सकता है। यह कहना कि यह टैक्स तो बहुत उत्तम किस्म का है, उससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं । विद्वानों का तो यह कहना है कि आज तक यह प्रथा थी कि टैक्स इनकम पर लगता था लेकिन सेल्स टैक्स तो कनजम्पशन एक्सपेंडीचर पर टैक्स है। इससे बढ़कर प्रतिक्रियावादी टैक्स तो सुना ही नहीं जा सकता । इस टैक्स को लादते जाना और हमारे सिद्धांतों को न स्वीकार करना अनुचित है ।

मौजूदा विधेयक में २ बड़े नुक्स हैं। एक ने तो माननीय नारायणदत्त जी बता ही दिया कि लोअर लिमिट नहीं बताई गई है। पिछले मूल ऐक्ट में १२ हजार से ऊपर वालों पर सेल्स टैक्स था और रूल्स में वह १५ हजार कर दिया गया। लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार तो यह चाहती है कि तमाम विधान सभा के मेम्बरों को धोखे में रखकर या अंधेरे में डाल कर इतनी भारी पावर लेले कि ५ हजार और २ हजार के ऊपर वालों पर भी टैक्स लगा दे। मैं तो सरकारी दल वालों से कहूंगा कि जहां उनका कर्तव्य सरकारी बातों को सपोर्ट करना है वहां उनका यह भी पवित्र कर्तव्य है कि वह सरकार पर रोक भी रखें। मंत्रियों और उपमंत्रियों की तादाद तो केवल २५ के लगभग है लेकिन सरकारी दल के सदस्यों का परम कर्तव्य है कि वह देखें कि वे लोग कहीं ऐसे ऐसे टैक्स तो नहीं लगा रहे हैं जो कि जनता की भावना और हित के खिलाफ जाते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि कम से कम इस विधेयक में उद्योग मंत्री यह जरूर कर दें कि उसके लिए एक मिनिमम लिमिट रख दें। आखिर वह जो भी कुछ चाहते हों वह रख दें चाहे वह ५ हजार हो, ६ हजार हो या ७ हजार हो। माननीय उद्योग मंत्री के जिम्मे यह विधेयक ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी के खयाल से पढ़ा गया है अगर पहिले से उनके सामने यह मसला आता तो वह इसको दुरुस्त कर देते और जरूर ही मिनिमम लिमिट इसमें रख देते ।

आठवां खंड जो उपस्थित विधेयक का है उसके द्वारा अधिनियम में एक ऐसा अधिकार मांगा गया है और कहा गया है कि पिछले जितने भी आर्डर्स जारी किये गये हैं, जितने भी बैड ला हैं उनको दुरुस्त करार दिया जाय। अतः यह आठवीं धारा कमाल की चीज है। उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि बिजली के ऊपर ड्यूटी कर अलग लगाया जा रहा है इसलिये बिजली पर से सेल्स टैक्स को हटाया जा रहा है। यह एक कौंस क्वेंशियल संशोधन है और उससे फायदा उठा कर एक मासूम किस्म का संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं परन्तु इस धारा द्वारा अजीब अधिकार सरकार हमसे लेना चाहती है। इससे मालूम होता है उसमें कहीं flaw (खराबी) जरूर है । क्योंकि सरकार को अंदेशा है कि गलती हो चुकी है आगे जुडिशियरी के सामने कहीं चैलेंज न हो जाय। अतः इस निर्दोष तरीके से सदन को अंधेरे में रख कर पास करा लेना चाहते हैं जिससे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पुरानी गैरकानूनी कार्रवाइयां चैलेंज न हो सकें। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जैसे योग्य लाईयर को इस किस्म की डिफेक्टिव धारा उपस्थित नहीं करना चाहिये था। विद्वानों की राय कुछ भी हो हमें हर एक चीज को खुले दिल और दिमाग

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

से देखना चाहिये। टैक्स उस पर लगाना चाहिये जो टैक्स देने के लायक हो और उस पर नहीं लगाया जाना चाहिये जो उसको देने के काबिल नहीं है। सरकार ने दो श्रेणी बना रखी हैं एक अमीरों की और एक गरीबों की और जो टैक्स उसके द्वारा लगाये जाते हैं उनकी मार गरीबों पर पड़ती है। हमारी सरकार को फख्र है कि मद्रास सेल्स टैक्स के मामले में अनुकरणीय है। अगर सरकार इसी तरह की बुद्धिमानी करती रही तो न हम रहेंगे और न सरकार ही, और सारे देश को वे रसातल के गर्भ में छोड़ जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह—मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने एक बददुआ देकर अपनी स्पीच को खत्म किया। चेतावनी तो अक्सर औकात दी गयी और सरकार अपनी जगह और पोजीशन को खूब समझती है और जो काम करती है वह समझ बूझ कर ही करती है। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं हमारे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी ने इस विधेयक के संबंध में तकरीर करते हुये बहुत सी बातें कहीं और वाकई बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिनका ठीक जवाब हमारे मित्र रावत जी ही दे सकते थे और उन्होंने दिया वे मेरे इमकान के बाहर की बातें थीं। उन्होंने बहुत सी बातें कानून के संबंध में भी कहीं और एक शिकायत हमारे मित्र ने यह भी की कि मैं यह अक्सर कह देता हूं कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तनहा मैं ही यह नहीं कहता अगर मैं समझ नहीं पाता तो साफ कह भी देता हूं। आज इसी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आपको नहीं समझा। लेकिन मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं उनको नहीं समझा। उन्होंने जो बहुत सी बातें इस विधेयक के बारे में कहीं मैं उनको नहीं समझा। हमारे मित्र ने एक बात प्रीएम्बिल के संबंध में कही और आध घंटे तक प्रीऐंबिल पर जोर देते रहे। उन्होंने कहा कि इस बिल का जो खंड नंबर ६ है वह इस मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल के बिलकुल बाहर है और उनका सुझाव यह था कि अगर यह धारा इसमें लानी थी तो मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल को बढ़ाना चाहिये था। इस विधेयक के प्रीऐंबिल में इसके स्कोप में विस्तार करना चाहिये था बमुकाबिले इसके जैसा कि उसका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल के लिये कहा।

श्री हुकुमसिंह—मूल ऐक्ट का और इसका प्रीएम्बिल भी। मैं श्रीमान् की आज्ञा से मूल ऐक्ट का प्रीएम्बिल पढ़ना चाहता हूं जिसमें की धारा २३, जिसका हवाला इस विधेयक के भाग ६ में दिया हुआ है कि प्रोसीडिंग्स, डाकुमेंट्स वगैरह सब कंफिडेंशियल रहेंगे। और जब धारा २३ जो मूल ऐक्ट में रखी गयी है उसको देखें कि आया प्रीएम्बिल में उसका कुछ जिक्र है या नहीं है—

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh ....."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय....]

यह प्रीएम्बिल है। इस प्रीएम्बिल में किसी डाकुमेंट्स के कंफिडेंशियल होने का कोई जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी दफा २३ रखी गयी है और वह काफी लम्बी चौड़ी ८,१० सफे की दफा है। तो ८, १० सफे की जो दफा हो उसकी बातें दो लाइन के प्रीएम्बिल में कैसे आ सकती हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैंने अपने माननीय मित्र की बहस से यह समझा कि जो-जो बातें इस विधेयक में हों उनका हवाला प्रीएम्बिल में जरूर कुछ न कुछ होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहस कि प्रोएम्बिल बड़ा संकुचित है लिहाजा उस प्रीएम्बिल की धारा ६ में

नहीं आ सकती। उस बहस की तरदीद में मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल में कहीं दफा २३ के प्रोविजन का हवाला नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे मित्र भी उसको मानते हैं कि प्रीएम्बिल बिल्कुल स्कोप के अन्दर है। मैं समझता हूं कि जो यह कहा जाता है कि प्रीएम्बिल को बढ़ाना चाहिये। अगर आप धारा ६ लाना चाहते हैं तो धारा ६ क्या कहती है। दफा २३ में ५ क्लाजेज हैं, हम छठा क्लाज और जोड़ दें। मैं श्रीमान् की आज्ञा से दफा २३ को पढ़ना चाहता हूं। मैं उसका रिलिवेंट पोर्शन पढ़ना चाहता हूं।

" Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any such particulars :——

(*i*) for the purpose of a prosecution under the Indian Penal Code in respect of any such statement, return, document, evidence, affidavit or deposition or for the purpose of a prosecution under the Act or the rules made thereunder, or

(*ii*) to any person acting in the execution of the Act or the rules made thereunder where it is necessary to disclose the same to him for the purposes of the Act or the rules made thereunder, or

(*iii*) occasioned by the lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for the recovery of any demand, or

(*iv*) to a civil court in any suit to which the Government are a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under the Act or the rules made thereunder, or

(*v*) occasioned by the lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document;

or (*vi*) to an officer of Central Government or the Government of any State, for the purposes of enabling that Government to levy or realise any tax imposed by it. "

[उपधारा (१) में जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होंगे यदि——

(१) भारतीय दण्ड विधान (इंडियन पेनल कोड) के अन्तर्गत किसी विवरण-पत्र, (स्टेट्मेंट और रिटर्न), लेखों (हिसाब), लेख-पत्र (डाकुमेंट) साक्ष्य या शपथ-पत्र के विषय में अभियोग चलाना हो, अथवा इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार अभियोग चलाना हो, या

(२) कोई व्यक्ति इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है और यह आवश्यक है कि इस ऐक्ट या इसके अधीन बने नियमों के प्रयोजनों के लिये उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय, या

(३) इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की उगाही के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो, या

(४) इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के सम्बन्ध में किसी ऐसे दीवानी के मुक़दमे में हो जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो, या

[श्री हुकुमसिंह]

(५) इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ ई० के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक-सेवक (पब्लिक सर्वेंट) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेंट) का अवरोध करने के लिये, जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय, या

(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।]

हम इस तरमीमी विधेयक के द्वारा एक छठा क्लाज जोड़ना चाहते हैं। जब उस प्रीएम्बिल में ५ क्लाजेज आ सकते हैं जिनका कहीं भी जिक्र उस प्रीएम्बिल में नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि छठा क्लाज जो हम जोड़ते हैं, जो इजाफा करना चाहते हैं, उसके लिये हमारे लायक दोस्त की बहस मेरी समझ में नहीं आयी। मैं समझता हूं कि चाहे यह कहा जाय कि हम ऐसा कहते हैं लेकिन वाकई में यह बहस मेरी समझ में नहीं आयी। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो मौजूदा विधेयक है उसका को प्रीएम्बिल है वह मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष—यह विधेयक हिन्दी में है इसलिये माननीय मंत्री जी हिन्दी से ही पढ़ें।

श्री हुकुमसिंह—बहुत अच्छा। हिन्दी से ही पढ़ता हूं।

"समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री, कर ऐक्ट, १९४८ ई० में आगे चल कर दिये हुए प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है"। "आगे चल कर दिये हुए" ये जो शब्द हैं वे बड़े गम्भीर हैं। और इससे पूरा पता चल जाता है कि इसके प्रीएम्बिल का स्कोप क्या है। जिन शब्दों में प्रीएम्बिल लिखा हुआ है उससे जितनी बातें इस विधेयक में रखी गयी हैं वे सब उस प्रीएम्बिल के अन्दर आती हैं। किसी भी तरह से उसके बाहर नहीं जातीं। ऐसी सूरत में इस विधेयक में और पहले विधेयक के प्रीएम्बिल को देखा जाय तो यह कहना कि इस विधेयक के बाहर यह क्लाज है यह किसी तरह से ठीक बहस नहीं मालूम होती। उसके बाद हमारे मित्र ने एक बात और फरमाई थी मैंने यह कहा था कि एक दूसरा एलेक्ट्रिसिटी बिल यहां आया और उसकी रू से एलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाना निश्चित किया है लिहाजा इस सेल्स टैक्स में जहां वह एक्जेम्प्टेड है उसके सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे मित्र ने बड़े जोरों से फरमाया नहीं यह बात गलत है और बात कोई दूसरी है। मैं भी बड़े ताज्जुब में पड़ा कि कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ सका और जो मेरे ध्यान में नहीं आयी। बड़ी ऐक्जाइटी से मैं सुन रहा था कि वह कौन सी बात है। हमारे मित्र ने फरमाया कि ऐसेंशल गुड्स डिक्लेरेशन ऐंड रेगुलेशन आफ टैक्स आन सेल आर परचेज १९५२, चूंकि केन्द्रीय सरकार ने पास कर दिया है लिहाजा उस ऐक्ट की रू से यह लाजिमी था कि यह सेल्स टैक्स ऐक्ट में तरमीम हो और एलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाय। यह एतराज था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह भी था और दूसरा भी था।

श्री हुकुम सिंह—खैर वह दूसरा भी सही और मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से अर्ज करूंगा कि दूसरी बात जो मेरे मित्र ने कही है वह बिल्कुल गलत है। मेरी बात तो उनको कबूल है कि ठीक है लेकिन उनकी बात है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। एसेंशल ऐक्ट की धारा ३ में दिया हुआ है—

" No law made after the commencement of this Act by legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax, on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent. "

[किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो, जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उनकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

अव्वल तो यह कि कोई कानून इस ऐक्ट के बाद यह स्टेट बनाये तो उसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि प्रेसीडेंट की एसेंट न हो जाय। हमारा जो कानून है वह इसके पहले का बना हुआ है लिहाजा इसका रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं हो सकता और न उस कानून को कोई इनइफेक्टिव बनाता है लिहाजा हमारे मित्र का यह कहना कि इस वजह से कानून में तरमीम करनी पड़ी बिल्कुल गलत है। इस तरमीम की जरूरत नहीं थी इस वजह से क्योंकि वह ऐक्ट पुराना था और इस ऐक्ट के लागू होने के पहले बन चुका था। लिहाजा जो कानूनी एतराजात हमारे मित्र ने किये थे उनका यह मतलब है। इसके अलावा हमारे मित्र ने इस तरफ के लोगों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि इस खंड की रू से सरकार इस सदन से अख्तियारात ले लेना चाहती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सदन से वह अख्तियारात छीनना नहीं चाहती बल्कि मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि यह सदन सरकार को कुछ अख्तियारात दे और मुझे विश्वास है कि इस सदन का पूरा विश्वास इस सरकार पर और अगर यह सदन हमको देता है तो कोई एतराज की बात नहीं है। अगर हां, हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करते कि सदन न राजी हो और हम उस अख्तियार को छीन लें तब तो एतराज हो सकता है, लेकिन मैं एक दरख्वास्त लेकर सदन के सामने आता हूं और कहता हूं कि फलां-फलां अख्तियार ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर दो ताकि सहूलियत से सूबे का इन्तिजाम होता रहे और वह सदन फलां-फलां अख्तियार सरकार को डेलीगेट करे तो इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है। हमारा फर्ज है सदन के सामने आवें क्योंकि सदन सुप्रीम अथारिटी है और उससे कहें कि हमें यह अख्तियारात दे दो तो हम कौन सी बुरी बात करते हैं। हम दरख्वास्तें लेकर आते हैं तब भी मुजरिम करार दिये जाते हैं कि क्यों इस दरख्वास्त को लेकर आते हो। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैंने इसमें धारा ४ की रू से यह दरख्वास्त की है कि अख्तियारात दिये जायं तो बेजा बात नहीं की है और मुझे पूरी आशा है कि यह सदन हमारी दरख्वास्त को मंजूर करेगा।

इसके अतिरिक्त हमारे मित्र ने धारा ६ के उपखंड २ पर ऐतराज किया। उस संबंध में बहुत ही लम्बी-चौड़ी तकरीर की और यह खौफ गालिब कराने की कोशिश की कि अगर यह बिल मंजूर हो गया तो न मालूम क्या हो जायगा। उसमें केवल यह बात है कि पांच धाराएं २३ में है उसमें छठी धारा जोड़ी जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैक्सेज को इवेड करते हैं। उसको रोकने के लिए अगर कोई इत्तिला इस सरकार से केन्द्रीय सरकार या दूसरी सरकार मांगे तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनको दें और देना चाहिये। अगर कोई शख्स मुस्तोजिब है टैक्स देने का और वह कुछ सूचना न मिलने के कारण उसको इवेड कर जाने का मौका मिलता है तो ऐसे मौके उसको न देने चाहिए। जहां तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रविजन कर रखा है कि अगर सेल्स टैक्स के सिलसिले में स्टेट सरकार उन से कुछ सूचना मांगे तो वह दे सकते हैं। उन्होंने इतना अख्तियार बरता कि हम को सहूलियत

[श्री हुकुमसिंह]

पैदा करें कि अगर कोई शख्स अपनी आमदानी को छिपाना चाहता है तो अगर उन को इत्तिला में बात है और वह हमको वह इत्तिला भेज दें तो वह कर सकते हैं और जब वह इत्तिला मिल गयी तो वह बच नहीं सकता है। इसी तरह से अगर हम को कुछ इत्तिलात उनसे पानी हैं तो हम को भी इत्तिला देनी चाहिए ताकि वह लोग जो कि टैक्स से नाजायज तरीके से बचना चाहते हैं वह बच न सकें। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं समझता कि कौन सा आसमान फटा पड़ता है अगर यह धारा पास हो जायगी। मैं इसमें कोई त्रुटि भी नहीं देखता।

उसके साथ-साथ हमार मित्र त्रिपाठी जी ने फरमाया कि धारा ३ अगर इस तरह से पास हो गयी तो सरकार को यह अख्तियार हो जायगा कि १२ हजार से पांच हजार कर दें मिनिमम लिमिट। मैंनें उनकी तकरीर से यह बात समझी। और माननीय तिवारी जी ने भी इस ओर संकेत किया। मैं क्या बताऊं वाकयी कानून मुश्किल जरूर होता है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर धारा ३ कि उपधारा दो जैसी है उसकी तरमीम का कोई सवाल नहीं जब तक वह उपधारा २ है तब तक १२ हजार से कम किसी तरह से हो ही नहीं सकता है। फिर पढ़िये कई मर्तबा पढ़ने से समझ में आता है। तो धारा ३ का उपखंड २ अगर बदस्तूर है तो बारह हजार से कभी गवर्नमेंट कम कर नहीं सकती है। इस प्राविजो को लाने को आवश्यकता इसलिये पड़ी कि १२ से १५ हजार है १५ हजार से १२ हजार तक कम नहीं कर सकते। अगर कम करना चाहें १५ हजार से १२ हजार तक तो जब तक यह न लाएं तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बात की जरूरत है कि हम कम करें १२ हजार करें, १३ हजार करें, १४ हजार करें तो इस उपधारा २ की जरूरत है। लेकिन वह शंका जो हमारी मित्र को थी, त्रिपाठी जी अब आ गये है। मैं फिर दोहारा देना चाहता हूं श्रीमान् की आज्ञा से। त्रिपाठी जी ने कहा कि पांच हजार तक कर सकते हैं। यह बात नहीं है। जहां तक कानून का ताल्लुक है वह हमें बारह हजार से नीचे जाने के लिये किसी तरह इजाजत नहीं देता। और शायद इसी गलतफहमी की वजह से हमारे मित्र ने इसकी मुखालफत की। वैसे तमाम सिद्धान्त की बातें हुई। उधर से भी हुई, इधर से भी जवाबात सब दिये गये। मैं उन में जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ कानूनी एतराजात जो मेरे दोस्त के थे उनहीं के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता था। मैं उतना ही अर्ज करके कनाअत करूंगा और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं समझता हूं कि जो एतराजात प्रिएम्बिल और धारा ३, ४, और धारा ६ के मुताल्लिक हमारे मित्रों के थे उनके सम्बन्ध में मैंने अर्ज कर दिया है। अगर फिर उसे गौर से पढ़ा तो जो कुछ मैंने अर्ज किया वह सही पाया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष....

अध्यक्ष---अब बोलने का वक्त तो नहीं है। उत्तर हो चुका है। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने उनसे उत्तर देने को कहा। आप उस वक्त नहीं खड़े हुए।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २ का संशोधन।

२---संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (घ) में से शब्द "विद्युत शक्ति और" निकाल दिये जायंगे।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में: १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपखंड (४) निकाल दिया जायगा,

(२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा:

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी, अर्थात्:

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर, मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, और

(ख) शेष पर, मानो कम की हुई धनराशि (reduced amount) सभी महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर ऐसी ही थी।"

श्री बुनारायणदत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं --

"खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द "जाय" के के पश्चात् शब्द "जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यू० पी सेल्स टैक्स ऐक्ट की धार ३ की उपधारा २ इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी माननीय मंत्री जी समझते हैं। उनका कहना यह है कि अगर बार-बार इस धारा ३ को पढ़ा जाय तो इसमें लिखा हुआ कि:—

" A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000/- or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year. "

[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी बड़ी रकम से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा]

लेकिन जो भी संशोधन माननीय मंत्री जी ने रखा है वह इस प्रकार है, उसका प्रतिबन्ध यह है, "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी"। तो इसमें निर्धारण वर्ष में कितनी कमी कर दी जाय यह स्पष्ट नहीं है और यह इसलिये स्पष्ट होना चाहिये कि चूंकि रूल्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कोई भी नियम इस बारे में स्पष्ट नहीं है। रूल में केवल इतना ही लिखा गया है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"The larger amount mentioned in proviso 2 to section 3 shall be raised to Rs 15000 and a dealer whose turenover is less than Rs. 15000 shall not be liable to pay tax under this Act.

A dealer's liability to pay tax under the Act shall be determined on the basis of his gross turnover.

Provided that the turnover in respect of transctions on forward contracts in which goods are not actually delivered shall not be included in the gross turnover."

[वह बड़ी रकम जिसका उल्लेख धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड २ में किया गया है, १५,००० रुपये होगी और यदि किसी व्यापारी का विक्रय धन १५,००० रुपये से कम हो, तो उसको अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं देना होगा। टैक्स देने की जिम्मेदारी उसके सम्पूर्ण विक्रय धन के आधार पर निश्चित की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वदनी के सौदों से संबंधित विक्रय धन जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता है सम्पूर्ण विक्रय धन में सम्मिलित नहीं किया जायगा।]

सिर्फ रूल सात और आठ इस संबंध में बने हुये हैं। मूल ऐक्ट में जो शब्द "प्रेस्क्राइब" है उसके अनुसार केवल दो नियम बने हुये हैं और वही दो नियम आज तक लागू हैं। मूल ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि १५ हजार के बाद अगर कहीं रिडक्शन हुआ तो वह केवल १२ हजार तक होगा। इसको और साफ करने के लिये मैं यह चाहता हूं कि इसको इस प्रकार रखा जाय जैसा कि मैंने अपने संशोधन में दिया है कि जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी। इसलिये मूल ऐक्ट में जो प्राविजन है उसको अगर इस प्रतिबन्ध में दुबारा दोहरा दिया जायगा तो नियमों में जो गलती है वह स्पष्ट हो जायगी और नियम भी इसी प्रकार बन सकेंगे। तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे और अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन इस सारे ही खंड का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि वह अनियमित हो जाता है, उसका मतलब स्पष्ट नहीं होता है और वह सारे सेल्स टैक्स के प्रबन्ध के लिये घातक होगा।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि जब तक धारा ३ का उपखंड (२) मौजूद है, इस तरमीम की कतई आवश्यकता नहीं और जब जरूरत नहीं तब कानून में अल्फाज बढ़ाना अनुचित है। ऐसी सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कारण तो बतलाया नहीं कि वे क्यों इसका विरोध करते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो आप के रूल्स बने हुये हैं, उसमें यह नहीं दिया है कि कितना रिड्यूस किया जायगा। या तो माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि नियम बनेंगे या.....

अध्यक्ष—उन्होंने तो उत्तर दे दिया कि खंड ३ का उपखंड (२) जब तक बाकी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि १२ हजार से कम टैक्स नहीं लगेगा तब तक इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यही उनका जवाब है।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द "जाय" के पश्चात् शब्द "जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति के अन्त के अल्प विराम के उपरान्त शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमान्, प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति जो है "गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी" इससे यह प्रकट होता है कि इसके खंड (क) और (ख) में रीति का उल्लेख होगा लेकिन खंड (क) और (ख) को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें रीति का जिक्र नहीं है क्योंकि शब्द इस तरह से आये हैं "जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर "। "विक्रय धन पर" रख देने से ऐसा मालूम पड़ता है किसी रीति का उल्लेख है। बाद में जो शब्द हैं "मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गयी थी" इनके पहले 'इस प्रकार' शब्द जोड़ देने से यह हो जायगा" इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी। तो 'इस प्रकार' जोड़ देने से यह अर्थ आ जाता है कि उसमें एक रीति का जिक्र है। इसी लिये मैंने यहां पर यह शब्द जोड़े हैं और मैं समझता हूं कि इन शब्दों का जोड़ना उचित होगा।

श्री हुकुमसिंह---इससे भाषा ठीक हो जाती है। मैं इसे मंजूर करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति के अन्त के अल्प विराम के उपरान्त शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'शेष' के बाद शब्द "अवधि से संबंधित विक्रय धन" तथा इसी पंक्ति में अल्प विराम के चिन्ह और शब्द "मानो" के बीच शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान् जी, इस खंड (ख) में लिखा हुआ है "शेष पर" । तो इससे स्पष्ट नहीं है कि यह "शेष" अवधित करता है। इसलिये मैंने इसको स्पष्ट करने के लिये ये शब्द बढ़ाये हैं और मैं समझता हूं कि "शेष" का रेफ़रेंस अवधि से सम्बन्धित विक्रय धन से ही है। इसलिये इन शब्दों को मैंने बढ़ा दिया है जिससे "शेष" का अर्थ स्पष्ट हो जाय। और जो इसका दूसरा भाग है वह उसी तरह का है जैसा मैंने खंड (क) में प्रस्ताव किया था और जो अभी स्वीकृत हो चुका है। मैं समझता हूं कि इन शब्दों का बढ़ा देना अर्थ को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है।

श्री हुकुमसिंह---स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) क अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "शेष" के बाद शब्द "अवधि से संबंधित विक्रय धन" तथा इसी पंक्ति में अल्प विराम के चिन्ह और शब्द "मानो" के बीच शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड ४ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४), (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं।

श्रीमान्, यह संशोधन इस विधेयक के मूल अधिनियम का जो स्कोप है उसको देखते हुये माना जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि अगर यह संशोधन विधेयक में जिस प्रकार खंड ४ को रखा गया है अगर ऐसा ही मान लिया जाता है तो एक ओर तो सरकार ने पहली अक्तूबर, १९५२ जो चार नयी चीजों पर टैक्स लगाया है उसको हम मान लेते हैं, सिगरेट, बीडी पर जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसको मान लेते हैं आज तक जितने भी नियम बने हैं उन सब को स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी ओर आगे के लिये हम सब लोग सरकार को इतने अधिक अधिकार देते हैं जो कि सिनिस्टर प्वाइण्ट सिस्टम को देखते हुये सरकार को देना ठीक नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने हमारे एक संशोधन का जवाब देते हुये कहा था कि हम तो इसलिये सदन के हाथ से ताकत छीन रहे हैं क्योंकि सदन पर हमारा विश्वास है और हम पर सदन का विश्वास है। हो सकता है कि आप को सदन के भारी बहुमत का विश्वास हो लेकिन क्या सरकार को सदन पर विश्वास नहीं है। सरकार यह तो चाहती है कि सदन का विश्वास उस पर बना रहे लेकिन इतना विशाल बहुमत होते हुये भी सदन पर विश्वास नहीं है और अगर विश्वास होता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती कि नोटिफिकेशन के बारे में पुराने ऐक्ट के अनुसार हम भी उस पर विचार कर लेते और यह सदन भी अपनी सलाह दे देता और जो सदन मुनासिब समझता वह करता। सरकार को ऐसा कौन सा डर है, कौन सी उस को फिक्र है कि वह अधिकार जो सदन ने खुद लिये थे वह उन से इतना बहुमत होते हुये भी अपने बहुमत को अधिकार न दिये जायं और यह कौन सी न्याय की बात है। मैं आपके द्वारा इस विषय पर जरा ब्यौरे में जाना चाहता हूं कि आखिर यह धारा ३-क क्या है, उसकी उपधारा (१) क्या है जिसके अनुसार सरकार अधिकार लेना चाहती है कि "निर्धारित की जाय के स्थान पर जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे"। अगर यह संशोधन नहीं किया जाता है तो सरकार को पुराने ऐक्ट की धारा २ के अनुसार रूल्स बनाने पड़ेंगे और उनको इस सदन के सामने लाना पड़ेगा और सदन उस पर विचार करेगा और उसके निर्णय पर सरकार को चलना पड़ेगा लेकिन अगर वैसे ही स्पेसिफाई कर देगी तो वह छप जायगा और उसे सदन के सामने लाने की आवश्यकता न होगी। मैं आपकी आज्ञा से धारा २४ में रूल्स के बारे में जो प्रोसीजर है वह पढ़ना चाहता हूं।

"The Provincial Government may make rules to carry out the purposes of this Act."

[प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।]

और सब सेक्शन ५ में है कि—

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभाएं उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

इस प्रकार इस सदन ने अपने ऊपर यह अधिकार लिया था कि जितने भी नियम बनेंगे वह सदन में आयेंगे और सदन उन पर विचार कर सकेगा, लेकिन यहां सरकार चाहती है कि हम अपने हाथ से ही अपने अधिकार पर कुठाराघात कर लें। सरकार चाहती है कि इतने बड़े अधिकार सदन से निकल कर उसके हाथ में चले जायं और वह स्पेसिफ़ाई करके चाहे जिस चीज़ को सेल्स टैक्स में ले ले।

मैंने उस समय भी कहा था कि यह हमारा अधिकार है और हम काग़जात मांग सकते हैं और उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे मैंने कहा था कि मंत्री जी बतलावें कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनको वह इस धारा के रिट्रास्पेकटिव एफेक्ट के जरिये से चाहते हैं कि हम स्वीकार कर लें। वह नियम क्या थे और हम उनको कैसे मान लें। आज तक नहीं मालूम कि वह कौन से रूल्स थे जो १ अक्तूबर, सन् ५२ को निकले जिनके जरिये से जूट गुड्स, दियासलाई, गुड़, जगरी पावडर आदि पर टैक्स बढ़ाया गया और बीड़ी, सिगरेट पर नया लगाया गया। मैंने आप की आज्ञा से इसीलिये यह संशोधन पेश किया है। हम उनका विरोध करते हैं कि इस उपधारा से यह शब्द निकाल दिये जायं। अगर हम यह घटा लें तो पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसको यह सदन स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये आवश्यक है और मेरा संशोधन निर्दोष है और इसके साथ-साथ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने जो असेम्बली की रजामन्दी के बिना सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसका विरोध इस प्रस्ताव से प्रकट होता है। अगर आप स्पैसीफिक कर दें तो उसके सम्बन्ध में उस नोटीफिकेशन को सदन के सामने रखें। धारा २४ की उपधारा ३, ४ और ५ के अनुसार अगर सरकार अपने भारी बहुमत की बिना पर सदन में विश्वास करती है। तो जो नोटीफिकेशन्स निकलें उनको इस सदन के सामने रखे और सदन उन पर विचार करे और स्वीकार करे।

श्रीमन् मैं अपने इस संशोधन के जरिये से इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता हूं और सेल्स टैक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जितने भी नियम और नोटीफिकेशन्स वग़ैरा निकलें वह सदन के सामने आयें और असेम्बली की राय के बिना जितने रूल्स सरकार बनाये वह और जो नया सेल्स टैक्स पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से लगाया है और अगर यह शब्द निकाल दिये जायं तो इससे दुतर्फा महत्व संशोधन का हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन का विश्वास करें। ऐसा मालूम होता है कि सरकार का विश्वास सदन पर नहीं है। अगर उनका विश्वास होता तो कभी ऐसा संशोधन सरकार न लाती और पहली अक्तूबर, १९५२ से जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसकी सदन से स्वीकृति ले लेती। मैं समझता हूं कि सरकार इस गलती को दूर करेगी और मेरा संशोधन स्वीकार करेगी

बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आज यह सदन इस विधेयक को पास करने में जितना समय लेगा उतनी देर और बैठे और सदन का टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, यह तो ऐसा प्रस्ताव है कि इसमें स्पैसीफिक नहीं है कि सदन का समय कितना बढ़ेगा। दूसरे आज सदन खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही कार्यक्रम बढ़ता रहा तो न जाने कब तक सदन चलता रहेगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष---यह तो इसी विधेयक के लिये मोशन है कि जब तक यह विधेयक पास न हो सदन का समय बढ़ा दिया जाय, और किसी दूसरे काम के लिये नहीं है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं सदन के समय बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं एक तो यही जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा और दूसरे यह कि हमारा यह संशोधन आया है और इधर सेंट्रल में एक कमेटी बैठी है और उसमें तमाम सूबे हिस्सा ले रहे हैं। उसकी राय अगर आ जाय तो सरकार को हमारा संशोधन मानने में आसानी होगी। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि आज जल्दी में सदन का समय बढ़ा कर इस बिल को पास किये जाने की कोशिश न की जाय।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---मैं इस प्रस्ताव के माफिक हूं क्योंकि कमेटी का फैसला मुमकिन है श्री नारायण दत्त जी की राय के मुताबिक स्कोप के बाहर हो जाय कौन जानता है। इसलिये ऐसी चीज मंजूर करना नामुनासिब है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज इस सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय और यह सदन तब तक बैठे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिकी-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२
खंड ४ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जब मैं समर्थन के लिये खड़ा होता हूं तो आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन यहां प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी को इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर यह संशोधन पास नहीं होता तो मैं समझता हूं कि जैसा बिल यहां प्रस्तुत है उसी रूप में उसके पास होने से इस सदन का जो अधिकार था उन अधिकारों का छीना जाना होगा। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इसे कबूल करें। माननीय मंत्री जी वर्तमान कानून को देखेंगे तो---

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें से संशोधन हो सकेंगे, जो धारा सभाएं उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

वर्तमान कानून में सरकार द्वारा नियम बनने के बाद सदन के सामने सात दिन तक रखना आवश्यक था।

यह अधिकार छीना जा रहा है, जो अधिकार इस रूल के जरिये से सदन को प्राप्त है। क्योंकि यह विधेयक जिस तरह से यहां प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में भी मैं यहां थोड़ा सा विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं क्योंकि सरकार के सलाहकार ने सरकार को यह बात बतलाई कि सेल्स टैक्स एक प्रोग्रेसिव चीज है। यहां पर चाणक्य का सिद्धान्त सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बतलाया गया। मैं आपके सामने प्रमुख अर्थ-शास्त्री श्री डाल्टन के विचार सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में क्या हैं उनको पढ़ना चाहता हूं--

" Sales Tax tends almost to be inevitably regressive. It is a fundamental of the sales tax that it cannot make allowance for domestic circumstances. "

[बिक्री कर प्रायः अनिवार्यतः प्रतिगामी होने की ओर प्रवृत्त होता है। यह बिक्री कर का मौलिक तत्त्व है कि यह घरेलू परिस्थितियों के प्रति कोई रियायत नहीं कर सकता।]

अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि यह आम बहस नहीं है। आप इसी संशोधन पर अपने विचारों को सीमित रखें तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा जो है यह सेल्स टैक्स को बढ़ाने की धारा है उससे सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो कि पहली अक्तूबर से बढ़ाया गया है इसमें उसी का समाधान किया जा रहा है। आप के जरिये से मैं इसको पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूं...

अध्यक्ष--मैं सेल्स टैक्स के सिद्धान्त के विरुद्ध बोलने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि यह एक आम बहस की चीज है। सेल्स टैक्स के बढ़ाने के सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं उसके सिद्धान्तों के विरोध में नहीं बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बीड़ी, सिगार, सिगरेट, दियासलाई जूट, खंडसारी आदि पर पहली अक्तूबर से टैक्स बढ़ाया गया है। यह टैक्स किस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर बढ़ाया गया है वह मनोवृत्ति स्पष्ट है। वह यह है कि सरकार की समझ में यह बात आई कि शायद इससे काफी आमदनी बढ़ जायगी और यह उनका एक क्रान्तिकारी कदम है। जितने अर्थ शास्त्र के विद्वान् लोग हैं वह सब इसके विरोध में हैं।

अध्यक्ष--मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि इस सिद्धांत के ऊपर कोई बात विरोध में कहें, जो ऐक्ट यहां पर पास हो चुका है और जिस सिद्धांत को यह सदन स्वीकार कर चुका है। एक बार उस सिद्धांत को सदन द्वारा स्वीकार किये जाने पर उसके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात के सामने झुकते हुये आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में समय-समय पर जब-जब आवश्यकता प्रतीत हुई माननीय वित्त मंत्री ने और दसरे लोगों ने जब जिस समय आवश्यकता समझी आपके

[श्रीं राजनारायण]

जरिये से उसको निवेदन किया है। मैं आपक जरिये से केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जो बातें इस संशोधन से संबंधित हैं और आखिर यह संशोधन यहां पर क्यों लाया जा रहा है और सरकार यह अनुचित बात क्यों कर रही है इसको ही रखना चाहता हूं। जो बातें बजट के समय वित्त मंत्री जी ने यहां पर कहीं थी कि सेल्स टैक्स बढ़ाकर उस कमी को पूरा किया जायगा उसी के दायरे में यह धारा है और उसमें यह हमारा संशोधन है। यदि उन तमाम बातों को हम यहां पर नहीं रख सकेंगे तब तो हमारे लिये बहुत बड़ी लाचारी है क्योंकि यह सेल्स टैक्स का मामला कोई मामूली मामला नहीं है...

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से फिर कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स यहां पर लगाया जाय या न लगाया जाय इस सिद्धांत के संबंध में मैं कोई बात या बहस या उसका जिक्र नहीं आने दूंगा। जो सेल्स टैक्स बढ़ाने का सवाल या उस पर संशोधन सामने है उसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। मैं कोई बहस इस तरह की नहीं बढ़ने दूंगा जो इसकी सीमा से बाहर है।

श्री राजनारायण—आप अगर इस प्रकार से हमको बाध्य करेंगे कि इस सेल्स-टैक्स के संबंध में हम अपने विचार प्रकट न करें तब तो कुछ मुश्किल होगी। आप देखते हैं कि सरकार इस बात को यहां पर लाना चाहती है...

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें और अब मैं उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के बारे में अगर यह बात है कि हम इस पर न बोलें और सदन से यह बिल ऐसे ही पास हो जाय तब तो . .

अध्यक्ष—मैंने माननीय राजनारायण जी से इस बात के लिये कहा कि जिस सिद्धांत पर सदन ने एक दफा अपना फैसला दे दिया उसके बारे में बहस नहीं होनी चाहिये। इस सिद्धांत का जिक्र आने पर आप उस सीमा से बाहर चले जाते हैं जिसको सदन स्वीकार कर चुका है। जो संशोधन सामने है उसके संबंध में जो बातें हों आप उनको कह सकते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स के सिद्धांत के संबंध में कि वह लगाना चाहिये या नहीं लगाना चाहिये, वह प्रगतिशील है या नहीं है इस चीज का यहां पर जिक्र नहीं आ सकता है।

श्री राजनारायण—मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि

" All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legistature may make during the session in which they were so laid. "

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

यह जो रूल निकाले जा रहे हैं इस से मतलब सरकार का यही है कि जो सेल्स टैक्स लगाये गये हैं उन का समर्थन हो और आगे भी जो लगाये जायं उन का भी समर्थन हो जाय। मैं इसी संबंध में निवेदन करना चाहता था और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि वह जरा स्पष्ट करें कि वह आखिर क्यों चाहते हैं कि जो धारा में पहले लिखा हुआ था उस के स्थान पर "निर्दिष्ट करें" रख दिया जाय। पहले था "जो निर्धारित

किया जाय'' पहले उसके अनुसार वह सदन के सामने आते, यहां उन पर विचार होता, संशोधन होते और सदन अपनी सम्मति सरकार को बतलाता कि सेल्स टैक्स ज्यादा हो रहा है या मुनासिब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की शब्दावली रख कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देती बल्कि अपने खोखलेपन का परिचय देती है। इस तरह के संशोधन कर के कि जिस से इस सदन के सम्मानित सदस्य इतने मुख्य अंग पर विचार-विनियम न कर सकें और उस की बारीकियों को न समझ सकें और सरकार के हाथ में सारे अधिकार दे दें यह अन्याय की बात है। आप सेल्स टैक्स बढ़ाते चले जायं और नई-नई चीजों को आप उसमें जोड़ते चले जायं यह कौन सी उचित बात है। अगर सरकार इस तरह का अधिकार नहीं लेना चाहती है तो इस प्रकार के परिवर्तन लाने की इस समय क्या आवश्यकता थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुनियां में जितने अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि "Sales Tax in itself is regressive." [सेल्स टैक्स प्रतिक्रियावादी है] सब ने यही कहा है। जब आप बीड़ी पर टैक्स लगाते हैं तो मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा वह तबका है जो बीड़ी पीता है और कौन वह लोग हैं जो खंडसारी का इस्तेमाल करते हैं। यह वही गरीब तबका है जिस के परिवार में ज्यादा लोग हैं और जिस पर जाकर सारा भार इस टैक्स का पड़ता है। बार-बार कहा जाता है कि टैक्स में उदारता और त्याग की भावना आनी चाहिये। सेक्रिफाइस की भावना जागृत होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि यह सेक्रिफाइस की भावना है या सूसाइड की। अगर यह सरकार अपनी गतिविधि से इस प्रकार के कार्य करेगी तो जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वह बहुत आपत्तिजनक होंगे और केवल विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के भी सम्मानित सदस्य इस संशोधन का समर्थन करेंगे। मैं इतना कह कर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह लीगलिटीज और नाईसटीज (कानूनी बारीकियों) में न जायं और वस्तुस्थिति का विवेचन करें, यह शब्दों का परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि इसका कोई कारण नहीं है सिवा इसके कि सरकार चाहती है कि उसने जो टैक्स में बढ़ती की है १ अक्तूबर से उस का समर्थन हो जाय और आगे के लिये भी बड़ी बारीकी से रखा गया है कि किसी को मालूम भी न हो कि सेल्स टैक्स बढ़ रहा है और डायरेक्टली और इंडायरेक्टली वह बढ़ भी जाय और सदन उससे गुमराह भी रहे।

मैं डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट टैक्स के शास्त्री विवेचन में इस समय नहीं जाना चाहता। मैं केवल माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा इतना पूछना चाहूंगा कि इसका प्रभाव समाज के किस अंग पर पड़ेगा, सरकार सेल्स टैक्स की परिपाटी को सुरक्षित रखना चाहती है। इसका असर उन्हीं लोगों पर सबसें अधिक पड़ेगा जो निम्नश्रेणी के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

एक बात मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि वह हमेशा कृपा करके यह कोशिश न किया करें कि सारी शब्दावली में वस्तुस्थिति छिपा दी जाय। यह संशोधन है नारायण दत्त जी का कि धारा ३-क की उपधारा १ में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर "जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे"। इस अंतर को मैं बराबर इसलिये कह रहा हूं कि जरा सदन समझ ले। पहले था निर्धारित की जाय और उसके अनुसार जो रूल्स सरकार बनाती वे सदन के सामने रखती। अगर यह धारा इस तरह से हो जाती कि जिसे राज सरकार निर्धारित करे, तब सदन इस पर खुद सोच सकता है कि इतना बड़ा अधिकार इस सरकार को जिसकी मनोवृत्ति हमेशा टैक्स बढ़ाने की रहती है, दे दिया जाय। सरकार क्या गजब ढा सकती है? इस समय मेरा मस्तिष्क कुछ सोचने लगता है कि आखिर यह सरकार किस तरह की पावर लेना चाहती है। बार-बार यह कहा जाता है कि सरकार पर सदन का विश्वास है, तो वह तो है ही वरना सरकार चलती कैसे? तभी तो सरकार कायम है। मगर अधिकार का सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता है।

[श्री राजनारायण]

अधिकार मिल जाय और उसका पालन ठीक ढंग से होगा, यह मुझे इस सरकार से कभी उम्मीद नहीं है जैसा कि हमने उसकी गतिविधि को पहले से देखा है और उसका विवेचन किया है। इसलिये मैं और ज्यादा जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी में पास न किया जाय, मौका दिया जाय ताकि इस पर इस सदन के सम्मानित सदस्य भी विचार-विनिमय आपस में कर सकें।

इस धारा के जरिये सरकार अपने हाथ से अनियंत्रित शक्ति सेल्स टैक्स के घटाने और बढ़ाने के संबंध में ले रही है और कमोडिटीज (पण्य) के घटाने-बढ़ाने की शक्ति अपने हाथ में ले रही है। अगर यह अधिकार सरकार के हाथ में चला गया तो अध्यक्ष महोदय इसमें संशय नहीं जनता जनार्दन चौपट हो जायगी। यह दूसरी बात है कि सरकार यह कहे कि हम भी जनता को जानते हैं। यह दूसरी बात है कि माननीय मंत्री यह कहें कि यह जो संशोधन हो रहा है वह केवल शाब्दिक संशोधन है, केवल एक भाषा का संशोधन है। लेकिन भाषा का संशोधन तो केवल कहने में मालूम होता है या यानी 'निर्धारित' के बजाय 'निर्दिष्ट' कर दिया जाय। लेकिन इतने में फंडामेंटल डिफिकल्टीज (बुनियादी गड़बड़ी) आ जाती है। आज सदन को जो अधिकार दिये हुये हैं उनको सरकार इस संशोधन के द्वारा ले लेना चाहती है और उसके ऊपर जो सदन की मंजूरी लेने का बंधन आज तक लगा हुआ है उसको दूर करना चाहती है। मैं माननीय अध्यक्ष आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार प्रजातंत्र प्रणाली को खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि इस संशोधन के द्वारा वह उन अधिकारों को सदन से लेने जा रहे हैं जो आज तक पहिले ऐक्ट के द्वारा उसको प्राप्त रहे हैं। और पहिले से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन (केन्द्रीयकरण) की मनोवृत्ति से सरकार काम कर रही है। वह इस सदन के द्वारा ही इसके अधिकारों को ले लेना चाहती है ताकि सरकार की दकियानूसी नीति का बार-बार जो पर्दाफाश होता है वह न होने पाये। इसलिये मैं आज सरकारी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे "निर्धारित" और "निर्दिष्ट" के हेर-फेर को मामूली न समझें बल्कि वह यह समझें कि इन दोनों शब्दों में कितना मौलिक भेद है और उसके द्वारा इस सदन के कितने अधिकार छीने जा रहे हैं, सरकार इसके द्वारा कितनी पावर अपने हाथों में ले रही है शक्ति को कितना सेंट्रलाइज (केन्द्रित) करती जा रही है। अतः मैं आशा करता हूं कि सदन हमारे संशोधन को स्वीकार करेगा।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---मुझे अफसोस है कि तरमीम के प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों साहबान ने जो बहस की वह तरमीम से बिलकुल दूर थी। संशोधन सदन के सामने केवल इतना है कि खंड ४ की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उसके स्थान पर रखे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं। और बिल में यह है---

'मूल अधिनियम की धारा ३(क) की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।'

जहां तक तरमीम का संबंध है निर्धारित और निर्दिष्ट के बारे में कोई बात नहीं कही गयी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, वह तो बदस्तूर रहता है। तरमीम सिर्फ इस बात की है कि जो अगले अल्फाज हैं वे निकाल दिये जायं और उनकी जगह पर जो अल्फाज बतलाये गये हैं कि धारा २४ की उपधारा (३), (४) और (५) के जो नियम हैं उनके मुताबिक अमल किया जाय। लिहाजा यह कहना कि सदन इस पर सचेत हो जाय, निर्धारित और निर्दिष्ट के फर्क को समझे, उसको तो माननीय प्रस्तावक महोदय ने पहले ही मान लिया। उस पर कोई तरमीम नहीं रखी कि निर्धारित के बजाय निर्दिष्ट रखा जाय लिहाजा यह प्रश्न तो सदन के सामने है ही नहीं।

सारी बहस जो उस पर हुई वह इर्रेलिवेंट हुई, और मौजूदा तरमीम से उसका कोई संबंध नहीं है। अब सवाल यह है कि जो तरमीम है, अगर वह मंजूर कर ली जाय तो कहां तक अमल में लायी जा सकती है। श्रीमान् की आज्ञा से धारा २४ जिसका हवाला दिया गया है उसकी उपधारा (३), (४) और (५) अंग्रेजी में है। अगर श्रीमान् आज्ञा दें तो मैं उसे पढ़ दूं। तरमीम के माने यह हैं कि जो निर्दिष्ट किया जाय उस निर्दिष्ट करने में धारा २४ की उपधारा ३ और ४ के जो नियम हैं उस परिपाटी के मुताबिक अमल किया जाय। ३, ४ और ५ जो उपखंड है वह यह है—

"The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less than four weeks."

[इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो।]

तो रूल बनने के चार हफ्ते पहले वह पब्लिश किया जाय। यहां रूल तो बनता नहीं। यहां तो निर्दिष्ट करना है, वह बाई नोटिफिकेशन होगा लिहाजा उपखंड ३ के मुताबिक कैसे अमल किया जाय। हमारी समझ में बात आयी नहीं फिर मुझे वही मजबूरन कहना पड़ता है। उपखंड ४ में लिखा है—

"All rules made under this section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act."

[इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम सरकारी गजट में छापे जायंगे और इस प्रकार छप जाने पर उनका तुरन्त प्रभाव इस ऐक्ट के समान ही होगा।]

यह कैसे लागू किया जाय। वहां तो नोटिफिकेशन गजट में छप जायगा। वही काफी है। हम कहते हैं कि रूल्स गजट में छप कर सामने आ जायगा और वह लागू जायगा। इसके मुताबिक भी अमल नहीं किया जा सकता है। उपखंड ५ में है—

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये, सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, कम से कम सात दिन के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

रूल्स जो बनते हैं वे तो गजट में छप जायेंगे और उनका नोटिफिकेशन हो जायगा। फिर गजट या ऐसे पब्लिक डाकुमेंट्स, जो गजट में छपते हैं सदन के सामने उनका नोटिफिकेशन कैसे किया जायगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लिहाजा जो तीनों उपखंड अप्लाई करना चाहते हैं कि इनके शरायत के मुताबिक, इनके प्राविजन के मुताबिक अमल किया जाय यह किसी तरह से मुमकिन नहीं है।

लिहाजा यह तरमीम रिडंडेंट सा मालूम होता है और अगर इसे मंजूर किया जाता है तो इस ऐक्ट की शक्ल बदशक्ल हो जायगी और जो कानून है वह किस तरह से बन जायगा उसको देखना चाहिये। यह मेरी मजबूरी है वरना कोई आवश्यकता नहीं थी नामंजूर करने की। सदन को मुझपर विश्वास है और मुझको सदन पर विश्वास है क्योंकि अगर सरकार को इस पर विश्वास न होता, सदन पर विश्वास न होता सरकार को तो वह इस विधेयक को न लाती। बहरहाल, इस तरमीम से कोई लाभ नहीं होता बल्कि यह रिडंडेंट है इसलिये मैं मजबूर हूं और इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं माननीय मंत्री से निर्दिष्ट और निर्धारित का फर्क पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष—वह तो आप अंग्रेजी की जो प्रति है उससे देख सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान मैंने एक बात जाननी चाही कि नियम ९६ (१) के अनुसार—

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

[जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृति हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।]

मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि वह सब नोटीफिकेशन प्रेस्क्रिप्शन और रूल्स जिनको सदन में लाना है उसकी तथा उसके संबंध में जो कागजात हैं, वह मिले नहीं है वह कागजात हमें दिये जायं।

अध्यक्ष—वही कागजात मांगे जा सकते हैं जिनके आधार पर विधेयक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वही कागज मांगे थे।

अध्यक्ष—आपने तो संशोधन रखा है। विधेयक किस आधार पर आया है उस संबंध में कागज मांगे जा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जितने नोटीफिकेशन्स इससे संबंधित हैं वह मिल सकते हैं वह हमें मिलने चाहिये।

अध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में कुछ कागजात हैं।

श्री हुकुमसिंह—कोई कागज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी ने मेरे संशोधन के जवाब में जो दलीलें दी सुनीं। उन्होंने कहा कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो सारा विधेयक ही बदशक्ल हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संशोधन लाकर उन्होंने उस विधेयक को और भी ज्यादा बदशक्ल नहीं बना दिया है। बल्कि मैं तो उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूं और उस पर चश्मा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। वह बहुत सुन्दर बन गया है उसको जरा सुशोभित करने की कोशिश कर रहा हूं। खंड ४ को पढ़ा जाय तो उससे पता चलता है कि निर्धारित और निर्दिष्ट में फर्क क्या है।

"In sub-section (1), section 3A of the Principal Act for the words 'as may be prescribed' the words 'as the State Government may specify' shall be, and be deemed always to have been, substituted.

'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

[मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और इनके संबंध में समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।

"निर्धारित" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुये नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है।]

तो जहां पर "ऐज मे बि प्रेस्क्राइब्ड" उसकी उस प्रेस्क्राइब्ड की परिभाषा क्या है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स अंडर दिस ऐक्ट। और वे रूल्स धारा २४ के अधीन सदन में रखने पड़ते। आपको सदन पर विश्वास है तो उसे सदन में लाना पड़ता कि क्यों टैक्स बढ़ा रहे हैं? और फिर रिट्रास्पेक्टिव ऐफैक्ट जब उसका होता है तब तो जरूर सदन को मालूम होना चाहिये था। प्रान्त की जनता कम से कम आप से यह मालूम कर सकती है कि यह खंड़सारी पर और दियासलाई पर क्यों टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री दियासलाई नहीं जलाते। अगर माननीय मंत्री न जलाते हों तो जनता तो दियासलाई का प्रयोग करती है। जनता को जानने का अधिकार है, एक शब्द नहीं कहा सारे डिबेट में। मैं तो बहुत सख्त शब्दों में प्रोटेस्ट करूंगा। माननीय मंत्री जी की चुप्पी मैं समझता हूं बहुत असाधारण है कि इस प्रान्त की जनता जिस का उन पर इतना विश्वास है उस बेचारी को यह भी न बतायें कि हमने पहली अक्तूबर को जो टैक्स लगाया है उसका क्या कारण है। कहते हैं कि बदशक्ल बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या इससे ज्यादा बदशक्ली का नमूना हो सकता है?

अब आपके द्वारा जरा मैं रूल्स के बारे में पढ़ देना चाहता हूं। रूल्स की धारा इस प्रकार है, तीसरी, चौथी और पांचवीं—

"The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less 4 weeks."

[इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध क अधीन है कि कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो।]

अध्यक्ष—वह तो पढ़ी जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने ढंग से पढ़ा।

अध्यक्ष—क्या उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पढ़ा।

श्री हुकुमसिंह—यह इल्जाम मेरे ऊपर गलत है। मैं कभी तोड़ता मरोड़ता नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने विधेयक ही तोड़ा मरोड़ा है, चार हफ्ते पहले गजट में छापना पड़ेगा। जब गजट में छप जाय फिर जैसे ही असेम्बली या काउंसिल का सेशन हो उसके सामने नियम रखे जायं और वह उन पर विचार करे। तब जा कर रूल्स अमल में आयेंगे। और जब 'प्रेस्क्राइब्ड' शब्द हटा देते हैं तो यह लाजिम है कि जितनी कार्यवाही हो रही है सब खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने अपने संशोधन के जरिये से चाहा है कि जो आप रूल्स के बारे में करते थे वही नोटिफिकेशन के बारे में भी करें और गजट में जरूर छपेगा। छपने के बाद जब असेम्बली का अधिवेशन हो तो उसके सामने नोटिफिकेशन को रखा जाय जब आपको असेम्बली पर इतना विश्वास है तो इसमें क्या हर्ज है। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि रूल्स के बारे में ३, ४, और ५ धारायें डिलीट कर दी जायं। तो नोटिफिकेशन के बारे में आप को क्या एतराज है।

आप को याद होगा कि सेल्स टैक्स के बारे में इस माननीय सदन के कितने सदस्यों ने सवाल किये हैं। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी ने, जिन्होंने मेरे सेल्स टैक्स के सुझाव का विरोध किया ज्यादातर उन के सवाल सेल्स टैक्स के ही बारे में हुए हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी को दूर करने के लिये। इसलिये नोटिफिकेशन असेम्बली के सामने आये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

असेम्बली टीका टिप्पणी करती रहे। जहां तक रूल्स का सवाल है सब सेक्शन ३ में जो परिभाषा रूल्स को एक्सप्लेन करते हुये की गयी है वह इस प्रकार है—

"The power under this section to frame rules can be exercised by the Government only in the manner prescribed under sub-section (2) after previous publication for a period of not less than 4 weeks. The Government should first notify in the Gazette the rules that are intended to be framed and then should republish them after 4 weeks so as to indicate that these rules had been made. If there is no previous publication of the rules, the rules that may be framed by the Government would not even acquire validity after a month of their publication. They would be altogether invalid as being in violation of section 24 (2) .

(Vindhya Pradesh *vs.* Rama Din)"

[सरकार द्वारा इस धारा के अधीन नियम बनान की शक्ति का उपयोग ४ सप्ताह से अन्यून अवधि तक पूर्व प्रकाशन के उपरान्त केवल उपधारा २ में विहित ढंग के अनुसार किया जा सकता है। सरकार पहले उन नियमों को गजट में अधिसूचो करदे जिनका निर्माण अभिप्रेत है और तब उन्हें ४ सप्ताह के उपरान्त पुनः प्रकाशित करे जिससे यह बोध हो सके ये नियम बनाये गये हैं। यदि नियमों का पूर्व प्रकाशन न हो तो सरकार द्वारा बनाये गये नियम प्रकाशन के एक महीने बाद भी बैध नहीं होंगे। वे धारा २४ (२) का अतिक्रमण करने के कारण बिलकुल अवैध हों।

(बिन्ध्य प्रदेश बनाम रामदीन)]

कितना जरूरी था कि रूल्स की स्वीकृति हो। कि रूल्स पब्लिश हों। मगर इतना भी नहीं करना चाहते। सरकार जो ऐक्ट में दिया हुआ है उसी की अवहेलना करना चाहती है। विन्ध्य प्रदेश वर्सस हेमचन्द का ऐसा केस था जिसको हमारी हाईकोर्ट ने भी वैलिड मान लिया। तो उसकी वैलिडिटी को बाई पास करने के लिये हमारी सरकार यह संशोधन लाती है जहां तक टैक्सेशन का सवाल है इसी सरकार ने धारा ४ को सब सेक्शन १ केबारे में मैं आप को बतलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि—

"No tax shall be payable on the following articles :
Notification No.....
The Government has granted unconditional exemptions in respect of the following goods under clause (1) of section 4."

[निम्न लिखित सामानों पर कोई कर नहीं लगेगा:

विज्ञप्ति संख्या.....

धारा ४ के खंड १ क अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित मालों पर प्रतिबन्ध रहित छूट स्वीकृत की है।]

तो इन अनकंडीशनल एग्जेम्पशंस में मैंचिज और खंडसारी दोनों हैं। ये इतने एग्जेम्पशंस बने लेकिन उन्हें सरकार कंडीशन ही नहीं लगाये बल्कि टैक्स भी लगा दे? अब श्रीमन्, माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम बिना एक शब्द कहे उसको स्वीकार कर लें, यहां संशोधन भी पेश न करें और अगर पेश करें तो "बचकाने" मान लिये जायं।

जहां तक सवाल है टैक्स लायबिलिटी पर कितने लगाये जायं कितने न लगाये जायं इस बारे में सिंगिल प्वाइंट टैक्स के बारे में जो नियम बनाये गये हैं उनमें धारा ३ के अनुसार व्यापारियों को कितनी दिक्कत होती है। यह रूल्स में स्पष्ट होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ध्यान तो दें जरा । जिस संशोधन का वह विरोध कर रहे हैं अगर उसको नहीं रखा जाता है तो होता यह है कि जिस गांव में जाते हैं वहां कहा जाता है कि सेल्स-टैक्स के बारे में बोलते ही नहीं हैं। तमाम आफत है और हमको यह करना पड़ता है और आज जब बहस हुई तो इतनी जल्दी हो रही है कि नहीं आज ही खत्म कर दिया जाय । मैं तो यह चाहता था कि सेल्स टैक्स ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर एक दो दिन निर्धारित कर दिया जाता सब लोगों से कहा जाता कि आप लोग क्या-क्या शिकायतें लाये हैं और अलग-अलग कांस्टि-ट्युएंसीज में किस तरह से सेल्स टैक्स ऐडमिनिस्टर हो रहा है । रूल नं० ९ व ११ को देखिये—

"Every dealer liable to pay tax under the Act who imports goods from outside the Uttar Pradesh in respect of which a notification under sub-section (1) of section 3-A has been issued shall, within 30 days of the issue of the notification or 30 days of the commencement of the business of importing such goods, whichever is later, furnish the following information to the Sales Tax Officer :—

(*a*) name and address of dealer;

(*b*) name under which the business is carried on;

(*c*) the principal place of business and names and addresses of branches, if any;

(*d*) class of goods imported; and

(*e*) name of firms from whom goods are usually purchased for import.

Every dealer liable to pay tax at single point in accordance with the notification issued under section 3-A shall keep a separate Trading Account in respect of the goods mentioned in the notification."

[प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार है और जो उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसा माल मंगाता है, जिसके संबंध में धारा ३—क की उपधारा (१) के अनुसार विज्ञप्ति प्रचारित की गयी है, विज्ञप्ति (जारी) करने से या ऐसा माल मंगाने का कारबार प्रारम्भ करने से ३० दिन के भीतर, दोनों में से जो भी अवधि देर से समाप्त हो, उसके भीतर विक्री कर अधिकारी को नीचे लीखी सूचना देगा—

(क) व्यापारी का नाम और पता ।

(ख) जिस नाम से व्यापार किया जा रहा हो ।

(ग) व्यापार का मुख्य स्थान और उसकी शाखाओं के, यदि कोई हों, नाम और पते ।

(घ) और किस प्रकार का माल मंगाया जाता है ।

(ङ) उन फर्मों के नाम, जिनसे माल मंगाने के लिये सामान्य रूप से मोल लिया जाता है ।

प्रत्येक व्यापारी, जिस पर धारा ३—क के अन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति के अनुसार एक स्थानीय कर देने की जिम्मेदारी है, विज्ञप्ति में उल्लिखित माल के संबंध में एक अलग व्यापार खाता रखेगा ।]

अब आपने ६ की लिस्ट और बढ़ा दी है और सदन को विश्वास में लाते नहीं हैं .....

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् के द्वारा अपने मित्र से.....

अध्यक्ष—वह बैठना नहीं चाहते । क्या आपका प्वाइंट आफ़ आर्डर है ?

श्री हुकुमसिंह—जी, मेरी रिक्वेस्ट है ।

श्री हुकुमसिंह—मुझे यही अर्ज करना है कि वह जो मेरा एतराज है उसके बारे में कह दीजिये, मैं तरमीम मान लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या एतराज है ?

अध्यक्ष—आप कृपापूर्वक उसको स्पष्ट कर दें।

श्री हुकुमसिंह—जो एतराज मैंने किया था कि हमारे दोस्त ने निर्दिष्ट' और 'निर्धारित" के बारे में कोई तरमीम नहीं दी, लेकिन 'निर्दिष्ट' को मैंने मान लिया। अब उसके बाद जो शब्द आखिर में आप निकालना चाहते हैं वह किसी तरह से बैठते नहीं हैं। बस इतना मेरा एतराज है, इसके बारे में जवाब दे दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' को तो उन्होंने मान लिया लेकिन मैंने जो आगे दिया है कि ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३),(४),(५) में प्रत्येक विधि का पालन करना आवश्यक होगा, इसको भूल गये। मैंने यह कहा कि नोटिफिकेशन के लिये वही नियम लागू होने चाहिये जो रूल्स के लिये होते हैं। माननीय मंत्री जी का जो एतराज है वह सीमित है। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं रह जाता है। वैसे गजट पब्लिश होने के बाद असेम्बली के सामने लाना होगा और जब वह असेम्बली के सामने आयेगा तो नोटिफिकेशन के लिये लायबिल होगा। इस प्रकार फर्क इतना ही है कि अगर आप नोटिफिकेशन ही करना चाहते ह तो आप इतनी बात मान लीजिये कि नोटिफिकेशन का गजट असेम्बली के सामने रख दीजिये। सदन पर आप को विश्वास है ही और विरोधी दल पर भी, आप को विश्वास है और विरोधी दल का कोआपरेशन भी आप चाहते हैं और हम कोआपरेशन देते भी हैं जब ठीक-ठीक मौका आता है। जब रूल्स के बारे में आप ताकत दे सकते हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में क्यों नहीं दे सकते हैं। माननीय मंत्री जी को तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिये। जब हम उनकी बात को मान लेते हैं तो वह भी हमारी बात को मान लें। आप माननीय मंत्री जी, बात करने में लगे हुये हैं।

अध्यक्ष—माननीय उद्योग मंत्री जी, वे जवाब दे रहे हैं आप का।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं अपनी बात दुबारा दोहरा दूं। माननीय मंत्री जी की बात जब मैंने मान ली और 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' मैंने मान लिया तो मेरी भी बात मान लें कि जो ताक़त रूल्स में उन्होंने हम लोगों को दी है, वही ताक़त नोटिफिकेशन के संबंध में भी दे दें, ताकि हम लोग उस पर विचार कर सकें। अगर वे छोटी ही बात मानते हैं तो छोटी ही बात मान लेने में क्या एतराज है। कोई उसूल की बात होती, मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात होती, कोई कैपिटल लेवी लगाने की बात होती तो उसके लिये माननीय मंत्री जी कह देते कि यह बड़ा सवाल है, इसको मैं नहीं मान सकता, लेकिन यह तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा हां, तो मैं श्रीमन् रूल्स १२ पढ़ रहा था—

"Every dealer who imports from outside the Uttar Pradesh goods liable to tax at a single point shall, before the expiry of the last day of July, October, January and April, submit a statement to the Sales Tax Officer in Form III in respect of the quarters ending June 30, September 30, December 31 and March 31, respectively, or if he so elects, furnish the required information as and when he receives invoices for the imported goods :

Provided that if the dealer has once exercised his option, he shall not exercise it again except with the consent of the assessing authority and upon such conditions as the assessing authority may think fit."

[प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसा माल मंगाता हो, जिस पर एक स्थानीय कर लग सकता है, जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल (प्रत्येक) के अन्तिम दिन के पूर्व

विक्री कर अधिकारी को क्रमशः ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च को अन्त होने वाले ३ मास का विवरण-पत्र फार्म नं० ३ में देगा या यदि वह ऐसा निर्वाचन करे, तो प्रान्त के बाहर से मंगाये गये माल का चलान के आते ही आवश्यक सूचना दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक बार निर्वाचन कर लेने के बाद वह व्यापारी कर-निर्धारक अधिकारी की स्वीकृति तथा उन प्रतिबन्धों के बिना, जो कि कर-निर्धारक अधिकारी लगाना चाहें उस रीति को नहीं बदल सकता है ।]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि शायद मैं यह सब रूल इस लिये पढ़ रहा हूं कि मैं टाइम एक्सपैंड करूं या टाइम और ज्यादा लूं लेकिन ऐसी बात नहीं है । मैं ऐसा नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं जो आज तक असेम्बली के सामने रखे नहीं गये और लागू हैं। अब आज मंत्री जी को खार आया एक दो साल के बाद और कह दिया कि ग़लती हुई, रूल्स बना दिये हमने लेकिन सदन के सामने नहीं रखा । इसलिये आज यह अमेंडमेंट आया और मैं सरकार की खामियों को और उनके डिपार्टमेंट की असावधानी को आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे इम्पार्टेंट रूल्स बना दिये गये जो डीलर्स को भूल भुलैयां में डाल देते हैं । जैसा मैंने कहा कि टैक्स मस्ट नाट बी काम्प्लिकेटेड, टैक्स उलझे हुये नहीं होने चाहिये लेकिन इन रूल्स के जरिये आप ने टैक्स को उलझा हुआ बना दिया । इसलिये इस संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी उलझन डालने वाले नोटिफिकेशन्स न निकाले जायं और अगर निकाले जायं तो वे सदन के सामने आवें और हमारे विचार के बाद स्वीकार हों । जब ऐसा होगा तब हम अपनी-अपनी कांस्टिटुएंसी में व्यापारियों को और जनता को समझा सकेंगे कि यह इसलिये रखना पड़ा । इसके बाद सवाल यह है कि पहली अक्तूबर, सन् १९५२ को जो सरकार ने टैक्स लगाये हैं वे कहां तक पुराने टैक्सों की नियमावली के अनुसार जायज हैं । जैसे जूट गुड्स वग़ैरह पर पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से टैक्स लगाया गया । माननीय मंत्री जी स्वीकार करते नहीं हैं, मुश्किल यह है । पहली अक्तूबर से जूट गुड्स पर टैक्स लगा है लेकिन जूट गुड्स में जूट मैन्यूफैक्चर्स में क्या फर्क है । जहां तक जूट मैन्यूफैक्चर्स का ताल्लुक़ है उनके ऊपर टैक्स पहले से लगा हुआ था लेकिन जुट गुड्स में वह कौन सा ऐसा बिन्दु है जिससे जूट गुड्स में और जूट मैन्यूफैक्चर्स में फर्क आ जाता है । श्रीमन्, पहली अक्तूबर, १९५२ का नोटिफिकेशन इस प्रकार है जो सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन को इस धारा की ३(ए) के प्रेस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन के जरिये रखता है ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि रूल्स के ऊपर यहां आज बहस नहीं हो रही है । इस वक्त आप के संशोधन के ऊपर बहस हो रही है । एक दो उदाहरण दें दें काफी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब रूल्स का नहीं दे रहा हूं, रेट्स का दे रहा हूं।

अध्यक्ष—हां, मगर वह एक ही दो हो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चार टैक्सेज लगे हैं चार ही दे रहा हूं।

"Jute manufactures of all kinds including gunny bags and hessians...."

[जूट से प्रनिर्मित सब प्रकार की वस्तुएं जिनमें गनी बैग तथा हेसियन भी सम्मिलित हैं..]

वह ९ वीं जून १९४८ से इनकी शुरुआत हुई । इनका टैक्स पहले ६ पाई था और अब ९ पाई हो गया । अब माननीय मंत्री यह बतायें कि जूट मैन्यूफ़ैक्चर्स में ९ पाई और जूट गुड्स में ६ पाई, तो कुल १५ पाई.....

श्री हुकुमसिंह—मैं तो तरमीम के बारे में बता दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह बिलकुल तरमीम है। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ा ग़ज़ब हो जायगा। मैं फिर पढ़ दूं.....

अध्यक्ष——मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——तो उनको समझा दीजिये।

अध्यक्ष——वह नहीं समझते तो फिर क्या किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी——तो बीड़ी में, ९ जून, १९४८ से आपने शुरू किया, रुपये में ३ पाई टैक्स लगाया और अब ६ पाई कर दिया। यह क्यों किया? और आप कहते हैं कि संशोधक विधेयक को मंजूर कर लें। इसके बाद सिगरेट और पाइप टोबैकू पर १ जुलाई, १९५१ को लगाया। वह सदन के सामने नहीं आया। तारीफ़ यह है कि जितनी बार सेल्स टैक्स बढ़ाया गया उतनी बार सदन के सामने नहीं आया। यह सदन की अवहेलना है। फिर भी सरकार कहती है कि हमारी आलोचना करते हैं। पहली जुलाई, १९५१ को सिगरेट और पाइप टोबैकू पर ६ पाई दर रखी और पहली अक्तूबर, १९५२ से ९ पाई कर दिया गया। कोई कारण है?

अध्यक्ष——आप कारण नहीं पूछ सकते हैं। जो आप की बहस है उसका सिद्धांत यह है कि, जो रेट्स लगाये गये हैं वे सदन के सामने नहीं आये। लेकिन रूल्स में जो चीज है वह कहां तक जायज है और कहां तक जायज नहीं है इसके ऊपर टीका आप शुरू न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, बात यह है कि जितने आज तक नहीं आये वे आज हमसे मंजूर करने के लिये कहा जा रहा है।

अध्यक्ष——यह नहीं है कि रूल्स के ऊपर आप की मंजूरी चाहते हों। वह तो संशोधन के सिलसिले में आया है कि वह डिलीट कर दिया जाय और हमेशा यह माना जाय कि रूल्स सही हैं। इसलिये उदाहरण के लिये आप पेश कर सकते हैं। लेकिन हर बात के ऊपर रूल्स के ऊपर बहस करके कि वह जायज है या नाजायज है यह कंसीडरेशन में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं आप की आज्ञा का पालन करता हूं।

"As the State Government may specify shall be, and be deemed always to have been substituted...."

["जिसे राज्य सरकार निर्दिष्टकरे" रख दिये जायेंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।]

तो जितने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन्स हुये हैं उन सब को आप इसके जरिये से मंजूर करवाना चाहते हैं। तो मैं श्रीमान् आप के जरिये उन सभी नोटिफिकेशन्स का जिक्र कर रहा हूं जिनको शेल बि आलवेज के जरिये माननीय मंत्री जी हमसे मंजूर करवाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सरकार की आलोचना कर रहा था, जो कि आज मंजूर करवा रहे हैं और जो आप को पहले मंजूर करवा लेना चाहिये था इस संबंध में निवेदन कर रहा हूं। तो सिगरेट पर और पाइप टोबैकू पर १ जुलाई, १९५१ से ६ पाई टैक्स लगाया गया था। उसको ९ पाई कर दिया गया। दियासलाई, जूट गुड्स, खांडसारी और जैगरी पाउडर, इन सब पर ६ पाई फ़ी रुपया के हिसाब से एक अक्तूबर से लगा दिया गया जब कि खांडसारी और मैचेज, ये दो गवर्नमेंट ने अपने ही नोटिफिकेशन के जरिये, एक नोटिफिकेशन तो वह निकालती है जिसके जरिये तो खांडसारी और मैचेज को एग्जेम्पट किया जाता है। और इसी दूसरे नोटिफिकेशन के जरिये दूसरी धारा के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और दोनों धारायें एक ही ऐक्ट की हैं। उसी धारा के अनुसार दो चीजों पर दो बार टैक्स लगाया जाता है। एक जूट गुड्स पर और दूसरे जूट मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स पर। मैं नहीं समझता कि इनमें क्या फर्क है।

अध्यक्ष——आप रूल्स की मेरिट्स पर न आंय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब नहीं आऊंगा श्रीमन्, जब मैंने माननीय मंत्री जी से काग़ज़ात मांगे और मैंने कहा कि आप बतला दें कि कौन-कौन से नोटिफिकेशन्स वग़ैरा निकले हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है। जब उनको मालूम नहीं है कि कौन-कौन काग़ज़ात हैं तो मैं बतला रहा हूं तो उनको आपत्ति होती है। श्रीमन्, आज्ञा दें तो किताब उनके पास भेज दूं।

अध्यक्ष—इसकी इजाजत है अगर आप किताब भेजवा दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो माननीय मंत्री जी बतलायें कि क्यों ऐसा हुआ और इतने टैक्स बढ़ाये गये। अगर वह यह समझा दें तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं। उन्होंने जो निर्दिष्ट और निर्धारण में फर्क बतलाया उसको मैंने मान लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि, जो स्पैसीफिकेशन्स हैं वह भी गजट में छापे जायं। और सदन में मंजूरी के लिये आयें। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह प्रांत की जनता को तो बतला दें कि यह टैक्स क्यों बढ़ाये गये। क्या कारण थे।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता करके मेरे संशोधन को मान लिया। मैं भी उनकी बात मान लेता बशर्ते कि वह मेरी दिक्कत को रफा कर देते जो मैंने पेश की थी। तमाम बातें जो इसमें हैं, जो हमारा एतराज था जो मुश्किलात थीं, उनका हल हमारे मित्र ने कुछ भी नहीं बतलाया है। अगर हम इस तरमीम को मान लें तो धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) के अनुसार नियम कैसे लागू होंगे, कैसे अमल किया जायगा। वह दिक्कत अब भी मेरे सामने है वर्ना कोई दिक्कत नहीं थी और जो उदारता उन्होंने बतलाई थी मैं भी बतला देता। मुझे अफसोस है कि मैं उनकी तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८

विपक्ष में—६८)

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस प्रकार यह धारा ४ रक्खी गई है मैं उसका पूरी की पूरी का विरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत ही प्रतिक्रियावादी धारा है जो कि इस संशोधन विधेयक में रक्खी गई है समय-समय पर इस सदन में जो अधिकार नियम बनाने के लिये दिये गये हैं इस धारा के जरिये उनका अपहरण किया जा रहा है जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि "प्रेस्क्राइब्ड" का स्पष्ट अर्थ यह था कि उसके अनुसार गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ेंगे और वे गजेट में प्रकाशित हो कर सदन के अन्दर पहले अधिवेशन में पेश किये जायेंगे और सदन उनको जिस प्रकार माडिफाई करेगा उसी प्रकार वे बन सकेंगे तो आज तक जो अधिकार इस सदन को था इस धारा के जरिये वह अधिकार इस सदन को नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि आज तक कितने रूल्स बनायें गये सेल्स टैक्स के बारे में, ३ ए के अनुसार सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन के बारे में कितने नियम बनाये गये। तो वह नियम धारा २४ की (३), (४) और ५ के अनुसार क्यों इस सदन के सामने नहीं रखे गये। मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृपया बतलायें कि इस सदन के सामने न रखने का कारण क्या है और अगर रखे गये तो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कितने रखे गये । यहां पर इस बिल के अन्दर जो यह धारा २४ और उसके यह ३,४ और ५, रखे गये हैं यह महज दिखलाने के लिये रखे गये हैं वह यह समझते हैं कि इन धाराओं को यहां पर बहाना करने के लिये रखा गया है। वह यह जानते हैं कि उनको अधिकार तो प्राप्त है ही जब चाहेंगे उसका उपयोग हो जायगा और इस सदन की मर्यादा के अनुसार उनको अधिकार प्राप्त तो है ही और वह ऐसा कर सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक चीजें हैं और सरकार की हिम्मत नहीं है कि इसको यहां पर स्पष्ट कर दे। मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इसके कि उसने उस धारा ४ को हमारे सामने रखा है वह इस धारा २४ और उसके हिस्से ३,४ और ५ को डिलीट कर देती । अगर सरकार को विश्वास था कि जनता उनके साथ है तो वह ऐसा कर सकती थी और इस जरूरत वाली धारा को डिलीट कर देती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों ऐसा खंड ४ को यहां पर लाये हैं और ऐसे खंड को क्यों नहीं लाये जिसके अनुसार नियम असेम्बली के सामने रखे जाते । उसको डिलीट क्यों नहीं किया गया है। इन सब बातों से मालूम यह पड़ता है कि सरकार की यहां पर कमजोरी है और सरकार सीधे तरीके से मैदान में नहीं आना चाहती। वह बहुमत से डरती है और उसको इस बात की आशंका है कि उनकी पार्टी के अन्दर प्रगतिशील सदस्य भी हैं और वह जरूर कभी न कभी जब मौका आयेगा जरूर सरकार से शिकायत करेंगे और हो सकता है कि पार्टी मीटिंग के अन्दर वे यह कहें कि आपने ठीक नहीं किया है। इससे विरोध बढ़ जायगा। इस वजह से इसका परिहार करने के लिये यह खंड ४ रखा गया है और शुद्ध खंड ४ इस वजह से नहीं रखा गया है कि २४ धारा के ३, ४ और ५ को उस रूप में हटा दिया है तो श्रीमन् मैं यह साफ जानना चाहता हूं कि वह साफ साफ क्यों नहीं मैदान में आये वह २४ धारा को डिलीट कर देते और इस खंड ४ को हमारे सामने न रखते। श्रीमन् अगर यह संशोधन स्वीकार हो गया होता तो मैं इसका विरोध नहीं करता। चूंकि वह स्वीकार नहीं हुआ और हम को विधान सभा में अपने अधिकारों की रक्षा करना है इस लिये हम इसका विरोध करने के लिये मजबूर हुये। मैं समझता हूं कि बहुमत दल के सदस्य भी इसके ऊपर जरूर अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं जानता हूं कि पार्टी गवर्नमेंट भी होती है लेकिन जहां तक कम से कम असेम्बली के अधिकारों का जब सवाल सामने आता है तो वहां पर हम सब एक हो सकते हैं। यहां पर सदन की मर्यादा का सवाल है और सदन के अधिकारों का सवाल है तो कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह इस दल में बैठा हो उस दल में बैठता हो उनको समानरूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार है। चाहे वह किसी भी पार्टी का मेम्बर हो लेकिन जो उसूल उसने स्वीकार कर लिया है उस उसूल की पूर्ति होना आवश्यक है और उनका लागू होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि अभी बहुमत के कोई सदस्य बोलेंगे और उसी भाषा में बोलेंगे जिसमें कि विरोधी दल ने अभी अपने विचार प्रकट किये हैं। आज असेम्बली के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। २४ धारा के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये थे वह हमसे छीने जा रहे हैं और वह अपने अधिकारों को और भी बढ़ाने जा रहे हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि इस निर्दिष्ट और निर्देशन के झगड़े के बारे में काफी कहा गया उस सरकार की तरफ से ऐतराज के सिलसिले में उत्तर दे दिया गया और माननीय मंत्री जी ने उनको बहुत समझाया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी समझाया लेकिन तिवारी जी की समझ में नहीं आया उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं। कि ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है और हम सब अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानते हैं हमने सिर्फ यहां गवर्नमेंट इसी लिये नहीं बनाई है कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य भी भूल जायं, हम तो असलियत में जनता

के रिप्रिजेनटेटिव हैं। आप जानते हैं कि "नो गवर्नमेंट विद आउट टेक्सेशन" कोई सरकार वगैर टेक्स वसूल किये चल ही नहीं सकती। सिगरेट, बीड़ी और सिनेमा की मिसाल दी गई। मैं समझता हूं कि यह वह चीजें हैं जो लग्जरी में आती हैं और जीवन के लिये यह आवश्यक नहीं है। इन पर सरकार ने थोड़ा सा टैक्स लगा दिया है ताकि लोग इन बुराइयों की तरफ कम जायं और इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा दाम होने के कारण कम कर दें सोचा यही है कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग बीड़ी, सिगरेट पीना बन्द कर दें। मैं भी सिगरेट पीता था लेकिन जब से मैंने देखा कि अब ६ आने देना पड़ता हैं मैंने बन्द कर दिया कि अब जेब से अधिक पैसा देने पड़ते हैं इस तरह से थोड़े से टैक्स को बढ़ाना तो हमारी मारेलिटी को बढ़ाता है यह कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की और सदन के अधिकार को छीनने की बात नहीं है यहां अमरीका के अर्थशास्त्रियों का कोटेशन दिया गया। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि जहां मनु और चाणक्य पैदा हुये हम उसी भारत में आज भी रहते हैं जहां बड़े-बड़े विद्वान् हुये हैं जिनके ज्ञान से हमारी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। हमारे दोस्त ने कहा कि १ अक्तूबर से जूट का टैक्स बढ़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर इस को बढ़ाया है और इस में कोई हर्ज नहीं है। मैं यह (विरोध) जो आया है इस का विरोध करता हूं और सदन से कहूंगा कि वह इस विधेयक को पास करे।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं इसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष—वह संशोधन नहीं है। आप उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जब खंड ४ में नारायणदत्त जी का संशोधन आया था उस संबंध में बतला दिया था और कहा था कि 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' का अन्तर यदि नारायणदत्त जी करें तो वह संशोधन को स्वीकार कर लेंगे उन्होंने कहा था कि नारायणदत्त जी ने, माननीय उद्योग मंत्री ने जिस तरह से बिल रखा है उसको मान लिया है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर वह इसका यह अर्थ समझते हैं कि उनके संशोधन को मान लिया है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वह मान लेते तो खंड ४ को निकालने की बात ही नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूं कि वह (मंत्री जी) संशोधन जिस रूप में रखा गाया था उसको उसी रूप में समझने में असमर्थ रहे। उस समय नारायणदत्त जी ने बिलकुल स्पष्ट कह दिया था कि दफा २४ के ३,४,५ सब सेक्शन के अनुसार जो अधिकार प्राप्त हैं वह दे दिये जायं और 'निर्दिष्ट' न रखा जाय और 'निर्धारित' रहे तो पूरे अधिकार अपने आप चले आते हैं। यद्यपि वह (मंत्री जी) तो कहा करते हैं कि कानून को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है और यह बात उनको सही है और मैं यह भी समझता हूं कि शायद यह दिक्कत उनपर ज्यादा लागू होती है और हमारे लिये तो खैर लागू है ही क्योंकि हमारे सामने तो सरकार एबरप्टली (यकायक) सब चीजें ला देती है लेकिन सही मानों में उन्हें इस कमी को दूर करना चाहिये था इसलिये इस धारा को निकाल देने का जो विरोध का प्रस्ताव है उस को मंत्री जी अब मान लें।

अब तो उनके लिये कोई बात ही नहीं है क्योंकि वह पहले कहते थे कि नारायण दत्त जी ने उनके संशोधन को मान लिया है। तो उनकी बुद्धि के अनुसार नारायणदत्त जी ने उनके संशोधन को मान लिया है और नारायणदत्त जी के संशोधन को मान लिया है माननीय मंत्री जी ने नारायणदत्त जी के अनुसार। तो दोनों की बात, संशोधन की और विधेयक के प्रस्तावक महोदय की, एक जगह आकर जम कर बैठ जाती है। अब ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विरोध को सहर्ष स्वीकार करेंगे। यदि वह नहीं करते तो इसका मतलब है कि पहले जो वह कह गये हैं वह एक वाक्जात (बिडम्बना)

[श्री राजनारायण]

गुमराह करने के लिये था। मैं इतना कहकर फिर उनसे अपील करूंगा कि वह इस निकाल देने के विरोध को स्वीकार करें।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा के संबंध में कंसीडरेशन के मोशन पर और तरमीम के सिलसिले में काफी बहस दोनों तरफ से हुई और इस सदन का काफी वक्त लगा। मैं ज्यादा वक्त अब नहीं लेना चाहता । मेरी दिक्कत जो पहले थी वह अब भी है। इस सदन ने बहुमत से नारायणदत्त जी के संशोधन को अस्वीकार करके यह इम्प्रेशन दिया कि जो धारा ४ है यही ठीक है जिस शक्ल में वह पेश हुई है। लिहाजा इस फैसले के बाद मेरी यह जुरअत नहीं हो सकती कि मैं माननीय राजनारायण जी की और माननीय नारायणदत्त जी की बात मान लूं कि इस विरोध को मैं स्वीकार करूं। मैं समझता हूं कि दफा ४ बहुत ही आवश्यक है और यही समझ कर यह इस विधेयक में रखी गई है। लिहाजा इसका पास होना और इस विधेयक का अंग होना निहायत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में इस खंड की ताईद करता हूं।

अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६३

विपक्ष में—८)

खण्ड ५

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ४ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ४ उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली," निकाल दिये जायेंगे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २३ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (५) में पूर्ण विराम (Full stop) के स्थान पर अर्ध विराम (Comma) रख दिया जायगा और उसके पश्चात् शब्द "या" जोड़ दिया जायगा;

(२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:

"(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तावित संशोधित विधेयक के खंड ६ का पूर्ण विरोध करना चाहता हूं। उसके उपखंड २ के अनुसार जो नया खंड जोड़ा जाने वाला है मैं उसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि माननीय मंत्री जी की दलीलें किंचित मात्र भी विश्वास दिलाने वाली नहीं हैं कि यह जो नया खंड ६ बढ़ाया जा रहा है वह पुराने ऐक्ट के प्रीऐंबिल का ऐक्सटेंशन नहीं है। मैंने आपकी अनुपस्थिति में सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि पुराना जो मूल अधिनियम है और उसका जो शीर्ष नाम है वह "उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८" है और उसके टाइटिल में यह लिखा हुआ है—

"An Act to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh....."

[उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियम।]

केवल सेल्स आफ गुड्स इन दी उत्तर प्रदेश पर ही इनऐक्टमेंट हो सकता है लेकिन यह जो नया उपखंड ६ जोड़ा जा रहा है उसमें लिखा है एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स हो उन सब टैक्सों के लिये जो भी कान्फीडेंशियल कागजात हैं वे सब के सब डिस्कलोज कर दिये जायें लेकिन प्रीऐंबिल में यह लिखा है—

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh...."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल, की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय,]

उसमें ऐसा नहीं है जैसी की इस धारा की मंशा मालूम होती है। अब अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस संशोधन विधेयक का जो प्रीऐम्बिल है वह इस प्रकार है—

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh and to facilitate the collection of taxation for other States and the Centre....."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय तथा अन्य राज्य तथा केन्द्र को कर इकट्ठा करने में सुविधा दी जाय,.....]

तो इससे किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं होता कि पुराना प्रीऐम्बिल संशोधित हो रहा है। जब ये धारा यहां से मंजूर हो जायगी तो, मूल ऐक्ट की धारा बन जायगी और उस पर मूल ऐक्ट का प्रीऐम्बिल ही लागू होगा।

तो प्रीऐंम्बिल और इनऐक्टमेंट का आपस में कितना संबंध रहता है उसके बारे में मैंने कुछ लीगल अथारिटीज से भी कंसल्ट किया, उनकी राय भी देखी। लार्ड माक्सवेल का इस संबंध में यह कहना है कि जो इनऐक्टमेंट होता है कि वह कुंजी है प्रीऐंम्बिल की।

"Preamble is the key to the meaning of the Act. If very general language is used in an enactment which it is clear must have been intended to have some limitation put upon it, the Preamble may be used to indicate to what particular instances the enactment is intended to apply."

[प्रस्तावना अधिनियम के अर्थों की कुंजी है। यदि किसी विधायन में बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से उस पर कोई निर्बन्धन लगाना हो, तो यह संकेत करने के लिये प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है कि किन विशेष प्रकरणों में विधायन को लागू करने का मंशा है।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यानी प्रीऐम्बिल उदाहरण के रूप में, संकेत के रूप में, सरकारी संकेत के रूप में, सरकार जो संकेत बतलाती है उसका सूच्य प्रीऐंबिल है। प्रीऐंम्बिल में यह स्पष्ट है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सेल्स टैक्स उगाहने में मदद की जाय। ऐसा नहीं है कि और राज्यों की सरकारों के टैक्स उगाहने में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज उगाहने में मदद की जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि इस उपखंड का जो प्रीऐंम्बिल है उसे देखते हुये, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुये, इसके ढांचे को देखते हुये अस्वीकार है और अपरिहार्य है। और हम इस पर किसी तरह से विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने और भी प्रांतों की व्यवस्था को देखा है। और प्रांतों में भी सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, उनके कंफिडेंशियल डाकुमेंट्स वगैरह होते हैं वहां की सरकारों ने इस संबंध में क्या व्यवस्था की है यह भी हमें मालूम है। केवल बिहार ने ऐसे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिये हैं। बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट के सब क्लाज ५ में लिखा गया है—

"In order to assist an officer of the Central Government in carrying out his duties in connection with the imposition and recovery of any tax...."

[किसी कर के आरोपण तथा उद्ग्रहण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिये ....]

श्रीमान्, अगर कोई विधेयक ऐसा उपखंड ६ के रूप में बन सकता है, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बन सकता है। और स्टेट्स के बारे में कोई कानून बनाने के लिये हमारी प्रांतीय सरकार कम्पीटेंट नहीं है। हमारा यह सदन ए० बी० सी० स्टेट्स के लिये किसी टैक्स के बारे में या सेल्स टैक्स के बारे में कोई विचार करने के लिये कम्पीटेंट नहीं है। आपके सेल्स टैक्स के संबंध में दिखलाया यह गया है कि रजिस्टर और बही खाते, सेल्स टैक्स तथा दूसरे भिन्न-भिन्न टैक्सों के संबंध में दूसरे स्टेट्स में मिलेंगे। इस बात का हमको कोई अधिकार नहीं है। इस बात के लिये पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना पड़ेगा। हम लोग इस के लिये कम्पीटेंट नहीं हैं। आसाम में एक बात की गयी है।

"To assist an officer of Assam State to levy and realise any State Tax....."

[आसाम राज्य के अधिकारी को किसी राज्य कर के लगाने तथा वसूल करने में सहायता करने के लिये....]

वहां आसाम सरकार तक ही सीमित रखा है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी कोई ऐसा अमेंडमेंट लाते जो उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स वगैरह के वसूल करने में मदद करता तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन उन्होंने तो बाहर के दूसरे स्टेट्स पर भी लागू करने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया है। ऐसी मिसाल हमारे लेजिस्लेचर में ही मिल सकती है। श्रीमन्, धारा २३ के अनुसार जो कांफिडेंशियल डाकुमेंट्स वगैरह दिखलाने की बात है उसमें पहला तो यह है कि किसी स्टेटमेंट्स और डाकुमेंट्स के बारे में यू० पी० के अन्दर उसको देखने के लिये ऐक्जेम्प्शन किया गया है। दूसरे इस ऐक्ट को लागू करने के लिये जब कोई आदमी काम करता है तो ....

अध्यक्ष—यह तो ऐक्ट में मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं उसे जरा स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—इसका उससे क्या संबंध है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसका संबंध यह है कि उपखंड ६ कैसे स्कोप से बाहर जाता है इसे मैं बतलाऊं। माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा कि जहां ५ बढ़ गया वहां छठा बढ़ जाय तो क्या हर्ज है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहला प्रश्न यह है कि जब पांच स्कोप इसके अन्दर है तो छठवां क्यों नहीं आता मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि पांच इसकी प्रिएम्बिल की भाषा के अन्दर इसलिये है क्योंकि वे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं किसी दूसरे राज्य के लिये नहीं हैं लेकिन खंड ६ के जरिये से माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेट को छोड़ दिया और बाकी स्टेटों को दाखिल कर दिया है।

" to any person acting in the execution of the Act; "

[कोई व्यक्ति इस ऐक्ट को कार्यान्वित करने में लगा है.....]

यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा

" occasioned by the lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for the recovery of any demand; "

[इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की उगाही के लिये प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो,]

यह भी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। चौथा

" to a civil court in any suit to which the Government are a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under the Act or the rules made thereunder, "

[इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के संबंध में किसी ऐसे दीवानी के मुकदमें में हो जिस में सरकार एक पक्ष के रूप में हों, या]

यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पांचवां

" occasioned by the lawful exercise by a public servant of his poweres under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document.... "

[इंडियन स्टाम्स ऐक्ट, १८९९ ई० के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक द्वारा ऐसे लेख पत्र का अवरोध करने के लिये, जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय।]

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट से सम्बन्धित है लेकिन वह भी उत्तर प्रदेश की सरकार समय समय पर संशोधित करती रही है। तो इस संबंध में जितने पांच एक्जेम्पशन्स हैं वह सारे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं जब हमारा उपखंड ६ जो है वह उत्तर प्रदेश से बाहर के लिये चाहता है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हिमांचल प्रदेश से लेकर केप कामोरिन तक पहुंचता है और पश्चिमी बंगाल से सौराष्ट्र तक पहुंचता है। आपने आल इंडिया पैमाने पर लेजिस्लेशन बना दिया जो आपके अधिकार में नहीं है और जिसके लिये आपको कम्पिटेंस नहीं है। अगर आपने अपने इस संशोधन को वापस न लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी बड़ी लेजिस्लेटिव भूल, वैधानिक एरर इंडिया की हिस्ट्री में शायद किसी सदन ने की हो या करे। और श्रीमन् मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था भी चाहूंगा। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आप भी इसमें ऐसी व्यवस्था देंगे जिसकी वजह से हमारी जितनी भी लीगल अथारिटीज हैं उन्होंने क्या कहा है मालूम हो जायेगा। संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितनी लीगल अथारिटीज हैं वह कहती हैं कि प्रिऐम्बिल इनऐक्टमेंट की आत्मा है जिस तरह से एक बैलून को ब्लो करने में पूरे बैल्यून का नकशा आ जाता है इसी प्रकार परिभाषा को देखकर ही विधेयक की सारी तसवीर सामने आ जाती है। परिभाषा केवल यू० पी० में सेल्स टैक्स

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लगाने के लिये है दूसरे राज्यों या सेण्ट्रल गवर्नमेंट को सूचना देने के संबंध में उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिये उपखंड ६ इस सीमा के बाहर इसके प्रिऐम्बिल के बाहर है और पांचों खंड जो इसमें हैं वह इसकी सीमा के अन्दर हैं या यहीं तक सीमित है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जिस रजिस्टर को आप अपने टैक्स के लिये नहीं देखना चाहते जो अपने द्वारा लगाये हुये सेल्स टैक्स या दूसरे टैक्सों के लिये नहीं देखना चाहते और उनको कान्फीडेंशल रखना चाहते हैं वह हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स हैं उनके रजिस्टर को क्यों दूसरे के लिये देखना चाहते हैं। इससे बड़ा कंट्रेडिक्शन कोई दूसरा नहीं मिल सकता। अगर कोई गलती है तो माननीय मंत्री जी बतलायें। लेकिन आप दूसरे लोगों के लिये मेहरबानी कर रहे हैं और उनको यह सहूलियत दे रहे हैं।

तो श्रीमन्, मैं आपकी भी व्यवस्था चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर कानूनी दृष्टि से प्रकाश डालें।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दावा अक्लकुल होने का हमारा नारायणदत्त जी को हो सकता है वह न मैं कर सकता हूं और न सरकार कर सकती है। सरकार से भी गलतियां होती हैं और मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया की तवारीख में इससे बड़ी .....।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इंडिया की।

श्री हुकुमसिंह—इंडिया की सही। मैंने सब बातों को सुना और काफी हमारे मित्र ने सदन का समय लिया। कोई नयी बात उससे जो हमारे दोस्त ने कंसीडरेशन मोशन पर कहा था नहीं है। उन्हीं बातों को उन्होंने फिर दोहराया। वह दोहरा सकते हैं। समय ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने बातें पहले कहीं थीं उनको दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि वही जवाब मेरा इसमें भी समझा जाय और मैं फिर इस दफा का अनुमोदन करता हूं कि यह दफा इस विधेयक का अंग मानी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता था।

अध्यक्ष—आपने अपनी स्पीच में कहा। आपने कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठाया था। मैं तो यह समझा था कि मेरिट्स पर आप मेरी राय चाहते हैं। मैं मेरिट्स पर राय देने के लिये तैयार नहीं हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष—में ६२
विपक्ष में—८)

खंड ७

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २५ निकाल दी जायगी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (declaration) या कर निर्धारण (assessment), लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार, अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।

बैधीकरण (Validation)।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस खंड का विरोध करने के पहले मैं सरकार को इस बात पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि किस तरह से वह पूरे हाउस को धोके में रखने के लिये इस विधेयक का उद्देश्य और कारण उपस्थित कर सकती है।

उद्देश्य और कारण में ऐसा मालूम होता है कि कोई खास कारण नहीं। क्योंकि अन्य अधिनियम एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर पास हो गया है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया उसका रेलेवेंट पोर्शन अध्यक्ष महोदय यह है कि "इसलिये बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ अन्य साधारण संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धन की न्यूनतम सीमा जिस पर किसी व्यापारी के कर देने का दायित्व अवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये जाने या उसकी वसूली के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ सूचना के पारस्परिक आदान प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था।"

अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों में जहां तक संशोधन करने वाले अमेंडिंग बिल का सवाल है इस विधेयक की धारा ४ और ८ का जिक्र भी नहीं किया गया है कि लोग कहीं उससे सचेत न हो जायं। अध्यक्ष महोदय, जिस धारा का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं वह इस प्रकार है, "इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (Declaration) या कर निर्धारण (assessment) लगाया गया कर, की गयी कार्यवाही या व्यवहार अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है मानों धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।"

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि धारा ४ फिर से पढ़ी जाय। धारा ४ इस प्रकार है, 'मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।'

और चूंकि अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत धारा ४ में ३-क का जिक्र किया गया है, इसका भी जिक्र कर देना आवश्यक है। इसलिये मैं मल अधिनियम की धारा ३-क जोकि अंग्रेजी की ३"ए" है उसको भी इस सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं—

"Notwithstanding any thing contained in section 3, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है, कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी विक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय, किसी माल अथवा माल की किस्मों के विक्रय-धन पर कर नहीं लगेगा।]

अध्यक्ष महोदय, आपको भी और माननीय उद्योग मंत्री को भी मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा "सच सिंगिल प्वाइण्ट"। मुझे इस बात का अन्देशा है कि सरकार के दिल में चोर है और एक डर उसको है कि शायद प्रस्तुत धारा ४ के अनुसार वह ठीक न हो तो धारा ८ के द्वारा ठीक कर लिया जाय। और उसमें तो इतना बड़ा अधिकार ले लिया कि सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन चैलेंज न किया जाय। धारा ३ में, चूंकि धारा ३ में मूल अधिनियम का जिक्र है जिसमें करीब ४ हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो आफिश्यल गजट में नोटिफिकेशन के संबंध में है। दूसरे हिस्से में एक लिमिट बांधी जाती है १२,००० रुपये की और तीसरे में और भी तरीके हैं और चौथे में रेलवे कम्पनी वगैरा का जिक्र है। उस संबन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत धारा ४ में तो सरकार यह मनवा ही चुकी है कि "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" और सरकार ने जो गलतियां की थीं इस विधान सभा को कान्फिडेंस में न ले कर उनको फिर सही करना चाहती है। अभी अखबार में निकला कि कई चीजों पर टैक्स लगा दिया गया और माननीय उद्योग मंत्री, चूंकि उनको बहुमत का गर्व है इसलिये यह भी इन्फारमेशन नहीं देना चाहते कि कितनी गल्तियां इस ऐक्ट के मातहत सन् ४८ से लेकर अब तक सरकार द्वारा की गयी हैं और कितने डिक्लेरेशन और असेसमेंट हुये हैं। और जिस पर वे विधान सभा की मोहर लगा करके प्रदेश और देश की सारी जुडिशियरी को चैलेंज करना चाहते हैं। बार-बार पूछने पर और हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी के उत्तेजित करने पर भी माननीय उद्योग मंत्री जी गलती कबूल करने के लिये तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो स्वयं आप को आश्चर्य होगा और मनोविनोद भी होगा कि चोरी छिपाने के लिये बार-बार किस तरह लीपा पोती की गयी है। पहले यह कहा गया कि "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे। पहले गलती वहां पर सुधारने की कोशिश की गयी, उसके बाद भी इस तरह की पावर्स ले करके या जो गलतियां इस ऐक्ट के रूल्स का उलंघन करके और विधान सभा के सामने मौके-मौके पर न रख करके की गयी हैं उस संबंध में धारा ४ काफी हो जायगी और पर्दा पड़ जायगा लेकिन संभवतः सरकार को डर यह है कि सेल्स टैक्स देने वाले लोग कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा न लेने लगें, इसलिये आगे बढ़ करके जितने डेफ्लेरेशन्स हैं, जितने असेसमेंट्स हैं उनके और प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) हैं मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण बिनांकों (material dates) पर प्रचलित था। फिर खंड ४ का जिक्र किया गया। तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय विरोध करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस बात का दावा करने वाली सरकार कि वह जनता की सरकार है, जनता के वोटों के जरिये चुनी गयी है और एक दो फीसदी या बस फीसदी के सीमित मताधिकार के जरिये से नहीं बल्कि बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी गयी सरकार है, वह किस तरीके से विरोधी दल के सदस्यों को ही नहीं बल्कि सरकारी दल के सदस्यों को भी अंधेरे में रख करके अपनी पिछली गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। यह किसी भी प्रजातंत्रवादी

सरकार के लिये शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं इस खंड का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको विधेयक का अंग न माना जाय।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र त्रिपाठी जी की बहस सुनी। अगर कोई यहां विदेशी सरकार होती तो वाकई यह बहस बड़ी कारगर होती लेकिन जो जनता की सरकार है, जिस को जनता ने चुन करके बिठलाया है और जिस का उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना है, उसके खिलाफ ऐसी बहसें कुछ असर नहीं करतीं। धारा ४ के पास करने के बाद धारा ८ और ४ का इतना निकट संबंध है कि वे एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकतीं। इसलिये ८ का पास होना निहायत आवश्यक है। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो धारा ४ का कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिये यह आवश्यक है और इसका विधेयक का अंग रहना निहायत जरूरी है। मैं इसकी ताईद करता हूं।

अध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) जवाब हो चुका और अब कोई भाषण नहीं हो सकता। पहली मर्तबा माननीय राजनारायण जी खड़े हो गये थे और उनको इजाजत दे दी गयी थी। यह विरोध है, सशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६४

विपक्ष में—९)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड ११

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५।
१९४८ ई० को और संशोधित करने का

विधेयक

समय-समय पर संशोधित सयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में आगे चलकर किये हुये प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६४

विपक्ष में—८)

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि इस अवस्था में उसका संशोधन किया है, पारित किया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि इस भवन ने उसको संशोधित किया है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६३

विपक्ष में—९)

अध्यक्ष—अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५२ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१६ अक्तबर, १९५२ ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११४ एल० ए०—१९५२—८५०